(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 11] पंचम विधान सभा के ग्यारहवें सत्र का बीसवां दिवस [संख्या 16

शनिवार

27 मार्च, 1976

विधान सभा की बैठक म.पू. 11 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(यातायात, नागरिक रसद, कृषि, आयुर्वेद, चिकित्सा, श्रम, पशु पालन एवं समाज कल्याण-विभाग)

निगम द्वारा अनुबन्धित बसें

416. श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय (बूंदी) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य परिवहन निगम में अनुबन्धित बसें लगाने के क्या कारण हैं? क्या यह राष्ट्रीयकरण के सिद्धान्त के प्रतिकूल नहीं है?

(2) जिन व्यापारियों की बसें अनुबन्धित की गयी हैं उनमें राजस्थान के निवासी कितने हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) अनुबन्धन किस आधार पर किया जाता है?

श्री उपाध्यक्ष : यातायात मंत्रीजी।

यातायात मंत्री (श्री मोहन लाल छंगाणी) : (1) राज्य में अनेक मार्गों का तेजी से राष्ट्रीयकरण करने के कारण राष्ट्रीयकृत मार्गों पर वाहन संचालन हेतु निगम को अपेक्षित संख्या में वाहन उपलब्ध नहीं हो सके। अतः जन-सुविधा की दृष्टि से निजी वाहन मालिकों की बसें किराये पर लेकर राष्ट्रीयकृत मार्गों पर चलाई जा रही हैं। यह राष्ट्रीयकरण के सिद्धान्त के प्रतिकूल नहीं है।

(2) वर्तमान में अनुबन्धित वाहनों की संख्या 202 है जिनमें से 148 वाहन राजस्थान के हैं व 54 बाहर के हैं। अनुबन्धित वाहनों की सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(3) अनुबन्धन की शर्तें सदन के पटल पर रख दी गयी हैं।

(शर्तें विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गईं)

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : माननीय मंत्री महोदय से मैंने स्पष्ट रूप से पूछा है जैसा कि प्रश्न के भाग (1) के अन्दर उल्लेखित है कि यह राष्ट्रीयकरण के कौनसे सिद्धांत के नीचे है? प्राइवेट बसें लगाने से राष्ट्रीयकरण का सिद्धान्त समाप्त होता है या नहीं? वजूहात भी चाहे थे कि बाहर से क्यों लाये, वह भी नहीं दिये।

Page No 2

(2)

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया कि राष्ट्रीयकरण के इस सिद्धान्त की कोई आवश्यकता नहीं। ज्यों-ज्यों साधन हमारे बढ़ेंगे हम इनको कम करते जायेंगे और कम भी कर रहे हैं। ज्यों ही हमारा फ्लीट बढ़ जावेगा तो प्राइवेट बस मालिकों की बसें नहीं रहेंगी। रूट्स ज्यादा चलाते हैं, शिड्यूल ज्यादा होता है। लोगों को काफी दिक्कतें थीं। लोग ऊपर बैठ-बैठ कर जाते थे इसलिए हमको बसें लेनी पड़ीं। हमने यह भी देखा है कि कहीं हमारी कोस्ट तो अधिक नहीं बढ़ रही है। उनकी कोस्ट और हमारी गाड़ियों की कोस्ट में एवरेज कितना आता है, हमें घाटा तो नहीं हो रहा है, यह सब हम देख रहे हैं। ज्यों ज्यों हमें बसें अवेलेबल होंगी, त्यों त्यों हम इन बसेज को कम कर देंगे। मैंने 54 बसों की सूची सदन के पटल पर रख दी है।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : मेरा प्रश्न यह है कि राष्ट्रीयकरण आप करते हैं, उन बस मालिकों का और एम्प्लाइज का धन्धा क्या खत्म नहीं करते हैं? यह किस सिद्धान्त के तहत है? उन लोगों को क्यों नहीं अपोर्चुनिटी दें, इतने बस रूट्स खत्म हो गये, फिर भी उनको प्रिफरेन्स नहीं देना और बाहर की बसों को एम्प्लाय करना इसके क्या रीजन्स हैं?

श्री मोहनलाल छंगाणी : मैंने आप से निवेदन किया कि जब ओवर क्राउडिंग हुआ तो बाहर की बसों को लेने का निर्णय किया गया। हमने यहां से बसें मांगी। कुछ हमने उनको लेने के लिये सिद्धान्त तय किये। 75 का मोडल हो। मैक्सिमम जैसी कि मिल सकी राजस्थान से लीं। हमारा शिड्यूल पूरा न हो सका। 234 की आवश्यकता थी और हमारे पास नहीं थीं तो हमको लेना आवश्यक हो गया। जितनी राजस्थान से मिल सकीं राजस्थान से लीं और राजस्थान से नहीं मिलीं तो बाहर से लीं। 54 बाहर की बसें हैं, कहां से ली थीं, उनका ब्योरा मेरे पास नहीं है। बहुत सी बसें राजस्थान की हैं। यू. पी. से भी थीं। 54 बसें किन किन की कलेक्ट करके दीं उनकी सूची मैं अभी नहीं लाया हूं। मैं आपको दे दूंगा। 54 बसें बाहर की हैं इस वर्ष हमारा फ्लीट आगे बढ़ जायेगा। पहले पैसे की कमी थी। अब प्रोविजन किया है। बैंक से मिल रहा है।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : एक प्रश्न और है। यह ठीक है कि यह तो पहले ही एम्प्लोय कर सकते थे। बाहर की बसेज के लिए और दूसरी बसेज के लिए कौन सी मेथडोलोजी एप्लाई की? अखबारों में निकाला था क्या मेथेडोलोजी एप्लाई की?

श्री मोहनलाल छंगाणी : जब इसका हमने पहले पहले निर्णय लिया तो एडवर्टाइजमेंट निकाला सब ही अखबारों में। पहले हमने 1.20 रुपये प्रति किलो मीटर की दर रखी। लेकिन जब हमें नहीं मिलीं तो हमने इसको बढ़ा कर 1.30 रु. किलोमीटर किया। लगातार एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। उसके तहत ही हम एम्प्लोय करते हैं। और टेक्निकल जांच होती है तब ही हम एम्प्लोय करते है।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : आपने दूसरों को एम्प्लोय किया तो पहले की बसेज के ड्राइवर्स और कन्डक्टर्स बेकार होते

Page No 3

(3)

(श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया)
हैं, बेरोजगार होते हैं तो रोडवेज में एम्प्लोय करने के लिए क्या आपकी योजना है ?

श्री मोहन लाल छंगाणी : जो जो नोटिफाइड रूट्स डिक्लेयर किये हैं, 60 पर्सेन्ट कन्डक्टर्स लिये हैं जो कि नोटिफाइड एरिया से हटे हैं। प्राइवेट बसों में कन्डक्टर्स हमारे होते हैं और ड्राईवर्स उनके होते हैं। डीजल वगैरह भी वे ही लगाते हैं। सिर्फ कन्डक्टर प्रोवाइड हम करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अजीतसिंह।

आवश्यक वस्तुओं का वितरण

*417. श्री अजीत सिंह (टोंक) : क्या नागरिक रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार किस किस वस्तु को आवश्यक समझ कर मूल्य वृद्धि पर रोक लगाना चाहती है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) किस किस वस्तु को सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के जरिये बिक्री की जानी चाहिये ?

(3) आवश्यक वस्तुएं जैसे दाल, खाने के तेल, ईंधन, घी, वनस्पति इत्यादि तथा दूसरी वस्तुएं जो राज्य सरकार आवश्यक समझती हो किस प्रकार प्राप्त करेगी ?

नागरिक रसद मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) राज्य सरकार ने आवश्यक वस्तुओं का निम्नांकित तीन श्रेणियों में उनका महत्व देखते हुए क्रमानुसार वर्गीकरण किया है :

(अ) श्रेणी: अनाज, चीनी, गुड़, खांडसारी, खाने के तेल, वनस्पति, कपड़ा, केरोसीन, तेल तथा कोयला।

(ब) श्रेणी: दालें, लाल मिर्च, चाय, सीमेन्ट, कोपियों के कागज।

(स) श्रेणी: साइकिल के ट्यूब, टायर, साबुन और माचिस।

'अ' श्रेणी की वस्तुओं की उपलब्धि एवं मूल्यों पर न केवल पूर्ण ध्यान जाता है बल्कि निरन्तर प्रयत्न किया जाता है कि उनके मूल्य घटें। अन्य श्रेणी की वस्तुओं की उपलब्धि एवं मूल्य पर नजर रखी जाती है तथा आवश्यकतानुसार कदम उठाये जाते हैं।

(2) गेहूं, चीनी, नियन्त्रित कपड़े, केरोसीन, सीमेन्ट तथा कोयले की सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के जरिये बिक्री की व्यवस्था है।

(3) दाल, खाने के तेल, ईंधन, घी, वनस्पति इत्यादि दूसरी वस्तुयें खुले बाजार में प्रचुरता से प्रचलित दर पर उपभोक्ताओं को सुगमता से उपलब्ध हैं। अतः इन्हें प्राप्त करने की किसी प्रणाली की आवश्यकता वर्तमान में नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : फर्स्ट एन्ड थर्ड केटेगरी की आपने सूची बतायी। थर्ड में कुछ के भाव गिरे हैं, कुछ बढे हैं उनको वापिस गिराने के लिये क्या क्या स्टेप लिये हैं और आपके प्रयत्नों से कितना नीचे स्तर आया है उनका ?

Page No 4

(4)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : ईंधन, वनस्पति, तैल इनके भाव कम करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ? मिसाल के तौर पर गंगानगर में 60 रुपया क्विन्टल कोयला है तो 60 रुपया क्विन्टल ही ग्वार है। ईंधन 60 रुपया क्विन्टल और गन्ना 13 रुपया क्विन्टल मिलता है। ये एनोमोलीज हैं।

श्री शिवचरण माथुर : कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर सीधा नियन्त्रण हमारा है और सार्वजनिक वितरण व्यवस्था से वितरण करते हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं कि उनके स्टाक और बेचने पर ब्लेक मार्केट न हो और सही उपलब्धि हो, उनका वितरण करते हैं। वे चीजें हैं जिन पर कन्ट्रोल रहता है। जैसे अनाज है अनाज को हम अपने तौर से प्रोक्योर करके लेवी के जरिये से इकट्ठा करते हैं और अपनी वितरण व्यवस्था के जरिये से बेचते हैं। नियंत्रित कपड़े को भी हम अपने तौर से लेते हैं और अपनी कोआपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से या उपभोक्ता संघ के माध्यम से वितरित करते हैं। कोयले का भी इसी तरह से वितरण करते हैं। यह जो चीजें बताई इनके अलावा बाकी के ऐसे प्राडक्ट्स हैं जिनकी जमाखोरी नहीं हो और समय पर जितनी चीज उपलब्ध हो उसकी प्राइसेस को डिस्प्ले करके व्यापारी लोग मुहैय्या कर दें। यह भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर दूं कि आपातकालीन स्थिति की घोषणा के बाद हमने प्राईसेस का डिस्प्ले और स्टाक का डिस्प्ले करने वाली बात बहुत बड़े पैमाने पर की थी। इसका परिणाम यह हुआ कि चीजे बाहर आ गयीं और एक एक प्राइस में आल अलाग दी लाइन रिडक्शन हुआ। ग्वार के लिए कहा, वह तो ठीक है जरनल प्राइस में वैसे ही काम है लेकिन कोयले का जो प्रोक्योरमेन्ट होता है कोल सेन्टर से उसको हम नियंत्रित हिसाब से बेचते हैं। वनस्पति तो काफी सस्ता हो गया है और बाजार में काफी मात्रा में उपलब्ध है। तो मैं समझता हूं कि कोई कमी नहीं है और आल अलाग दी लाइन भाव नीचे हैं बल्कि माननीय सदस्यों की चिन्ता यह है कि भाव लगातार गिर रहे हैं उनको किस तरह से स्थिर रखा जाये। यह चीज सामने है।

श्री अजीतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, समस्या बड़ी विकट हो रही है। मेरी समझ में नहीं आता कि आज किसान का जो प्रोडक्ट है उसके भाव तो धीरे धीरे गिरते गये और बाकी जो दुकानदार रिटेल माल बेचता है उनके भाव ऊंचे जा रहे हैं। उनको आपने कोई कन्ट्रोल नहीं किया। केवल आपने एक परिपत्र जारी किया कि जो ऐसा करें उनके बारे में सूचित करें। तो सूचित करने से तो काम चलेगा नहीं और सूचित करना ही आवश्यक नहीं है। इसके लिए विधान सभा में भी डिस्कशन हुआ। आप कन्ट्रोल नहीं कर पाये। आज मिठाई है और दूसरी चीजें हैं सारी की सारी ऊंचे भाव पर प्राप्त हो रही हैं। भाव नीचे लाने के लिए आप कोई निदान नहीं करते जो आवश्यक चीजें हैं उनके रिटेल के भाव में कमी नहीं आ रही है। काश्तकारों के काम की आम चीजें मंहगी हो रही हैं और उसके प्रोडक्ट की कीमत नीचे गिर रही है। तो आप क्या कर रहे हैं, यह जानना चाहते हैं?

Page No 5

श्री शिवचरण माथुर : मैंने निवेदन किया कि सारी चीजों का नियंत्रण सरकार द्वारा सम्भव नहीं है। जो चीजें बहुत बड़े पैमाने पर आम लोगों के वितरण के लिए आवश्यक हैं उनके ऊपर ही सरकार नियंत्रण करती है। हर चीज का कन्ट्रोल सरकार करे यह न तो आवश्यक है और न ही सम्भव है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा वातावरण समाज में उत्पन्न होना चाहिए जिससे लोग चीजें अन्डरग्राउन्ड नहीं ले जायें। अगर ऐसा कर दिया जाये और सरकार सतर्क रहे तो चीजें उपलब्ध हो जाती हैं इसके अलावा चीजें ज्यादा उपलब्ध हो जाती हैं तो प्राइसेस अपने आप कम हो जायेंगी।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल बाजार) : जो बड़े होटल और रेस्टोरेन्ट्स हैं उनके अन्दर भावों में गिरावट नहीं आई है जबकि सब चीजों के दाम गिरे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, एग्रीकलचरल प्रॉडक्शन, इन्डस्ट्रियल प्रॉडक्शन और नेचुरल प्रॉडक्शन के अन्दर बेलेन्स कायम करने के लिए आपका क्या इन्फ्रा-स्ट्रक्चर है? क्या कदम है? इन्डस्ट्रियल प्रॉडक्शन की सारी चीजों के भाव राइज हो रहे हैं और एग्रीकलचरल प्रॉडक्शन के प्राइसेस डाउन हो रहे हैं। नेचुरल प्रॉडक्शन की चीजें हैं उनकी प्राइसेस डबल हो रही हैं। आपने क्या किया है जिससे एग्रीकलचरल प्रॉडक्शन और इन्डस्ट्रियल प्रॉडक्शन के अन्दर बेलेंस कायम हो सके?

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, आपने तो बहुत ही व्यापक प्रश्न पूछा है। एग्रीकलचरल प्रॉडक्शन, इन्डस्ट्रियल-प्रॉडक्शन और नेचरल प्रॉडक्शन-सब चीजों के बारे में गवर्नमेंट की क्या नीति है कन्ट्रोल करने की? यह केवल कृषि विभाग से ही प्रश्न संबंधित नहीं है इसलिए मैं इसका जवाब दे सकूं यह मेरे लिए सम्भव नहीं है। सारी चीजों का नियंत्रण हमारी केन्द्रीय सरकार करती है। राज्य सरकार के पास तो जो चीजें वितरण के लिए उपलब्ध होती हैं हम उनका अपनी मशीनरी के जरिये से वितरण करते हैं और जमाखोरी नहीं बढ़े स्टेट में इसके लिए हम प्रयत्न करते हैं। आप चाहें तो बता सकता हूं कि हमने जमाखोरी को रोकने, और चीजें उपलब्ध हों उसके लिए बहुत बड़े प्रयत्न किये हैं लेकिन हर एक चीज व उत्पादन का कन्ट्रोल करने वाली बात पूछें तो यह बहुत व्यापक प्रश्न है जो कि सारे देश को सरकारों का प्रश्न है और नीति का प्रश्न है। जितना भी पैदा किया जाये उस सारे के सारे का कन्ट्रोल में वितरण करने की बात आये यह ऐसा प्रश्न है जिसका मैं अपने दायरे में उत्तर नहीं दे सकता।

श्री नत्थासिंह (नदबई) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां सरसों के भाव बहुत गिर गये हैं और सरसों का तेल भी बहुत नीचे आ गया है लेकिन साबुन में कोई गिरावट नहीं आई है।

श्री गौरीशंकर भुनीम (खानपुर) : मेरे दो सवाल हैं। एक तो यह है कि जो कोयला है वह आप गीला देते हैं या सूखा देते हैं? तो आप बतायें कि पानी में भीगा हुआ देते हैं तो उसका वजन कितना बढ़ जाता है। ऐसा है क्या? दूसरी बात यह है ...... (व्यवधान)

श्री शंकरलाल (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि यह प्रश्न कृषि से संबंधित नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि क्या इस चीज को सही नहीं समझते कि प्रधान मंत्रीजी ने जो बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम दिया है उसमें सारी वस्तुओं के भावों को नियंत्रित करने की बात है और आवश्यक वस्तुओं में वह चीजें भी आ जाती हैं जो कि गेहूं और शक्कर के अलावा भी हैं ? एक तरफ तो किसान के उत्पादन की चीजों के भाव गिर रहे हैं और दूसरी तरफ आवश्यक वस्तुओं के भाव गिरें नहीं—यह बहुत सीरियस बात है। यह दूसरी बात नहीं है और यह आपसे संबंधित बात है।

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय,......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसके साथ ही एक प्रश्न जोड़ना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : जवाब सुन लें उसके बाद सन्तोष नहीं हो तो पूछ लें।

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदन में यह प्रश्न लगातार आ रहा है और मैंने कई बार निवेदन किया है कि किसान के काम में आने वाली चीजों का बहुत सा संबंध हमारे से नहीं होकर भारत सरकार से है......

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : लकड़ी का क्या है ? लकड़ी कितने में लाते हैं। कन्ट्रोल कोयले का भाव नियंत्रित करते हैं तो उसका क्यों नहीं नियंत्रित करते ?

श्री शिवचरण माथुर : वह फारेस्ट डिपार्टमेंट का काम है। मेरे पास लकड़ी के कोयले की जानकारी नहीं है लेकिन हमारा विभाग स्टाक का वितरण करता है। जैसा मैंने निवेदन किया कि हम साफ्ट कोक का वितरण करते हैं। लकड़ी का कोयला फारेस्ट डिपार्टमेंट बनवाता है और मेरे पास उसकी जानकारी नहीं है। उसका सही ढंग से सही मूल्य पर वितरण करते हैं।

श्री गौरीशंकर मुनीम : कन्ट्रोल से दिया जाता है।

श्री शिवचरण माथुर : लकड़ी का कोयला कोई कन्ट्रोल से नहीं दिया जाता है।

श्री राजेन्द्र सिंह (उनियारा) : कोयला वन विभाग से दिया जाता है। जो परमिट इश्यू होते हैं उनसे ही कोयला दिया जाता है या नहीं ? और अगर दिया जाता है तो कन्ट्रोल्ड आइटम हो जाता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : गन्ना आप 13 रुपये क्विन्टल पर लेते हैं। आपकी तीन शुगर मिलें हैं फिर भी चीनी आप 430 के भाव से देते हैं..

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : 13 से भी कम है। हमारे यहां चित्तौड़ में 11।।। रुपये हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हमारे यहां भी 11।। रुपये हैं लेकिन चीनी वही 430 है और फिर कपास इतनी लो प्राइस में लो है आपने कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। एक्सप्लाइटेशन हो रहा है एक्सटेन्सिवली। यह तो मैं आपको बाद में बताऊंगा लेकिन आपकी जो सादुल टेक्सटाइल मिल है उसके कपड़े का मूल्य पहले से ज्यादा है। इसी प्रकार से तेल का है। तेल की प्राइसेस में

Page No 7

(7)

(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा)
बड़ा स्टीप-फाल है लेकिन साबुन की बट्टी आपकी लिस्ट में वहीं की वहीं है। यह मेरा मतलब है कि राजस्थान के अन्दर इण्डस्ट्रियल प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर कोई कण्ट्रोल नहीं है आपका। कोई मशीनरी नहीं है जो कन्ट्रोल कर सके इसलिए सीवियर एक्सप्लोयटेशन हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप जवाब सुन लीजिए, उसके बाद में कहें।

श्री शिवचरण माथुर : सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने साबुन के नियंत्रण की बात कही, साबुन कंट्रोल से नहीं दिया जाता है।

(व्यवधान—अप्रश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : Should I close the question.

श्री शिवचरण माथुर : हम जो कण्ट्रोल से बेचते हैं वह केवल कपड़ा, शक्कर, केरोसिन आयल और खाद्यान्न बेचते हैं। खाद्यान्नों की स्थिति आज यह है कि कण्ट्रोल से बाजार में भाव सस्ते हैं। शक्कर के भाव के बारे में सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, मैं निवेदन करूं कि हम जो अपने कण्ट्रोल की शक्कर बेचते हैं वह 2.15 पैसे पर-के.जी. के हिसाब से बेचते हैं। बाजार में जो शक्कर मिलती है वह 35 पर्सेंट शक्कर है कुल प्रोडक्शन की शक्कर दो तरह से बाजार में आती है, एक लेवी की और दूसरी नान लेवी की। एक तो लेवी की जो शक्कर है वह 65 पर्सेंट देश के कुल उत्पादन की है जिसको हम लेकर के और उसको रिड्यूज प्राईस पर 2.15 रु. पर के.जी. के हिसाब से बेचते हैं। अगर सारी की सारी शक्कर लेवी में ले लें तो यह 2.15 रु. वाली शक्कर भी महंगी पड़ेगी। यह सारे प्रोडक्शन के फिगर्स तो मेरे पास अभी नहीं हैं लेकिन पर्सेन्टेज मैंने आपको बता दिया। मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन कर दूं कि शक्कर का जहां तक सवाल है शक्कर को अगर खुली छूट देते हैं तो जो लेवी में शक्कर मिलती है वह भी मंहगी मिलने लगेगी क्योंकि उसका सारा इम्पेक्ट उस पर आएगा।···

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय मंत्रीजी यही नहीं है···

श्री भुवनेश चतुर्वेदी (कोटा) : इस पर तो हाफ एन हावर डिस्कशन हो जावे। हमारे और प्रश्न रह जायेंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : एक सवाल में ही बीस मिनिट हो गए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : जवाब सुन लीजिए।

श्री शिवचरण माथुर : तो मैं निवेदन कर दूं कि आज शक्कर के वितरण का सवाल है हम 2.15 रु. पर के. जी. में वितरण करते हैं और राजस्थान भर के लिए एक यूनिफार्म तरीके से आज के संदर्भ में तीन सौ ग्राम पर—हैड के हिसाब से शक्कर को कण्ट्रोल में बंटवाते हैं और जिसको अधिक की आवश्यकता हो वह बाजार से अपने आप खरीद लेता है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि यह सिस्टम काफी यूजफुल रहा है और आम तौर पर सस्ते मूल्य पर शक्कर का वितरण हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री हाजी जान मोहम्मद ।

(व्यवधान: अश्रव्य)

I have closed it.

कस्बा पिड़ावा में निगम का बस स्टेण्ड

418. श्री हाजी जान मोहम्मदखां (पिड़ावा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि रोडवेज की बसें झालावाड़ डिपो से काफी तादाद में कस्बा पिड़ावा में जाती है ? अगर हां, तो राज्य सरकार ने पिड़ावा मोटर स्टेन्ड पर अभी तक बुकिंग एजेंट और दफ्तर का इन्तजाम क्यों नहीं किया और अब कब तक इन्तजाम किया जायेगा ?

(2) क्या राज्य सरकार मोटर स्टेण्ड पर जनता की सुविधा के लिए टाइम टेबल लगवाने का इन्तजाम करेगी ? अगर हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह सही है कि झालावाड़ डिपो की बहुत सी बसें खराब हालत में पड़ी हैं ? अगर हां, तो उनको कब तक चालू करा दिया जायेगा ? और नहीं, तो क्यों ?

यातायात मंत्री (श्री मोहनलाल छंगाणी) : (1) जी हां, निगम उन स्थानों पर, जिनकी दैनिक औसत आमदनी 500) रुपये है, बुकिंग कार्यालय स्थापित करता है। चूंकि पिड़ावा की दैनिक आमदनी इससे कम है इसलिए वहां बुकिंग कार्यालय स्थापित नहीं किया गया है ।

(2) जी हां, निगम द्वारा ग्रीष्मकालीन समय सारिणी तैयार कराई जा रही है जो तैयार होते ही स्टेशनों/स्टेण्डों पर लगा दी जायेगी ।

(3) जी नहीं ।

श्री हाजी जान मोहम्मदखां : आज जो बसें चलती हैं कोटा डिपो से और झालावाड़ डिपो से वे कितनी पिड़ावा पहुंचती हैं? यह बता दें ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : पिड़ावा के सात फेरे होते हैं अप एण्ड डाउन ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अब इस उम्र में सात फेरे खायेंगे !

श्री हाजी जान मोहम्मद खां : कोटा डिपो से कितनी बसें जाती हैं ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सुन नहीं पाया हूं ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : कोटा डिपो पिड़ावा से जो बसें जाती हैं उनकी संख्या क्या है ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : टाइम टेबल तो मेरे पास नहीं है कि कितनी कोटा से जाती हैं किन्तु सात बसें पिड़ावा जाती हैं और सात ही आती हैं ।

श्री हाजी जान मोहम्मदखां : क्या यह सही है कि जनता की यह शिकायत है कि वहां पर टाइम टेबल का पालन नहीं होता ? आपके जो ड्राइवर हैं, कण्डक्टर हैं वे अपनी मर्जी से आते जाते हैं। आधा घण्टा

(श्री हाजी जान मोहम्मद खां)
पहले ही चले आते हैं। टाइम की कोई पाबन्दी नहीं करते। इससे जनता काफी तकलीफ में है। पता ही नहीं चलता कि किस टाइम पर गाड़ी चलेगी। वहां पर टाइम टेबल लगा हुआ ही नहीं है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अभी ग्रीष्मकालीन समय सारिणी बन रही है जो अप्रेल में तैयार हो जाएगी और तैयार होने पर डिपोज पर लगा दी जाएगी जिससे निर्धारित समय पर ही आयेंगी और जायेंगी बसेज।

श्री हाजी जान मोहम्मद खां : क्या यह सही है कि जो झालावाड़ डिपो की बसें हैं वे खराब हालत में हैं, कांच टूटे हुए हैं, खिड़कियां खुलती नहीं हैं...

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल छंगाणी : 95 बसें हैं जिनमें दो बसें खराब हैं।

श्री हाजी जान मोहम्मद खां : नहीं, बहुत ज्यादा बसें खराब हालत में हैं...

श्री मोहनलाल छंगाणी : मैं जांच करवा लूंगा। मैं निवेदन करूंगा माननीय सदस्य को कि हम जल्दी ही बुकिंग एजेंट मुकर्रर कर रहे हैं। बुकिंग एजेंट अभी तक इसलिए नहीं थे कि हमने किराये के लिए डीनोमीनेशन टिकिट निकाले हैं जिनको वे समझ नहीं सके। बुकिंग आफिस वहीं पर होता है जहां कि तीन सौ रुपये का एवरेज हो। बुकिंग एजेंट मुकर्रर कर रहे हैं और जैसा मैंने आपको कहा कि समय सारिणी तैयार हो रही है, तैयार होते ही स्टेंड पर लगा देंगे। माननीय सदस्य ने कहा कि बसें और भी ज्यादा टूटी हुई हैं तो मैं इसकी जांच करवा लूंगा और जल्दी से जल्दी रिपेयर्स करवा दी जावेंगी।

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री हाजी जान मोहम्मद खां : सही टाइम बता दीजिए कि कब लगवा देंगे?

श्री मोहनलाल छंगाणी : आप थोड़ा जोर से बोलिए।

श्री हाजी जान मोहम्मद खां : कब लगा देंगे, टाइम बता दें।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अप्रेल में।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रघुनाथ बिश्नोई।

क्रोप इन्श्योरेन्स योजना

419. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सत्य है कि राजस्थान में अभी तक क्रोप इंश्योरेंस योजना लागू नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों? और यह योजना अब कब तक लागू कर दी जावेगी?

कृषि मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : इस प्रकार की योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : विचाराधीन कब से है और कब तक निर्णय कर लिया जावेगा?

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने क्रोप इन्श्योरेंस के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी का निर्माण किया था। उस एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के बेसिस पर पहले पहल पायलट तौर पर एक स्कीम गुजरात में चालू की गई थी और गुजरात के क्रोप इंश्योरेंस के इम्पेक्ट को देख कर एल.आई.सी. के माध्यम से काम शुरू किया गया था तो हमने भी अपनी योजना भेजी थी कि गंगानगर में कपास पर यह स्कीम लागू हो। हमसे भारत सरकार ने उसकी सूचना मांगी और हमने सारी की सारी सूचना भेज दी। उसके बाद में फिर भारत सरकार से पत्र आया कि क्या और क्षेत्रों में भी लागू करना चाहते हो? हमने फिर अपनी योजना भेज दी। जो डिटेल्स चाहिए थे वे भी भेज दिए। हमने निवेदन किया कि चम्बल क्षेत्र में भी इस योजना को लागू करना चाहते हैं। इस पर एक क्वेश्चनर भेजा, कुछ डेटाज और डिटेल्स चाहीं, वह डेटा भी हमने भेज दिये और भेजने के बाद यह सारी स्कीम एल. आई. सी. के पास गई और कोर्पोरेशन को हमने निवेदन किया कि इन दोनों जगह पर, चम्बल और गंगानगर में कपास के लिए और दूसरी क्रोप्स पर पायलेट बेसिस पर लागू करना चाहते हैं। इसके पहले यह देखना पड़ेगा कि क्या जो गुजरात में स्कीम लागू हुई थी उसका किसानों को लाभ हो पाया? यह सोचने का सवाल है। गुजरात में इसका बेसिस यह था कि 35) रुपये का प्रीमियम लेने के बाद में एक एकड़ में 700 किलो प्रति एकड़ की क्रोप वहां पर इंश्योरेंस की गई। अगर सात सौ किलो से कम क्रोप होती है तो प्रीमियम देने के बाद ढाई रुपया प्रति किलो के हिसाब से इंश्योरेंस का पैसा किसानों को देते हैं। अभी इसको देख रहे हैं कि उससे कितने किसानों को लाभ-हानि होती है। हमने पायलेट बेसिस पर चम्बल और गंगानगर में यह योजना लागू करने के लिए कोर्पोरेशन को लिखा और हमने निवेदन किया कि इसे लागू किया जाय। अभी यह योजना उनके पास है। उन्होंने हमें सूचित किया है कि मार्च 76 से पहले कोई निर्णय नहीं कर सकते हैं। इसलिए जहां जहां पर यह स्कीम लागू होती वह मार्च 76 के बाद यानि अगले वार्षिक बजट में लागू होगी।

श्री शंकरलाल (पाली) : राज्य सरकार ने क्या इस बात का सर्वे कराया है कि यह योजना कौन कौन से प्रान्तों में लागू है और उनका क्या एक्सपीरियेंस रहा है?

श्री शिवचरण माथुर : यह मैंने निवेदन किया है कि गुजरात में ही पहले पहले पायलेट बेसिस पर लागू की गई है। गुजरात ही वह पहला राज्य है जहां कपास पर यह योजना लागू की गई थी और उसके बेसिस पर ही एग्जामिन कर रहे हैं और वहां के एक्सपीरियेंस के बेसिस पर एग्जामिन कर रहे हैं एल. आई. सी. में कि कितना प्रीमियम होगा। जब वे प्रीमियम बतायेंगे तब यह स्कीम हमारे यहां पर लागू करने वाली बात की जाएगी। जो डेटा उन्होंने मांगा था वह डेटा सप्लाई कर दिया है और उस डेटा के बेसिस पर ही हम चाहते हैं कि चम्बल और गंगानगर में यह योजना लागू हो। वह कहते हैं कि हम मार्च 76 के पहले आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं इसलिए एक अप्रेल 76 के बाद में ही निर्णय किया जावेगा।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (भीनमाल) : संसार में किसी देश में ऐसा इंश्योरेंस है क्या ? क्योंकि यह काफी पेचीदा मामला है।

श्री शिवचरण माथुर : यह जो आपसे कहा है यह काफी गंभीर और पेचीदा मसला है, आसान नहीं है। पायलेट बेसिस पर कर रहे हैं। एक्सटेन्सिव तरीके से इसको अभी नहीं कर रहे हैं। यह प्रयोग के रूप में कर रहे हैं और यह देख रहे हैं कि क्या क्या दिक्कतें सामने आती हैं। यह देखना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रणजीतसिंह।

आयुर्वेद प्रणाली में अनुसंधान

420. **श्री रणजीतसिंह** (पोसियां) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य में आयुर्वेद प्रणाली से परिवार नियोजन, केन्सर, धनुरवाई (टिटनेस), क्षय रोग, हृदय रोग, पागल कुत्ते के काटने आदि के इलाज के लिये क्या क्या अनुसंधान किये जा रहे हैं और इन पर गत 5 वर्षों से अब तक कितनी राशि व्यय की गई और उसके क्या परिणाम रहे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, आयुर्वेद (श्रीमती कमला) : राजस्थान आयुर्वेद अनुसन्धान मण्डल द्वारा परिवार नियोजन पर अनुसन्धान चालू है। गत 5 वर्षों में इन कार्यों हेतु कोई राशि विभाग ने व्यय नहीं की है।

श्री रणजीतसिंह : अब तक कितनी राशि व्यय की गयी है।

श्रीमती कमला : उदयपुर कालेज के अन्दर चर्म रोग का, नाहरू के रोग का, मोतीझरा, टी. बी. आदि का अनुसंधान चल रहा है और इसके लिए 1 लाख 27 हजार का बजट है। इसी प्रकार से रतनगढ़ में स्वास्थ्य के ऊपर अनुसंधान चल रहा है जिसका 50 हजार का बजट प्रावधान किया हुआ है। इसी प्रकार जयपुर में जो भारत सरकार रीजनल रिसर्च इन्स्टीट्यूट है, उसके द्वारा अनेक रोगों संग्रहणी, मधुमेह आदि पर अनुसन्धान चल रहा है जिसके ऊपर लगभग 6 लाख रुपया खर्चा हो रहा है। इसी प्रकार इस आगामी सत्र के बजट में 50 हजार रुपये का इस निमित्त प्रावधान किया गया है। अन्य रोगों के ऊपर इस राशि के व्यय से केवल अनुसंधान के कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इसके कोई नतीजे सामने आये हैं ? आयुर्वेद कालेजों द्वारा जो अनुसंधान किये जा रहे हैं, कुछ विशेष रोगों के ऊपर आयुर्वेद में जो अनुसंधान करवाये हैं, उनके नतीजे भी क्या कुछ सामने आये हैं ?

श्रीमती कमला : रतनगढ़ में स्वास्थ्य के ऊपर जो अनुसंधान किये गये हैं, उनके काफी अच्छे परिणाम सामने आये हैं। अच्छे प्रतिशत में सफलता मिली है। कुछ आइटम्स का जयपुर में रिसर्च हो रहा है, उदयपुर में जो अनुसंधान चालू है उनके कोई निश्चित परिणाम नहीं आये हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : ये कौन कौन से आइटम्स हैं ?

Page No 12

(12)

श्री रणजीत सिंह : नाहरू के रोग पर क्या अनुसंधान हुआ है ? और इसका प्रकोप कहां कहां पर है ?

श्रीमती कमला : नाहरू का रोग उदयपुर डिविजन के इलाके में और उसके आस पास के इलाकों में है। जोधपुर साइड में भी इसका प्रकोप है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जोधपुर, नागौर, बाड़मेर में इसका भयंकर प्रकोप है।

श्री रणजीत सिंह : पूरे जोधपुर डिविजन में इसका प्रकोप है।

श्रीमती कमला : मैंने अपने जवाब मे कहा है कि जोधपुर के कुछ इलाकों में है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है और जिन रोगों के बारे में पूछा है, उनका अनुसन्धान चल रहा है या नहीं, इसका तो कोई उत्तर ही नहीं दिया गया है अब तक।

श्रीमती कमला : माननीय सदस्य ने मेरे उत्तर को नहीं सुना···

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : क्या केन्सर, टिटनेस, हाइड्रोफोबिया पर कोई अनुसन्धान चल रहा है ? यदि हां, तो कहां कहां ? और नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती कमला : मैंने बताया है कि अनुसन्धान केवल परिवार नियोजन पर चल रहा है। इन रोगों के ऊपर कोई अनुसन्धान नहीं किया गया है और न ही कोई राशि खर्च की गयी है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : परिवार नियोजन पर जो अनुसन्धान हुए हैं, उसके क्या नतीजे आये हैं ?

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्षजी, अभी यह जो अनुसन्धान चल रहे हैं उनमें अभी चार, पांच महीने पहिले ही काम शुरू किया है और नतीजे का पता लगने में अभी देरी है। इसलिए इसके बारे में कुछ कह सकना अभी सम्भव नहीं है। उम्मीद है कि सौ प्रतिशत नतीजा अच्छा निकलेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : केन्सर की बीमारी का अनुसन्धान किया है। यह तो आज सबसे बड़ी प्राब्लम है ?

श्रीमती कमला : जैसा माननीय सदस्य को मालूम है जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान की स्थापना हो चुकी है। इसमें रिसर्च के लिए बहुत श्रेष्ठतम सुविधायें देने का प्रबन्ध किया गया है। विशिष्ट रोगों के ऊपर जल्दी से जल्दी जैसे ही यह संस्थान काम शुरू करेगा-इस काम को टेक अप किया जायेगा।

श्री हाजी जान मोहम्मद खां : झालावाड़ जिले में भी नाहरू रोग का प्रकोप है ?

श्रीमती कमला : नाहरू का आमतौर पर इलाज हो जायेगा तो वह इलाज सब जगह लागू हो जायेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मुनीमजी जहां पर है वहां अन्य इलाज की क्या आवश्यकता है ?

श्री गौरीशंकर मुनीम : शुद्ध पानी नहीं मिलता है इस कारण से यह रोग होता है। शुद्ध पानी की व्यवस्था कर दीजिये।

प्रश्न सं. 421

श्री. उपाध्यक्ष : श्री मालाराम ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल ।

कृषि उपज मण्डी समिति गंगापुर सिटी द्वारा सड़कों का निर्माण

422. **श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (श्री गंगापुर) :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मंडी समिति, गंगापुर सिटी गांवों को गंगापुर से जोड़ने के लिये सड़कों का निर्माण करवा रही है ? यदि हां तो अब तक किन–किन सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है ? किन–किन सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है तथा किन–किन गांवों की सड़क के निर्माण कार्य विचाराधीन है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) इन सड़कों को गांवों से जोड़ते समय क्या मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं ?

कृषि मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) जी हां, अभी तक गंगापुर सिटी मण्डी को गांवों से जोड़ने वाली किसी भी सड़क का कार्य पूरा नहीं हुआ है । जिन सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है तथा जिनके निर्माण कार्य विचाराधीन हैं उनकी सूची प्रस्तुत है ।

(2) बोर्ड की नई मान्यता के अनुसार पहले 2500 की आबादी वाले गांव, फिर 1000 तथा अन्त में 500 की आबादी वाले गांवों को सड़कें बनाई जायेंगी । यदि इन जनसंख्या वाले गांवों में पहले से ही सड़कें उपलब्ध हों तो कम आबादी के गांवों में भी सड़कें बनाई जा सकेंगी ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–1 देखिये)

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : यह जो मंत्री महोदय ने बताया है कि किसी भी सड़क का कार्य पूरा नहीं हो पाया है, इसका कारण यह है, उपाध्यक्ष महोदय, पी. डब्ल्यू डी. रोड रोलर नहीं देती है । सड़कों पर सोलिंग बिछ जाती है-उसके बाद का कार्य अधूरा पड़ा है । मेरा निवेदन है कि कृषि विपणन बोर्ड को रोड रोलर खरीदने दिया जाये ।

श्री शिवचरण माथुर : रोड रोलर खरीदने की अभी आवश्यकता तो नहीं है क्योंकि वह किराये पर भी मिल जाता है । रोड रोलर खरीदना हमारे साधन पर निर्भर करता है । इस वर्ष में भी हमारे बोर्ड ने 6 रोड रोलर खरीदे हैं । इसलिए मैं आवश्यक नहीं समझता कि सारी की सारी जगह के लिए रोड रोलर खरीदें । देश में बहुत से किराये पर मिलते हैं । जहां तक सड़क के निर्माण का सवाल है, मैं निवेदन कर दूं कि हम ने खासतौर से जो काम हाथ में लिये हैं उनको पूरा किया जायेगा । ऐसा नहीं है कि बीच में मिट्टी डाल दी, उसके बाद सोलिंग और प्रेस नहीं किया । जितना भी काम हाथ में लिया जायेगा, उसको पूरा किया जायेगा । मण्डी समितियों में जितने साधनों की बढ़ोतरी हो रही है मैं समझता हूं कि उससे कोई

(श्री शिवचरण माथुर)

दिक्कत नहीं आने वाली है, केवल यह सवाल आता है कि व्यवस्था क्या हो? इसलिए बोर्ड का राज्य सरकार ने समर्थन किया है और इस बात का निश्चय किया गया है कि योजनाबद्ध तरीके से सड़कों का विकास किया जाये। जैसा पहले निवेदन किया है, यह रखा है कि पहले जो नेशनल हाईवे हैं, स्टेट हाई वे हैं, इन्टर डिस्ट्रिक्ट रोड्स है, जहां जहां उनके किनारे पर लगे हुए गांव हैं उनको आबादी के हिसाब से प्राथमिकता दी जाय, इसलिए यह प्राथमिकता निर्धारित की है जो 2500 की आबादी का गांव है उसको सड़क से जोड़ दिया जाये। मण्डी समिति से उनको जोड़ने का काम पहले लिया जाये और उसके बाद 2500 से कम आबादी वाले जो गांव हैं उनको लिया जाये। इस प्रकार धीरे-धीरे योजनाबद्ध तरीके से क्रमानुसार सड़कों का एक जाल मण्डी समिति द्वारा बिछा दिया जाये।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : मेरा मतलब तो यह है कि जो अधूरे कार्य हैं, जो किसी कारण से रुके हुए हैं और उनके लिये रोड रोलर पी. डब्ल्यू. डी. नहीं दे रहा है और रोलर के कारण सड़क अधूरी पड़ी हैं, उनको पूरा करवाने के लिए आप रोड रोलर भिजवायें। रोड रोलर नहीं मिलेगा तो कार्य पूरा नहीं होगा।

श्री शिवचरण माथुर : मण्डी समिति द्वारा जो सड़क निर्माण करवाया जा रहा है, उसका पी. डब्ल्यू. डी. से कोई ताल्लुक नहीं है। बोर्ड अपने आप, अपनी ओर से इन कार्यों को करवायेगा।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : पी. डब्ल्यू. डी. से रोलर मांगा गया तो उसने देने से इन्कार कर दिया। इस कारण सड़क अधूरी है।

श्री शिवचरण माथुर : मैं इसकी जानकारी करूंगा और आवश्यक व्यवस्था कर दूंगा।

श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) : उपाध्यक्ष महोदय ....

श्री उपाध्यक्ष : रोड रोलर के बारे में कह रहे हैं?

श्री मीठालाल मीणा : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग की तरह ही कृषि उपज मंडी समिति भी विभागीय तरीके से या ठेकेदारी प्रथा से सड़कों का निर्माण करवाना चाहती है? क्या यह ठेकेदारी प्रथा खत्म करने का विचार रखते हैं कृषि उपज मंडी समिति में? क्या गंगापुर सिटी मंडी समिति द्वारा जो सड़कें बनाई जा रही हैं उनके बारे में कुछ सदस्यों द्वारा ऐतराज उठाया गया है। इसकी शिकायत भी आई है तो इसके बारे में मंत्री महोदय द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है? और कार्यवाही नहीं की गयी है तो क्यों नहीं की गई?

श्री शिवचरण माथुर : ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने का सवाल जहां तक है मैं समझता हूं कि सिद्धान्त रूप से हम इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन इसको कहां तक कर पायेंगे यह आज कहना कठिन है। आज भी बहुत से मेटेरियल

Page No 15

(15)

(श्री शिवचरण माथुर)

की सप्लाई के लिए ठेकेदारों पर डिपेन्ड करना पड़ता है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनमें पूर्ण रूप से सफलता की स्थिति में अपने आपको नहीं पाते हैं, लेकिन कोशिश यह की जायेगी कि शनैः शनैः इस प्रथा को समाप्त किया जाय और अपनी तरफ से काम कराया जाय।

जो माननीय सदस्य ने गंगापुर में बनी हुई सड़कों के बारे में शिकायत की है वह मेरी जानकारी में नहीं है। अगर कोई शिकायत उन्होंने की है तो उसकी जानकारी कराऊंगा।

श्री मीठालाल मीणा : मैंने शिकायत नहीं की है बल्कि कृषि विपणन समिति के सदस्यों ने शिकायत की है कि ऐसे ठेकेदारों को, जिनकी रेट ज्यादा थी, काम दे दिया और नीचे की रेट वालों को नहीं दिया। उसकी शिकायत सदस्यों ने की है।

श्री शिवचरण माथुर : वह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री मीठालाल मीणा : जानकारी में नहीं है तो मालूम कराकर उसकी जांच करायेंगे?

श्री शिवचरण माथुर : मेरी जानकारी में नहीं आई है।

श्री मीठालाल मीणा : जानकारी में नहीं हो लेकिन ऐसी शिकायत आई है या नहीं आई है, यह मालूम करायेंगे? और अगर आई है तो क्या उसकी जांच करा लेंगे?

श्री शिवचरण माथुर : जरूर।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

ग्राम राड़ावास (जिला जयपुर) में डिस्पेन्सरी

423. श्री हनुमानसहाय व्यास (बंराठ): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सच है कि ग्राम राड़ावास, जिला जयपुर में डिस्पेन्सरी खोले जाने हेतु सन् 1956 से राज्य सरकार ने विचार कर 1966 में खोलने का निर्णय लिया था? यदि हां, तो अब तक डिस्पेन्सरी नहीं खोलने के क्या कारण हैं? और अब सरकार कब तक खोलने का विचार रखती है?

चिकित्सा मंत्री (श्री मोहनलाल छंगाणी): जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

श्री हनुमानसहाय व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि 72–73 का बजट जब इस सदन में पेश हुआ था तो राज्य सरकार ने यह जानकारी दी थी कि वित्तीय अभाव से राज्य सरकार द्वारा अभी डिस्पेन्सरी खोलना संभव नहीं है। चूंकि वित्तीय स्थिति अब सरकार की अच्छी है तो क्या सरकार उस डिस्पेन्सरी को खोलने का विचार रखती है?

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, राड़ावास की आबादी 2305 की है और उसमें एक आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरी नहीं है। आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरी नहीं होने के कारण अब खोलनी ही है तो विचार करेंगे, लेकिन 5 हजार की पापुलेशन का रखें या कम का रखें आधार, यह आधार तय हो जायेगा

(श्री मोहनलाल छंगाणी)
और उस आधार में राडावास आयेगा तो विचार करेंगे।

श्री हनुमानसहाय व्यास : राडावास ग्राम के लिए डाइरेक्टर आफ मेडिकल एण्ड हैल्थ सर्विसेज ने 59, 66 और 67 में यह चिट्ठी लिखकर दी है कि आपकी डिस्पेन्सरी खोलना सरकार ने स्वीकार कर लिया है। उस चिट्ठी के आधार पर 70 हजार रुपया खर्च करके जनता ने मेडिकल डिस्पेन्सरी की बिल्डिंग बनाई है। जिस समय दो साल पहले दौसा में डाइरेक्टर आफ मेडिकल एण्ड पब्लिक हैल्थ का हैड क्वार्टर था तो उस वक्त उस बिल्डिंग का इन्सपेक्शन करके उसने रिपोर्ट दी है। क्या वह भवन इसी तरह से पड़ा रहेगा ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : वैसे अपने आप में बिल्डिंग बनाने की बात नहीं है। अगर ऐसी चिट्ठी लिखी है तो अभी तक अस्पताल खुल जाना चाहिए था। मेरे ख्याल से वैसे अपने आप में भवन बनाना कोई मायने नहीं रखता है। हमारा जो प्रोसीजर है उस हिसाब से पहले हमारी एप्रूवल ली जाय, और हमसे भवन का नक्शा लिया जाय और उस हिसाब से इक्विपमेंट बनाये जायं। हम रिकमण्ड करते हैं तो हास्पिटल खोलते हैं। तो ऐसे अस्पतालों के भवन हैं जो बिना किसी एप्रूवल के बनाये गये हैं और उनमें डिस्पेन्सरी खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे 70 अस्पताल और आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरीज के लिए भवन बने हुए हैं। मेरे पास वैसे जानकारी नहीं है कि डाइरेक्टर आफ मेडिकल एण्ड हैल्थ सर्विसेज ने कभी ऐसा लिखा है कि आप भवन बना दें तो हम डिस्पेन्सरी खोल देंगे। अगर ऐसी बात है कि डाइरेक्टर आफ मेडिकल एण्ड हैल्थ सर्विसेज ने लिखकर दिया है 66-67 में तो मैं अभी खोल दूंगा। अगर नहीं लिखा है तो आधार के अनुसार खोलेंगे।

श्री हनुमानसहाय व्यास : लिखा हुआ मैं पेश कर दूंगा फिर तो आप चालू कर देंगे ?

कई माननीय सदस्य : कह दिया है कि खोल देंगे।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अगर यह लिखकर दिया है कि भवन बना दें तो डिस्पेन्सरी खोल देंगे तो खोल देंगे, और अगर यह लिखकर दिया है कि विचार करेंगे तो मैं असमर्थ हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भोमाराम।

नागौर जिले में रोली रोग से फसल को क्षति

424. श्री भोमाराम चौधरी (डीडवाना) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नागौर जिले में इस वर्ष में रबी की फसल में "रोली" नामक बीमारी फैली ? यदि हां, तो किस-किस क्षेत्र में एवं कितने प्रतिशत फसलों को क्षति हुई ?

(2) इस रोली रोग की रोकथाम व फैल जाने पर निवारण के लिए क्या क्या प्रयत्न कब-कब किस अधिकारी ने किये ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इस रोग

(श्री भोमाराम चौधरी)
से क्षतिग्रस्त कृषकों को उनकी फसलों का मुआवजा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) जी हां। वर्ष 75–76 में नागौर जिले की डेगाना, परबतसर, कुचामन व रीयां पंचायत समितियों में 3925 हैक्टर गेहूं क्षेत्र में रोली रोग लगा है। रोग से काश्तकारों को होने वाले नुकसान का सही पता खड़ी हुई फसल पर लगाना कठिन है। प्रतिशत क्षति की जानकारी राजस्व अधिकारियों द्वारा दी जा सकती है।

रोग की रोकथाम के लिए विभाग ने दिनांक 19–12–75 को जिला कृषि अधिकारियों को रोली के संभावित प्रकोप के व्यापक सर्वेक्षण एवं रोकात्मक उपचारात करने हेतु सजग कर दिया गया था। तत्पश्चात् खंड स्तरीय सहायक पौध संरक्षण अधिकारी जोधपुर ने पंचायत समिति रीयां, डेगाना, परबतसर व कुचामन के गेहूं के क्षेत्र का सर्वेक्षण किया तथा स्थिति को देखते हुए जिलाधीश व जिला कृषि अधिकारी की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जिले में महामारी घोषित करवा कर रोग के प्रसारण पर रोग के लिए कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान व 50 प्रतिशत ऋण पर फफूंदनाशक रसायन उपलब्ध करवाया गया विभाग द्वारा समय पर फफूंदनाशक रसायन व उपकरणों की व्यवस्था कर दी गई थी। नुकसान का मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है।

श्री भोमाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, रोली के लिए परबतसर, कुचामन, डेगाना व रीयां के लिए बतलाया। उसमें डीडवाना भी है लेकिन उसका नाम नहीं बताया, इसका क्या कारण है ?

श्री दीपंकर (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया यह बताने का कष्ट करें कि दो–तीन तहसीलों का नाम लिया है उनके अलावा नागौर जिले के डीडवाना सब-डिविजन के इतने बड़े क्षेत्र के अन्दर इस रोली का प्रकोप है। नागौर जिले में कितने अनाज का नुकसान हुआ है, इसके क्या आपके पास में फिगर्स हैं? अगर हैं, तो उसकी रोकथाम के लिए पर्मानेन्टली क्या मेजर्स लिए हैं ताकि काश्तकारों को यह बताया जा सके ?

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया है कि नागौर जिले में कुल मिला कर 3925 हैक्टर जमीन पर रोली का प्रभाव पाया गया है। उसकी जानकारी करने के बाद में उससे अधिक एरिया में, जो कुल मिला कर 9812 एकड़ जमीन की खेतो पर महामारी घोषित करने का तय किया गया है। वह इसलिए किया गया है कि जहां इफेक्टेड फसलें हैं उनके आसपास की फसलों पर रेग्यूलेटेड एक्शन ले लेते हैं तो उन फसलों पर उसका असर कम रहता है ता जितनी फसलें प्रभावित है उससे अधिक क्षेत्र पर महामारी घोषित करके कार्यवाही की है। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए निवेदन कर दूं कि 18-3-76 तक की जानकारी मेरी है उसके अनुसार नागौर जिले में कुल मिला कर 5966 एकड़ जमीन पर छिड़काव की व्यवस्था कर दी गई है, और जैसा कि मैंने

(श्री शिवचरण माथुर)
पहले निवेदन कर दिया था कि जो फसलें इफेक्टेड हो गई हैं उनको बचाना कठिन है, रस्ट से उन फसलों को नहीं बचा सके है, लेकिन उन फसलों के अलावा, बहुत बड़े पैमाने पर इफेक्टेड एरिया के अलावा और एरिया में एपिडेमिक डिक्लेयर करके एडवान्स एक्शन लेने की कोशिश की है। उससे फसल को बचाने में काफी मदद मिली है।

श्री दीपंकर : क्या इसमें डीडवाना और लाडनूं तहसीलें भी शामिल हैं? इसमें आपने नाम नहीं दिये हैं। वहां पर इफेक्ट हुआ है। इस बीमारी से फसलें नष्ट हुई हैं।

श्री शिवचरण माथुर : डीडवाना और लाडनूं की मेरे पास में जानकारी नहीं है कि वहां पर भी फसलों को नुकसान हुआ है। अगर है तो इसकी जांच करा लेने के बाद में वहां पर भी व्यवस्था कर देंगे।

श्री भोमाराम चौधरी : 1 तारीख से पहले वहां पर रोली का प्रकोप हुआ है और जो सड़क नागौर से कुचामन जाती है, नावां जाती है वह डीडवाना होकर जाती है, वहां पर सड़क के किनारे गेहूं के खेत खड़े हैं। आपके अधिकारी वहां जाते हैं तो क्या देखते हैं?

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना) : क्या मंत्री महोदय बता सकते हैं कि रोली एक महामारी है तो रोली किन कारणों से आती है और किस तरह के जलवायु में लगती है? क्या कृषि विभाग सक्षम है इस बात को जानने के लिए कि अब रोली लगने वाली है या नहीं लगने वाली है? अगर इस बात को जानते हैं तो प्रोटेक्शन के लिए पहले से कार्यवाही होनी चाहिए। रोली लगने के बाद इसका इलाज करते हैं और प्रोटेक्शन के लिए कार्यवाही नहीं करते हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनूं) : मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहती हूं, वे कृपया बतायें कि अब फसल कटने को आ गई है तो क्या उपाय करेंगे? जहां फसल उठ गई है खेतों में से तो क्या करेंगे? दूसरे, माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या उनके डिपार्टमेंट ने जिस वेराइटी का बीज दिया है उन वेराइटीज में भी रोली लगी है?

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : पहले इनका जवाब आने दें।

श्री शिवचरण माथुर : एक सवाल यह किया गया है कि रोली लगने का कारण क्या है। मैं कई बार इस सदन में निवेदन कर चुका हूं कि...

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : संक्षेप में फर्माइये।

श्री शिवचरण माथुर : यह बीमारी उत्तर में हिमालय से और दक्षिण में नीलगिरी से आती है। जब अधिक वर्षा होती है तो इसके लगने का खतरा है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, इसको रोकने का सबसे सीधा तरीका यह है कि जो भी वेराइटीज राष्ट्र के लिए बांटी गई हैं उनको बोयें।

(श्री शिवचरण माथुर)

मैं यह कहता हूं कि जो वैराइटी सजेस्ट की गई थीं उनमें नहीं लगा है। उनमें लगा है, लेकिन कम लगा है। ऐसे बहुत से किसान हैं जिनको बोने के लिए मना किया गया था रोली देशी गेहूं की वैराइटी में लगी है। इसके लिए पहले ही किसानों को आगाह किया गया था। राज्य सरकार यह विचार कर रही है कि आने वाले वक्त में ऐसी वैराइटीज को रोकने के लिए सरकार क्या कर सकती है। उनमें से हम वैराइटीज का एस्टीमेट करने के लिए कार्य कर रहे हैं। इसलिए हम इन सारी बातों पर विचार कर रहे हैं। पहले से यह कहना कि उनमें लग ही जाएगा, वह सम्भव नहीं है। यह भी सम्भव नहीं है कि सारे इलाके में दवाई छिड़कवा दो जाए। महामारी तभी घोषित कर सकते हैं जब यह सारे इलाके में उसी प्रकार से हो। 50% अनुदान तभी दे सकते हैं जब वह भी 50% अपनी ओर से दें। वह भी नहीं दे पाते हैं। हमने उसके लिए कर्जे के लिए भी व्यवस्था की है। इसके लिए किसान तैयार नहीं हो पाते हैं। आने वाले सीजन के लिए हम विचार कर रहे हैं कि पहले से क्या किया जा सकता है। कानून के जरिये से ऐसी वैराइटीज पर रोक लगाने के लिए सरकार विचार कर रही है।

(व्यवधान : अश्रव्य)

(व्यवस्था सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। (व्यवधान) आर्डर प्लीज।

राजकीय व प्राइवेट उद्योगों में राजस्थान-वासियों को नौकरी

425. श्री भुवनेश चतुर्वेदी (कोटा) : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजकीय उद्योगों तथा प्राइवेट उद्योगों में राजस्थान-वासियों को नौकरी दिये जाने की क्या नीति है ?

(2) क्या राज्य सरकार "सन्स आफ दी सोयल" की नीति में विश्वास रखती है ? यदि हां, तो उसकी क्रियान्विति के लिए क्या कर रही है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या सरकार यह जानती है कि प्राइवेट उद्योगों में अधिकतर अधिकारी स्तर की भर्ती राजस्थान के बाहर रहने वालों में से होती है ?

(4) क्या सरकार ने इस तथ्य की जानकारी के लिए कोई सर्वे कराया है ?

श्रम मन्त्री (श्री मोहनलाल छंगाणी) : (1) राज्य सरकार निम्न एवं मध्यम श्रेणी को रिक्तियां यथा सम्भव स्थानीय आशार्थियों से भरी जाने की नीति को उचित मानती है किन्तु संविधान के आर्टिकल 16 में परिभाषित राजकीय नौकरियों में समान अवसर के मौलिक अधिकारों में किसी प्रकार का हेर-फेर या संशोधन करना केवल संसद का अधिकार क्षेत्र है। इस सम्बन्ध मे नेशनल इण्टीग्रेशन कौंसिल एवं लेबर कौंसिल की सिफारिशों पर भारत सरकार विचार कर रही है। और उनका निर्णय समान राज्यों में एक रूप से लागू होगा। प्रादेशिक स्तर पर इसे तब तक वैधानिक रूप देना सम्भव नहीं।

(2) जी हां। उपरोक्त सीमाओं तक। वैसे राजकीय उद्योगों में 600/–

(श्री मोहनलाल छंगाणी)
रुपये तक के मासिक वेतन की समस्त रिक्तियां स्थानीय नियोजन कार्यालय द्वारा भरी जाने के सम्बन्ध में आवश्यक राजकीय आदेश जारी किये जा चुके हैं। निजी उद्योगों में भी स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता देने के लिए नियोजकों पर 'मोरल प्रेशर' डाला जा रहा है एवं कोटा जिले मे स्थित समस्त निजी उद्योगों को सरकार द्वारा विशेष अनुरोध पत्र सम्बोधित किया गया है जिससे एक हजार रुपये मासिक वेतन तक की समस्त रिक्तियां स्थानीय नियोजन कार्यालय द्वारा भरी जाने की अपेक्षा की गई है।

(3) वरिष्ठ प्रशासकीय एवं तकनीकी नियुक्तियां राष्ट्रीय स्तर पर पारस्परिक गुण एवं योग्यता के आधार पर की जाती हैं।

(4) जी नहीं। ऐसा सर्वे तभी सार्थक हो सकता है जब उसके समाधान का वैधानिक हल हासिल हो।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : श्रम मन्त्री महोदय, यह बताने की कृपा करें कि मोरल प्रेशर की क्या परिभाषा है। इलस्ट्रेटेड वीकली में जो छपा हुआ है, वह मैं आपके सामने पढ़ता हूं।

"A youngman from Indore invited to appear before a Selection Board in Jaipur, was beaten up and prevented from appearing in the interview by local thugs, who did not want to give job to an outsider but to a Rajasthani."

मैं श्रम मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आपकी नीतियों का गलत प्रचार हो और आप मोरल प्रेशर ही इस्तेमाल करते रहें। इसके खिलाफ आप क्या करना चाहते हैं? राज्य की नीति के बारे में आप क्या कर रहे हैं?

श्रीमती सुमित्रासिंह : उपाध्यक्ष महोदय ...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। You will have a chance.

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी में यह घटना नहीं आई है। अगर यह हुआ है तो वह पुलिस में जा सकते थे। सच्चा हो या झूंठा मेगजीन में कुछ भी आ सकता है। वह वेरीफाइड ट्रुथ नहीं है। उनके लिए प्रोसेस आफ लॉ खुला था।

एक माननीय सदस्य : यह झूंठा प्रचार है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा, वह इन्दौर वाले साहब से मिलें। वह यह कहें तो एक्शन लिया जा सकता है। मोरल प्रेशर का सवाल तो यह है कि हम इस सम्बन्ध में कानून नहीं बना सकते हैं आपके हिसाब से कि राजस्थानी को ही नौकरी मिले। कोटा के लिए एक कमेटी की राय थी कि 1000 रु. की नौकरी में वहां के लोगों को लें। लेकिन हर इण्डियन को यह अधिकार है कि कहीं भी वह अपने को एम्प्लायमेन्ट एक्सचेंज में दर्ज करा सकता है। इसका एक लम्बा इतिहास है। इण्टीग्रेशन कौंसिल में यह तय हुआ था कि लोकल आदमियों को तर्जीह

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

दी जानी चाहिए। इस बारे में कानून बदलना चाहिये। पार्लियामेन्ट में भी यह सवाल आया है और प्रधान मंत्री महोदया ने उसका उत्तर दिया है। यह इस प्रकार से कैसे किया जाये, इस बारे में प्रधान मन्त्री ने स्टेटमेन्ट दिया था। वह मैं पढ़ कर सुनाना चाहूंगा—

"It is a matter in which one has certain balance. While we stand for the principle that any Indian should be able to work in any part of India, at the same moment it is true that if a large number of people come from outside to seek employment in an area where there is unemployment among the local people there, that is a point to create tension in that area. Therefore, while I do not like the idea of having any such rule, one has to have some balance and see that the local people are not deprived of employment."

तो, उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए, जो यूनिट वाले हैं, वह बराबर कोशिश कर रहे हैं बजाय कानून बनाने के। इस कानून के सम्बन्ध में अगर इन्टीग्रेशन कौंसिल और लेबर कौंसिल को रिपोर्ट आ जाये तो उसके अनुसार लागू करें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा कानून बनाकर लागू किया है जिसके अनुसार 90% नौकरी महाराष्ट्र वालों को दी जानी चाहिये।

श्री मोहनलाल छंगाणी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें हम नहीं जाते हैं। इसके परिणाम काफी बुरे निकले हैं। वहां पर साउथ इण्डियन्स को मारा गया, पीटा गया। इस प्रकार की राजस्थान में भी प्रवृत्ति हो इसके लिए राजस्थान तैयार नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह भी स्थिति है कि सारे राजस्थान में जिन उद्योगपति ने बड़े बड़े उद्योग लगाये हैं, उनमें काम करने वाले राजस्थान के नहीं बाहर के हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, अधिकांश राजस्थान के हैं। माननीय सदस्य वहां टाप के लोगों से ही मिलते हैं जो कि राजस्थान के नहीं हैं। इसलिए माननीय सदस्य को मालूम नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय····

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह प्रश्नावली मिली है, इसमें कई प्रश्न ही नहीं हैं। कई पृष्ठ ब्लैंक हैं? (प्रश्नावली दिखाते हुए) क्या यह मुझे ही मिली है?

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह भी ब्लैंक है?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक बार मुझे भी ऐसी ही मिली थी।

Page No 22

(22)

श्री श्रीराम गोटेवाला : झुंझुनूं का पानी• • • •

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह तो आपको ब्लैंक चेक दिया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय श्रम मन्त्री जी उद्योगपतियों से मिलते हैं। कोटा में अधिकांश उद्योग ऐसे हैं जिनमें अधिकांश लेबर बाहर के हैं। वहां पर राजस्थान के 40% से अधिक नहीं हैं। मैं आपसे यह निवेदन करूं कि सारी फेसिलिटीज देने के बाद क्या सरकार उनको बाध्य नहीं करेगी कि 90 पर्सेन्ट को नहीं दे सकें तो कम से कम 70 पर्सेन्ट को तो नौकरी दें ?

श्री मोहन लाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, अभी मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं है, कितने राजस्थानी हैं और कितने गैर राजस्थानी। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि अधिकांश राजस्थानी वहां पर नौकरी करते हैं।

(शोरगुल–अश्रव्य)

कुछ टेक्निकल आदमी नहीं मिलते हैं सो बाहर से भी, रेवाडी से भी लेने पड़े हैं। वैसे आप सिद्धांत रूप से यह कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के आ जायेंगे या बाहर के आ जायेंगे तो कोई छुआछूत की बीमारी हो जायगी। लेकिन अगर ऐसा है कि राजस्थान के लोगों को तरजीह नहीं दी जाती है तो मैं इसकी जांच करवाऊंगा।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधी नगर, जयपुर) : 75 पर्सेन्ट लोग वहां पर राजस्थानी हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : दूसरे प्रान्तों के लोग यहां पर आकर बस गये हैं तो आप क्या उनको राजस्थानी नहीं मानते हैं ?

श्री मोहन लाल छंगाणी : राजस्थानी और गैर राजस्थानी का प्रश्न नहीं है, हर हिन्दुस्तानी को नौकरी पाने का हक है। लेकिन जहां पर अनएम्पलायमेन्ट ज्यादा फैल रहा है वहां यह अधिकार देते हैं कि लोकल आदमियों को तरजीह दी जावे।

श्री दिनेशराय डांगी (देसूरी) : जयपुर मैटल्स में जो छंटनी की जा रही है, वहां पर छोटे आदमियों को निकाल रहे हैं और उनसे जबरदस्ती इस्तीफे ले रहे हैं। बड़े आफिसरों को भी, जो दो-तीन हजार की तनख्वाह पाते हैं, कहा जा रहा है, इसके लिये सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री मोहन लाल छंगाणी : यह एक अलग से प्रश्न है। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिये निवेदन कर दूं कि इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत जयपुर मैटल्स के खिलाफ कार्यवाही चल रही है। इस सम्बन्ध में हमने आज भी मीटिंग रखी है। जो वे टॉप के ऑफिसर रखते हैं, उनको हम चैक भी नहीं कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट–2 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

नीम का थाना से (वाया मांवडा) नारनौल मार्ग पर बस सर्विस

421. श्री मालाराम (नीम का थाना): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राज्य सरकार नीम का थाना से वाया मांवडा और वाया खोखरडा से नारनौल तक जिसके अन्तर्गत 20 गांव पड़ते हैं, बस चलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं।

नीम का थाना मांवडा राष्ट्रीयकृत मार्ग है और इस पर निगम द्वारा वाहन संचालन किया जा रहा है। मांवडा नारनौल वाया खोखरडा कच्चा मार्ग है और अभी तक प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा यह मार्ग नहीं खोला गया है। इसके अतिरिक्त यह अन्तर्राज्यीय मार्ग है एवं जब तक राजस्थान एवं हरियाणा के मध्य इस मार्ग के बारे में अन्तर्राज्य समझौता नहीं हो जाता तब तक इस मार्ग पर वाहन संचालन सम्भव नहीं है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

करौली तथा सपोटरा में गन्ने की खेती

222. श्री बृजेन्द्रपाल सिंह (करौली): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

पिछले तीन वर्षों में (1973-1974 तथा 1975) में करौली तथा सपोटरा तहसील में गन्ने की खेती के अन्तर्गत कितनी भूमि (हैक्टर) थी ?

उत्तर

करौली तथा सपोटरा तहसीलों में गन्ने की खेती के अन्तर्गत सन् 1973-74 से 1975-76 तक निम्नलिखित भूमि थी:—

तहसील का नाम	1973-74	1974-75	1975-76 (हैक्टर में)
करौली	298	499	444
सपोटरा	192	323	324

लेवी न देने पर दर्ज मुकदमे

223. श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जोहरी बाजार, जयपुर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में 73-74 एवं 74-75 में लेवी न देने के कारण कितने मुकदमे दर्ज किये गये? इनमें से 5 बीघा आराजी से ज्यादा जमीन रखने वालों की तादाद क्या है ?

(2) क्या यह सही है कि आपके द्वारा यह विश्वास दिलाया गया था कि जो छोटे काश्तकार लेवी जमा करा देंगे, उनके मुकदमे वापिस ले लिये जायेंगे ? यदि हां, तो ऐसे कितने मुकदमे वापिस लिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं लिये गये ? 74-75 में लेवी का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया ? यह किस हद तक पूरा हुआ ?

उत्तर

(1) राज्य में 73-74 एवं 74-75 में लेवी न देने के कारण क्रमशः 1634 एवं

(कृषि मन्त्री)
1473 मुकदमे दर्ज किये गये। इनमें से 5 बीघा आराजी से ज्यादा जमीन रखने वालों की तादाद क्रमशः 1212 व 1511 है।

(2) जी हां, जिन काश्तकारों ने अब तक लेवी जमा करा दी हैं उनमें से 734 के मुकदमे वापिस लिये जा चुके है। इसके अलावा 99 के अभियोग वापिस लिये जाने हेतु गृह विभाग को लिखा हुआ है, शेष लेवी न देने से न्यायालय में मुकदमे चल रहे हैं।

गेहूं लेवी का लक्ष्य 1,75,000 टन निर्धारित था। लेवी 1,83,610 टन वसूल हुई है।

कृषि उपज शुल्क

224. श्री मीठालाल मीणा (लालसोट): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य में अव्यवहारिक कृषि उपज समिति शुल्क लगाने के विरुद्ध विभिन्न स्थानों के व्यापारियों द्वारा राज्य सरकार के विरुद्ध गत एक साल में कई रिट याचिकायें हाई कोर्ट में पेश की गई हैं? यदि हां, तो कितनी? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इस प्रकार के असंतुलित तथा अव्यवहारिक शुल्क को समाप्त करने के लिये व्यापारियों के साथ बैठ कर बातचीत कर उक्त मामले का सही हल निकालेगी? यदि हां, तो कैसे और कब? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या हाई कोर्ट द्वारा उक्त प्रकार के शुल्कों की वसूली पर स्थगन आदेश दिये गये है? यदि हां, तो किस शर्त पर? आदेशों की एक प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अभी तक प्रस्तुत रिट याचिकाओं की सूची संलग्न है।

(2) यह शुल्क असन्तुलित तथा अव्यवहारिक नहीं है। जहां तक व्यापारियों के साथ इस विषय में बातचीत करने का प्रश्न है, ऐसी कई बार बातचीत हो चुकी है, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि व्यापारी वर्ग व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने को तत्पर नहीं है।

(3) जी हां, स्थगन प्रस्ताव की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। इसमें हाई कोर्ट ने मण्डी शुल्क वसूल कर उसका अलग से हिसाब रखने के निर्देश दिये हैं, जिनका पालन किया जा रहा है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

दौसा अस्पताल में रेफ्रीजिरेटर की व्यवस्था

225. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सही है कुछ विशेष औषधियां रेफ्रीजिरेटर्स में ही सुरक्षित रखी जा सकती हैं? यदि हां, तो क्या दौसा अस्पताल में इस प्रकार की व्यवस्था है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां।
दौसा अस्पताल का रेफ्रीजिरेटर माह

(चिकित्सा मंत्री)
दिसम्बर, 1975 से खराब हो गया है उसे शीघ्र ही ठीक करवा लिया जाएगा।

भरतपुर में नर्सिंग स्टाफ से किराये की वसूली

226. श्री करनसिंह (डीग) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सामान्य चिकित्सालय, भरतपुर के नर्सिंग स्टाफ से मकान किराया वसूली अब क्यों की जा रही है जब कि वे अपनी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार निःशुल्क आवास गृह, निःशुल्क बिजली एवं निःशुल्क पानी की सुविधाओं को पाने के अधिकारी हैं?

(2) क्या यह सही है कि भरतपुर सामान्य चिकित्सालय के आपरेशन थियेटर की गत 10 वर्षों से सफेदी तक नहीं हुई है?

(3) क्या यह सही है कि भरतपुर सामान्य चिकित्सालय के प्रांगण में कोई मूत्रालय नहीं है जिसके कारण रोगियों की देखभाल करने वाले व्यक्ति जगह जगह पेशाब करते फिरते हैं जिससे अस्पताल के अन्दर गन्दगी फैलती रहती है?

उत्तर

(1) यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) जी नहीं।

(3) वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर उपयुक्त व्यवस्था की जावेगी।

राज्य सरकार द्वारा नगरपालिकाओं एवं परिषदों को अनुदान

227. श्री गिरधारी लाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने घोषणा की थी कि नगरपालिकाओं और नगर परिषद् क्षेत्रों में हरिजनों को मैला ढोने की गन्दगी से बचाया जाने के लिये फ्लश तहारत बनाने के लिये अनुदान देगी?

(2) यदि हां, तो आज तक किस किस नगरपालिका और परिषदों को कितना अनुदान दिया गया है? सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

(3) क्या यह सही है कि कुछ पालिका और परिषदों ने स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग नहीं किया है? कृपया उनकी सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी नहीं, किन्तु गांधी जन्म शताब्दी वर्ष 1969–70 में राज्य सरकार ने समाज कल्याण विभाग द्वारा यथासंभव राशि उपलब्ध कराकर इस कार्य हेतु नगर० पालिकाओं/परिषदों को अनुदान स्वीकृत किया था।

(2) विभिन्न नगरपालिकाओं/परिषदों को विभिन्न प्रयोजनार्थ दिये गये अनुदान की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं। ऐसी कोई सूचना या शिकायत विभाग में प्राप्त नहीं हुई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

न्यूनतम वेतन को महंगाई सूचक अंक से जोड़ने के लिए समिति का गठन

228. श्री केशरीमल (ब्यावर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने न्यूनतम वेतन को मंहगाई सूचक अंक से जोड़ने के लिये एक कमेटी का गठन किया था? यदि हां, तो उस कमेटी की रिपोर्ट राज्य सरकार को कब मिली?

(2) राज्य सरकार ने उस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब? और अब राज्य सरकार उस रिपोर्ट के आधार पर कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन व मंहगाई भत्ता कब से दिलाने की व्यवस्था कर रही है? रिपोर्ट को कब से लागू किया जा रहा है?

उत्तर

(1) जी हां, समिति ने अपनी रिपोर्ट 30 नवम्बर, 1975 को राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी थी।

(2) रिपोर्ट राज्य सरकार के विचाराधीन है।

अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के व्यक्तियों के विरुद्ध मामले

229. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अनुसूचित जाति/जन-जाति के लोगों के विरुद्ध राजस्थान के विभिन्न न्यायालयों में जनवरी 73 से दिसम्बर 74 तक दो वर्ष में इस प्रकार के कुल कितने मुकदमे दर्ज हुए जिनमें कि सरकार द्वारा पैरोकारी व वकील करने को सहायता दी जा सकती थी? न्यायालयवार बताने का कष्ट करें।

(2) न्यायालयवार कितने कितने प्रार्थना-पत्र सहायता के लिए प्राप्त हुए और उनमें कितने कितने प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये गये, कितने कितने अस्वीकार तथा कितने कितने विचाराधीन रहे?

(3) न्यायालयवार वकीलों पर व पैरवी के लिये सहायता के तौर पर कुल कितनी कितनी राशि सरकार द्वारा स्वीकृत की गई और कितनी कितनी खर्च की गयी? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) न्यायालयवार किन किन वकीलों को मुकर्रर किया गया व किन किन मुवक्किलों को नकद सहायता दी गयी, व कुल कितना कितना खर्च हुआ तथा वकीलों को चुनने का क्या प्रोसिजर अख्तियार किया गया कारण सहित बताने का कष्ट करें।

(5) अनुसूचित जाति, जन-जाति के लोगों को सहायता देने सम्बन्धी क्या नियम है, जिससे कि वे शीघ्र सरकारी सुविधा का लाभ उठा सकें?

(6) क्या कोई अनुसूचित जाति, जन-जाति का वकील हो तो सरकारी पैरोकारी के लिये चुनने में उसे प्राथमिकता देने का नियम है?

(7) यदि नहीं, तो क्यों?

Page No 27

उत्तर

(1) क्योंकि अदालतों में अनुसूचित जाति व जन-जाति के लोगों के विरुद्ध मुकदमों का अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है, अतः वांछित सूचना प्रस्तुत करना संभव नहीं है।

(2) अनुसूचित जाति व जन-जाति के लोगों को कानूनी सहायता के लिये आवेदन-पत्र संबंधित जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किये जाते थे न कि न्यायालयों में।

(3) नियमानुसार समाज कल्याण विभाग द्वारा न्यायालयवार इस सहायता के लिये राशि स्वीकृत नहीं की जाती थी। यह राशि जिलेवार आवंटित की जाती थी। वर्ष 1973-74 व 1974-75 में जिलेवार आवंटित धनराशि का ब्यौरा संलग्न परिशिष्ट (अ) व (ब) में अंकित है। इस स्वीकृत धनराशि में से जिलेवार व्यय राशि तथा लाभान्वित व्यक्तियों की सूचना निम्न प्रकार है :—

वर्ष	नाम जिला	व्यय राशि (रुपयों में)		लाभान्वितों की संख्या	
		अनु. जाति	जन जाति	अनु. जाति	जन जाति
1973-74	गंगानगर	376	—	1	—
,,	नागौर	384	—	1	—
,,	भीलवाड़ा	24	—	1	—
,,	सीकर	1100	—	6	
,,	पाली	250	—	1	—
	योग	2,144	—	10	—

वर्ष	नाम जिला	व्यय राशि (रुपयों में)		लाभान्वितों की संख्या	
		अनु. जाति	जन जाति	अनु. जाति	जन जाति
1974-75	भीलवाड़ा	66	—	4	—
,,	गंगानगर	375	—	1	—
,,	जोधपुर	108	—	1	—
,,	अजमेर	400	—	4	—
,,	सीकर	5515	500	37	4
,,	जयपुर	1662	—	2	—
	योग	8126	500	49	4

Page No 28

(समाज कल्याण मंत्री)

(4) राज्य सरकार द्वारा न्यायालयवार वकील नियुक्त नहीं किये जाते हैं बल्कि प्रति वर्ष जिलाधीश की सिफारिश पर प्रत्येक जिले के लिये तीन वकीलों का पैनल स्वीकृत किया जाता था। वर्ष 1973–74 व 1974–75 में जिलेवार स्वीकृत वकीलों के पैनलों की सूची परिशिष्ट (क) व (ख) पर संलग्न है। नियमानुसार मुवक्किलों को नगद सहायता नहीं दी जाती है। वर्ष 1973–74 व 1974–75 में कुल व्यय का ब्यौरा प्रश्न 3 के उत्तर में अंकित है। जिलेवार तीन तीन वकीलों का पैनल संबंधित जिलाधीश की सिफारिश पर स्वीकृत किया जाता था जिसमें जिलाधीशों को अनुसूचित जाति व जन-जाति के अनुभवी वकीलों को प्राथमिकता देने के निर्देश किये गये थे।

(5) वर्ष 1974–75 तक अनुसूचित जाति व जन जाति के लोगों को सहायता देने का प्रावधान समाज कल्याण विभाग में था। तत् संबंधी नियमों को एक प्रतिलिपि परिशिष्ट (ग) पर संलग्न है। अब वर्ष 1975–76 से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को कानूनी सहायता देने का कार्य विधि विभाग द्वारा किया जाता है।

(6) जी हां।

(7) प्रश्न ही नहीं उठता।

(परिशिष्ट 'ग' विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जालोर जिले में समाज कल्याण के कार्य

230. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला जालोर में अन्य जिले के मुकाबले अनुसूचित जाति एवं जन-जाति कल्याण के लिए बहुत कम कार्य किये गए हैं? यदि हां, तो क्यों? अगर नहीं, तो पिछले तीन वर्षों में जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा क्या क्या कार्य किए गये हैं एवं उनमें विभाग द्वारा सालाना कितना कितना खर्चा किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सत्य है कि अनुसूचित जाति एवं जन-जाति की जिले में जनसंख्या को देखते हुए उक्त खर्चा बहुत कम किया गया है? यदि हां, तो भविष्य में क्या इस जिले के विभाग का बजट बढ़ाने का सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? अन्य जिलों में प्रति व्यक्ति कितना खर्चा पिछले तीन वर्षों में किया गया है? इस जिले में प्रति व्यक्ति कितना खर्चा तीन वर्षों में किया गया है? सालाना तुलनात्मक दृष्टि से सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सत्य है कि जिला जालोर में गरीब तबके को कानूनी मुफ्त सहायता दिलाने हेतु अभी तक कोई कानूनी सलाहकार मुकर्रर नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? अब गरीबों एवं अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के लोगों की मुफ्त कानूनी पैरवी हेतु कानूनी सलाहकार परगनावाइज कब तक मुकर्रर कर दिये जावेंगे? निश्चित अवधि बताने की कृपा करें।

(4) जिला जालोर में 20 सूत्री

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

कार्यक्रम के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा क्या क्या प्रवृत्तियां चलाई जा रही हैं एवं अगले वित्त वर्ष में अनुसूचित जाति एवं जन जाति कल्याण हेतु क्या प्रवृत्तियां चलाई जावेंगी ? शिक्षा क्षेत्र में विशेषकर क्या क्या कार्य किये जावेंगे ?

उत्तर

(1) जी नहीं। पिछले तीन वर्षों में अर्थात् सन् 1972–73 से 1974–75 तक समाज कल्याण विभाग द्वारा जिला जालोर में अनुसूचित जाति व जन जाति के लिए किये गये कार्य एवं वार्षिक व्यय का ब्योरा संलग्न परिशिष्ट (अ) में अंकित है।

(2) जी नहीं। पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक जिले में प्रति व्यक्ति कितना खर्चा हुआ, इस प्रकार की सूचना विभाग में संकलित नहीं की जाती है।

(3) जी नहीं। गत दो वर्षों में अनुसूचित जाति व जन जाति के व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता दिलाने हेतु जिलाधीश जालोर की सिफारिश पर प्रति वर्ष तीन तीन अभिभाषकों के पैनल स्वीकृत किये गये थे। अब वर्ष 1975–76 से कमजोर वर्ग के लोगों को कानूनी सहायता दिलाने का कार्य विधि विभाग द्वारा किया जाता है।

(4) जिला जालोर में समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही प्रवृत्तियों का विवरण परिशिष्ट (अ) में अंकित है। अगले वर्ष में भी यही प्रवृत्तियां संचालित की जावेंगी।

(ब्योरे के लिए कृपया परिशिष्ट–3 देखिये)

घोषणा

मुखबन्द प्रयोग का समय

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि चूंकि अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों व कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्यों की संख्या बहुत कम है अतः इस पर कम समय लगने की संभावना है और राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1976 पर विचार करने हेतु अधिक समय देना वांछनीय नहीं होगा अतः मुखबन्द का प्रयोग अपराह्न 3.00 बजे के स्थान पर अपराह्न 1 बजकर 45 मिनिट पर किया जायगा।

राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1976 पर विचार एवं पारण हेतु 3.15 बजे से 4.00 बजे तक का समय रखा गया था उसके स्थान पर अब इस विधेयक पर विचार एवं पारण हेतु अपराह्न 2.30 बजे तक का समय रखा जाता है।

सदन की मेज पर रखा गया पत्र

अधिसूचना

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

माननीय राजस्व मन्त्री जी।

श्री मूलचन्द मीणा (राज्य मन्त्री, राजस्व) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व उपनिवेशन विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 4 (7) रैव/कोल/76 दिनांक 2 मार्च, 1976, जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (भूमि विकास संकर्म) नियम, 1976 प्रकाशित किये गये हैं, को सदन की मेज पर रखता हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
बाड़मेर जिले में पेयजल संकट

श्री उपाध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत बाड़मेर जिले में भू-जल विभाग द्वारा नलकूपों के निर्माण न करने तथा जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा होद समय पर तैयार न करने के परिणाम स्वरूप जिले में पेय जल संकट होने से उत्पन्न स्थिति की ओर जनस्वास्थ्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्री चन्दनमल बैद (जनस्वास्थ्य मन्त्री): उपाध्यक्ष महोदय, बाड़मेर नगर की आबादी सन् 1971 की जनगणनानुसार 38734 है। उक्त नगर को वर्तमान में पेय जल भण्डार में निर्मित नलकूपों से दिया जाता है। उक्त जल स्रोतों से 2 अन्य क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनायें, क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना शिवकर कूडला एवं भाडखा चूली भादेसा भी स्वीकृत है। बाड़मेर नगर की पुनर्गठन जल प्रदाय योजना दिनांक 17-8-74 को 97.50 लाख रु. की लागत के लिये स्वीकृत की हुई है। इन योजनाओं का विवरण निम्न प्रकार है:—

क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना शिवकर कूडला। इस योजना के अन्तर्गत 5 ग्राम शिवकर, आगोर, कूडला, भंवरां की ढाणी, एवं रामसर का कुआ में जल वितरण किया जाना है जिनमें से प्रथम 3 ग्रामों में जल वितरण किया जा रहा है। इस योजना को जल बाड़मेर नगर की वर्तमान राइजिंग मैन से दिया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत लाभान्वित आबादी सन् 1971 की जनगणनानुसार 6325 है व इसके लिये कुल 1 लाख 20 हजार गैलन जल प्रति दिन देने का प्रावधान किया गया है। यह योजना दिनांक 20-9-75 को रिवाइज कर 9 लाख 52 हजार 200 रु. की लागत के लिये स्वीकृत कर दी गई है ग्राम गाला बेरी तक पाइप बिछ चुकी है तथा ग्राम रामसर कुआ तक लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है।

क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना भाडखा चूली (भादेरस) भाडखा देरासर:—

उक्त योजना 11 ग्रामों के लिये दिनांक 11-12-72 को 13.50 लाख रु. की लागत के लिये स्वीकृत की गई थी। योजना के अन्तर्गत लाभान्वित आबादी सन् 1971 की जनगणनानुसार 6398 है एवं योजना के अन्तर्गत 1 लाख 30 हजार गैलन जल प्रतिदिन-वितरण करने का प्रावधान है। योजना को रिवाइज कर 20.78 लाख रु. की लागत के लिये दिनांक 1-12-75 को स्वीकृत किया गया है। रिवाइज योजना के अनुसार भाडखा में 2 नलकूप इस योजना के लिये निर्मित किये जाने हैं। योजना के अन्तर्गत अभी तक जल वितरण प्रारम्भ नहीं किया गया है। भाडखा में एक नया नलकूप चालू करने के उपरान्त 5-6 दिन पूर्व से ही टेस्टिंग का कार्य प्रारम्भ किया गया है।

जल प्रदाय योजना बाड़मेर

बाड़मेर नगर की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए दिनांक 17-8-74 को 97.50 लाख रु. की लागत के लिये

(श्री चन्दनमल बैद)

पुनर्गठन जल प्रदाय योजना स्वीकृत की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत भाडखा में 8 नलकूप निर्मित किये जाने हैं एवं 12 राईजिंग मैन लगाकर बाड़मेर नगर व राह के ग्राम भाडखा, बोथिया, कपूरड़ी, जालिया व बाड़मेर आगोर को प्रतिदिन 18 लाख गैलन जल वितरण किया जाना है।

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 74–75 में 15 लाख रु. (पांच लाख रु. राज्य सरकार के अंश में एवं 10 लाख रु. जीवन बीमा निगम से) आवंटित था एवं 75–76 में भी 15 लाख रु. का आवन्टम है। अगले वित्तीय वर्ष में योजना पर 25 लाख रु. का आवंटन प्रस्तावित है। योजना के अन्तर्गत इस वर्ष के अन्त तक कुल लगभग 20 लाख रु. खर्च किये जा चुकेंगे।

उक्त क्षेत्र में बाड़मेर की मूल योजना के अन्तर्गत बोथिया में 3 नलकूप एवं भाडखा में 2 नलकूप बनाये गये थे। उनमें से बोथिया के नलकूप जल कम होने के कारण त्याग दिये गये हैं व भाडखा का एक नलकूप मिट्टी आने के कारण बन्द है व एक चालू है। पुनर्गठन जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत 6 नलकूपों पर कार्य किया जा चुका है इन में से। एक नलकूप केवेटी आ जाने के कारण व दूसरा बेन्टोनाईट आ जाने के कारण त्याग दिये गये हैं। 2 नलकूप विकसित करने बाकी हैं एवं 2 नलकूप विकसित कर चालू किये जा चुके हैं। इनमें से एक नलकूप अभी 5–6 दिन पहिले ही चालू किया गया है। जिससे प्रतिदिन लगभग डेढ़ लाख गैलन जल अतिरिक्त वितरित किया जा रहा है। इस प्रकार से तीन नलकूपों से प्रतिदिन लगभग 5 लाख गैलन जल वितरण किया जा रहा है जिसमें से बी. एस. एफ. को 5 हजार गैलन, उत्तरलाई हवाई अड्डे को 20 हजार गैलन ग्रामीण क्षेत्रों को 20 हजार गैलन एवं बाड़मेर नगर को 4 लाख गैलन जल प्रतिदिन दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 50 हजार गैलन प्रतिदिन जल क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना चूली भादरेस की टेस्टिंग में काम लिया जा रहा है।

भाडखा की पुनर्गठन जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत भाडखा में भू-जल पर एवं बाड़मेर में ओवर हैड टंक का कार्य प्रगति पर है एवं आशा है कि 2 माह में पूरा कर लिया जायेगा। भाडखा मे बाड़मेर के बीच जालिया में भू-जल की टंकी एवं बाड़मेर में भू-जल टंकी के लिये भी कार्य आदेश जारी किये जा चुके हैं व आशा है कि 3–4 माह में उनका कार्य पूरा कर लिया जायेगा। उक्त योजना की 31 किलो मीटर राईजिंग मेन में से 8 किलोमीटर पाइप प्राप्त किये जा चुके हैं व शेष भी धन की उपलब्धि के अनुसार प्राप्त किये जायेंगे।

वर्तमान में उपलब्ध पेय जल बाड़मेर की बढ़ती हुई जनसंख्या, बी. एस. एफ. एवं उत्तरलाई हवाई अड्डे की आवश्यकता व ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकता के लिये अपर्याप्त है। वर्तमान आवश्यकता लगभग 8–9 लाख गैलन जल प्रतिदिन की है। वर्तमान में पेयजल की उपलब्धि को अन्य उपलब्ध नलकूप चालू कर 6–0 लाख गैलन प्रतिदिन तक बढ़ाया जा सकता है जिसके लिये विभाग सतत् प्रयत्नशील है। आवश्यकता के अनुसार पूर्ण रूप से जल पुनर्गठन जलप्रदाय योजना

(श्री चन्दनमल बैद)
का कार्य पूरा होने पर ही उपलब्ध हो सकेगा।

यह योजना वर्ष 77–78 तक ही पूरी की जा सकने की संभावना है।

श्री वृद्धिचंद्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया उसके बारे में मन्त्री महोदय ने विस्तार में जवाब दिया–इसके लिए तो उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रश्न यह है कि विस्तार में जवाब देने पर भी इन्होंने जो अन्तिम निर्णय बतला दिया कि हम पूरी कोशिश कर लें तो भी हम छः लाख गैलन से अधिक पानी की 1976–77 में व्यवस्था नहीं कर सकेंगे और 1977–78 में योजना को कम्प्लीट करके 18 लाख गैलन पानी की हम व्यवस्था कर सकेंगे। अब प्रश्न यह उठता है कि योजना 18 लाख गैलन की बनी हुई है। अब तक के लिए भी मन्त्री महोदय ने मान लिया कि अभी जो व्यवस्था की जा रही है वह आवश्यकता के माफिक नहीं है और व्यवस्था अपर्याप्त है, यह भी कमी मान ली है। अब मैंने यह प्रस्ताव रखा था, उसके बाद में एक नल कूप तैयार होकर कमीशन कर दिया गया है। मेरा निवेदन है कि दूसरे जो नल-कूप विकसित किये गये हैं उन दो नलकूपों का भी कमीशन करना है। उन्हें कमीशन करने के कार्य में बहुत गति लाने की आवश्यकता है, उसमें बहुत गति लाकर अगर उनको कमीशन नहीं किया गया तो आप सोच रहे हैं छः लाख गैलन पानी उपलब्ध कराने का, वह छः लाख गैलन पानी भी उपलब्ध नहीं होगा। पहला तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह दो ट्यूब वैल विकसित किये गये हैं इनको कब तक कमीशन कर दिया जायगा और कब तक कमीशन करके उनके पानी का उपयोग कर लिया जायेगा? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि यह रिजर्वेयर बाड़मेर में बन रहा है, और दूसरे जो नलकूप हैं जालेपा और भाड़खा, बाड़मेर का होद बन रहा है, जिस वक्त मैंने ग्रोन द स्पोट देखा, उस वक्त होद के काम की स्पीड बहुत धीमी थी। आपने फर्माया कि दो महीने में कम्प्लीट कर दिया जायगा। जालेपा और भाड़खा–इन रिजर्वेयर का काम शुरू नहीं हुआ है। यह मेरी पक्की इन्फार्मेशन है कि इनका काम शुरू नहीं हुआ है, तो फिर किस प्रकार से आप चार महीने में कम्पलीट कर देंगे? आप चार महीने लगायेंगे तो गर्मी के दिनों में क्या इनका लाभ उठा सकेंगे? पानी का संकट आयेगा वह गर्मी के दिनों में आयेगा। गर्मी के दिन आ रहे हैं, शुरू हो गये हैं यह जालेपा रिजर्वेयर, भाड़खा रिजर्वेयर का काम शुरू नहीं हुआ है और बाड़मेर का रिजर्वेयर तैयार नहीं हुआ है तो गर्मी के दिनों में यह काम में कैसे आ सकेंगे? पानी को स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं होगी तो किस प्रकार आप पानी का प्रबन्ध कर देंगे शहर के लिए? यह गम्भीर प्रश्न है। इसका सोल्यूशन होगा, यह मुझे जवाब दिया गया है। लेकिन गर्मी के दिनों में मुझे इसका सोल्यूशन नहीं दिखता है।

अब स्थिति यह भी है कि एक भाड़खा देरासर स्कीम बनाई। भाड़खा ट्यूब वैल से सम्बन्धित है, एक नया नलकूप बना कर कमीशन करना है। भाड़खा से देरासर की स्कीम शुरू इसलिए नहीं हुई कि नल कूप विकसित होकर कमीशन नहीं हुए हैं। यह नल कूप बनाने की आवश्यकता है। आपने

Page No 33

(33)

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन) :

11 गांवों का जिक्र किया, उस ग्रामीण क्षेत्र में पानी नहीं पहुंचेगा तो गर्मी के दिनों में ग्रामीण क्षेत्र मे पानी के संकट का सामना करना पड़ेगा। इसके बारे में मैं जानकारी चाहता हूं, भाड़खा–देरासर स्कीम है, इसे आप कब शुरू कर देंगे ? कब पानी सप्लाई कर देंगे, यह भी मैं जानना चाहता हूं। ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर पानी पहुंचता है, वह इस स्कीम से सम्बन्धित है। बाड़मेर, शिवकर, कुंडली, मगना की ढाणी, रामसर कुआ–वहां पानी नहीं पहुंचा। दूसरे गांवों में पानी पहुंचा है, वहां सप्ताह में एक दो दिन पानी सप्लाई किया जाता है। मैं समझता हूं, यह पानी आल्टरनेट डेज़ में पहुँचा है। ग्रामीण क्षेत्र में पानी की डिफिकल्टी है, वहां पर आल्टरनेट डेज़ में पानी पहुँचता है, और बाड़मेर में यह अवस्था है कि आल्टरनेट डेज़ पर भी पानी नहीं पहुंचता है। पहुंचता है तो कहीं आधा घण्टा, और कहीं एक घण्टा पानी पहुंचता है। इस प्रकार की स्थिति है। इस सम्बन्ध में आप अपने भू-जल विभाग को आदेश दें कि जल्दी से जल्दी कुए तैयार करके कमीशन कर दे और जो हौद बने हुए हैं उनके बारे में जन स्वास्थ्य विभाग को आदेश दें कि जल्दी से जल्दी तैयार करें। उसके साथ-साथ एक बड़ी कठिनाई आयेगी विद्युत् की। मगर विद्युत् विभाग कनेक्शन के बारे में व्यवस्था नहीं करता है तो उसके लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे। वह कनेक्शन नहीं देता है तो डीजल सेट्स की व्यवस्था करके, जनरेटिंग सेट्स की व्यवस्था करके नल कूप को कनेक्ट करना पड़ेगा। इस विषय में मैं स्पष्टीकरण चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री जी !

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी मंत्री महोदय से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में दो तीन प्रश्न पूछना चाहती हूं। पहला सवाल तो मेरा यह है कि कोटू न.....

श्री उपाध्यक्ष : बाड़मेर का है।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, बाड़मेर योजना का प्रश्न है। कोटू के लिए मैं तैयार होकर नहीं आया हूं, इसलिए मैं अर्ज नहीं कर सकता हूं। माननीय सदस्या का परिश्रम व्यर्थ जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : The hon. Minister was not given notice of that.

श्रीमती मदन कौर : प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण दिया गया है...

श्री उपाध्यक्ष : How can he reply to your speech when he has not been given notice of the question which you are raising now. It is not in the 'Call attention' notice.

श्रीमती मदन कौर : एक प्रश्न यह तो जनरल कर दूं, विषय है बाड़मेर जिले के सम्बन्ध में। जिस क्षेत्र में पानी का भयंकर अभाव है उस क्षेत्र में अभी तक भू-जल विभाग द्वारा नलकूप के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। क्या राज्य सरकार इस सम्बन्ध में कोई फैसला लेगी चाहती है, जहां पीने के पानी का नितान्त अभाव है, वहां की प्राथमिकता के आधार पर भू-जल विभाग द्वारा सर्वेक्षण करा लिया जायगा ? यह जनरल सवाल है।

श्री चन्दनमल बैद : यह स्पेसिफिक प्रश्न है, और जरनल के लिए तैयार होकर नहीं आया हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री जी !

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बाड़मेर के जल कष्ट की तरफ सरकार का ध्यान खींचा है। मैं खुद अपने आप में कोशिश कर रहा हूं, मैंने पूरा जवाब दिया है। मैं अर्ज करना चाहता हूं हम सब लोग जो सरकार में हैं हमारे इंजीनियर हैं चाहे हम हैं, हमने इस बात की जानकारी की है और जितना काम हो सकता है वह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस समय नल कूप बने हुए हैं उन नल कूपों में से तीन नल कूप चालू हैं, उनकी केपेसिटी है 11 हजार गैलन प्रति घण्टा, सात हजार प्रति घण्टा, आठ हजार प्रति घण्टा, छब्बीस हजार प्रति घण्टा, तीनों नल कूप की क्षमता है। उनमें से कुल मिलाकर दिन भर में पांच हजार गैलन पानी प्राप्त कर रहे हैं। यह विस्तार में मैंने बताया है। बाड़मेर शहर को 4 लाख गैलन प्रतिदिन दे रहे हैं, लेकिन 4 लाख गैलन प्रतिदिन से पूरा नहीं पड़ता है, यह मैं मानता हूं कि कम रहता है और कम रहता है, इस वास्ते सन् 1974 में बाड़मेर को जो जल प्रदाय योजना है उसका पुनर्गठन करके 97 लाख 56 हजार रुपये की मंजूरी दी। इसमें जैसा अर्ज किया है 15 लाख का प्रावधान 1974–75 में किया, 15 लाख का प्रावधान 1975–76 में किया, और 1976–77 में 25 लाख का प्रावधान किया है। बीस लाख अभी खर्च कर चुके हैं। अगले साल बहुत सम्भव है उसमें 18 लाख, 17 लाख खर्च करें। 1977–78 में सारा खर्च करके इस पुनर्गठित योजना को पूरा करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी कोशिशों के बावजूद भी हम वहां पर तुरन्त पानी की सप्लाई नहीं कर पायेंगे। हालांकि राज्य सरकार ने वहां पर दो नल कूप तो पहले ही चालू कर रखे थे और दो का निर्माण कार्य चल रहा है और वहां पर उनसे पानी जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक नल कूप के बारे में बातचीत चल रही है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन नल कूपों को विकसित करने में समय तो लगता ही है। मैं यह तो नहीं कहता कि गर्मियों के पहले ही पानी पूरा जरूर पहुंचा दूंगा लेकिन इतना जरूर आश्वासन दे सकता हूं कि राज्य सरकार इस साल नहीं तो अगले साल तक वहां पर पानी पूरा जरूर पहुंचा देगी। वैसे पांच लाख गैलन पानी बाड़मेर में दिया जा रहा है और एक लाख गैलन और पानी जल्दी ही बढ़ जायेगा। लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य चाहते हैं कि 8–9 लाख गैलन पानी इन गर्मियों के पहले वहां की जनता को मिल जाय–इस बात का मैं वायदा नहीं कर सकता क्योंकि दो नल कूपों को विकसित करने में समय लगेगा। वहां पर आखिर नल कूपों के लिए जमीन खोदने में, उसके बाद में पाइप लाइन लाने में टंकियों में पानी भरने की व्यवस्था करने में समय लगता ही है। हमें सारे सिस्टम का विकास तो करना ही पड़ेगा। माननीय सदस्य जानते हैं कि 12 इंच की लाइन लानी है। आपके यहां से

(श्री चन्दनमल बैद)

भाडखा से बाड़मेर तक का जो डिसटेन्स है वह करीब 30 किलोमीटर है उसमें पाइप लगाने, टंकियां वहां पर बनाने, नल डालने और पाइप लाइन को खींचने के अन्दर समय तो लगता ही है। इसके बाद में हम छः लाख गैलन तक पानी बाड़मेर में दे सकेंगे। यह सब काम एक मिनिट में हो हो नहीं सकते हैं। माननीय सदस्य, उपाध्यक्ष महोदय, यह मानकर चलते हों कि इन गर्मियों के पहले ही बाड़मेर में पानी पहुंच जावेगा वह मुश्किल है। अब आप यह कहते हैं कि फिर गर्मी आ जाने से वहां के लोग क्या करेंगे तो मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार अपनी कोशिश कर रही है। पहले भी तो काम चलाते थे। हमने इन गर्मियों के पानी की कमी के इलाज के लिये हो तो यह एक लाख 50 हजार रुपये की स्कीम शुरू की है। लेकिन यह कहना कि जैसे 74 में स्वीकृति दी थी और अभी तक पानी नहीं आया, इसमें तीन चार—साल लग जायेंगे। यह बात गलत है। क्योंकि, उपाध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा कार्य है जिसमें दो नल कूपों को विकसित करने में समय लगेगा। नलकूपों के लिए जमीन खोदी जायेगी, उनके लिये टंकियों का निर्माण होगा, पाइप लगाया जायेगा। तो मैं यह तो कमिटमेन्ट किसी भी हालत में नहीं कर सकता कि यह काम इस गर्मियों में शुरू हो जायेगा। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, 18 लाख या 19 लाख गैलन पानी इसी गर्मियों में शुरू हो जावे। तो हमने 20 लाख की स्कीम पहले बनायी उसमें से 18 लाख रुपये खर्च करने जा रहे हैं। तो माननीय सदस्या ने कहा भाडखा चूली, मादेरप वाली स्कीम को अभी चालू नहीं करने से 11 गांवों की जनता को पानी की तकलीफ होती है तो उसके लिये मेरा निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, तकलीफ होती है वह तो होती है, लेकिन राज्य सरकार वहां की जनता की तकलीफों को मानकर ही तो उसका निवारण करने के लिये यह योजना क्रियान्वित कर रही है। अब वह तकलीफ इस साल गर्मी के पहले मिटा सकेंगे या नहीं तो यह बात मैं कमिट नहीं करता हूं। हां इतना जरूर कह सकता हूं कि इस साल नहीं तो अगले साल तक तो जरूर हम उन लोगों की तकलीफ को मिटा देंगे। आपको इस बात के लिये राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहिये कि आपकी तकलीफ इस साल नहीं तो अगले साल हमेशा के लिये मिट जायेगी।

जैसा कि माननीय सदस्य यहां पर कह रहे थे कि 11 गांवों की जनता का सवाल है तो, उपाध्यक्ष महोदय इस राजस्थान में 11 गांव नहीं बल्कि हजारों गांव ऐसे हैं जहां पर पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। आप तो राजस्थान के उन हजारों गांव की जनता के बारे में सोचें जहां हम अभी तक पानी की व्यवस्था नहीं कर पाये हैं, चाहे उसमें कारण कोई रहा हो। चाहे वहां जमीन के नीचे पानी नहीं हो या हो तो खारा पानी हो। और अगर खारा पानी नहीं होकर मानलो कि वहां पर पानी मीठा है, क्वालिटी अच्छी है पर राज्य सरकार के पास पैसे नहीं हैं इसलिये वहां पर स्कीम्स चालू नहीं हो सकी है। इसलिये मैं तो कहूंगा कि इस बात के लिये आप बाड़मेर की जनता का सौभाग्य समझें कि उनकी तकलीफ अगर इस साल नहीं मिटा

(श्री चन्दनमल वैद)
सके तो अगले साल जरूर राज्य सरकार मिटा देगी। माननीय सदस्य जिस निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं वहां की जनता को और उनको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राज्य सरकार वहां पर नलकूप लगाकर जल्दी से जल्दी पानी पहुँचाने की कोशिश करेगी। लेकिन हर काम में समय तो लगना स्वाभाविक है। इसमें बुरा नहीं मानना चाहिये। मैंने कल रात को ही अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड के अधिकारियों को, पी. एच. ई. डी. के इंजीनियर्स को बुलाया और उन्हें इस स्कीम के बारे में कहा जल्दी से जल्दी पूरा करने की व्यवस्था करें। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि वह इस योजना को जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। ऐसा मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं।

अनुपूरक अनुदान की मांग

मांग संख्या 22 का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष : अनुपूरक अनुदानों की मांगें। माननीय मन्त्री जी।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 22 के संबंध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,50,91,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

मांग संख्या 22 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) :—

1. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 481 परिवार नियोजन पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवार नियोजन ब्लाक का निर्माण एवं अहाते के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) :—

2. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 480—चिकित्सा पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (यूरोलोजी रिसर्च सैन्टर के निर्माण में होने वाले विलम्ब पर चर्चा के लिये)।

3. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 481 परिवार नियोजन पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले के ग्रामों में परिवार नियोजन उप-केन्द्रों के निर्माण किये जाने में भेद-भाव बरतने पर चर्चा के लिये)।

4. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 511 डेरी विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर मिल्क सप्लाई स्कीम के प्लान्ट हेतु विनियोजित राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

5. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 488 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति व जन जाति के लिए प्रिएग्जामिनेशन कोचिंग सेन्टर के निर्माण में हुए विलम्ब पर चर्चा के लिये)।

(श्री लूणाराम)

6. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 506-लघु सिंचाई, भूमि संरक्षण और क्षेत्रीय विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर क्षेत्र के विकास हेतु मत्स्य व उद्योग विभाग के भवन के निर्माण एवं मण्डियों के विकास हेतु सड़क निर्माण में होने वाले विलम्ब पर चर्चा के लिये)।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर)
श्री बनवारीलाल (धौलपुर):—

7. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 511-डेअरी विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर मिल्क सप्लाई स्कीम के प्लान्ट हेतु विनियोजित की गई राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

8. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 480-चिकित्सा पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (एस. एम. एस. में रिहेबिलीटेशन एण्ड रिसर्च सेन्टर, यूरोलोजी रिसर्च सेन्टर के निर्माण कार्य की धीमी गति पर चर्चा के लिये)।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 22 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने परिवार नियोजन की मांगों के ऊपर सांचोर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवार नियोजन ब्लाक का निर्माण और वहां के अस्पताल के अहाते में निर्माण करने के संबंध में कट मोशन दिया था। उपाध्यक्ष महोदय, पहले बजट में इसके निर्माण के लिए प्रावधान किया हुआ था लेकिन बाद में किन्हीं कारणों से वहां पर ब्लाक का निर्माण नहीं हो सका और उसके लिए जो बजट था वह लेप्स हो गया। वहां पर क्वार्टर वगैरह नहीं बन सके। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, वहां के ही एक सेठ ने वहां पर स्वास्थ्य केन्द्र अपने पैसों से बना कर राज्य सरकार के सुपुर्द कर दिया है लेकिन उसमें इतनी केपेसिटी नहीं है कि परिवार नियोजन का कार्य हो सके। अतः ब्लाक का निर्माण होना जरूरी है। इसलिए मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि वहां पर परिवार नियोजन के ब्लाक का निर्माण उसी अहाते में हुआ है जहां पर पहले पुरानी डिस्पेन्सरी बनी हुई है। वहां पर काफी जमीन और कुछ पुराने मकानात बने हुए हैं अगर उन्हीं मकानात में, जिसमें कि पुरानी डिस्पेन्सरी थी उसमें कुछ राज्य सरकार अपने पास से धनराशि खर्च करके कुछ एडीशन और आल्टरेशन करा दे थोड़ा बहुत और पुरानी इमारत होने की वजह से थोड़ी उसकी मरम्मत करा दे तो वहां पर परिवार नियोजन का ब्लाक का निर्माण हो सकता है। वहां पर जो अभी दिक्कतें हो रही हैं, वे समाप्त हो जायेंगी। इसलिए मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि इस ओर राज्य सरकार ध्यान दे। इसके अलावा वहां पर स्टाफ के रहने के लिए क्वार्टर्स वगैरह की व्यवस्था नहीं होने से कोई स्टाफ का आदमी वहां जाने को, रहने को तैयार नहीं होता है। चूंकि वह इलाका है जो कि पिछड़ा है इसलिए उस क्षेत्र का विकास करना जरूरी है। अगर

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

राज्य सरकार कुछ पैसा लगा देगी तो काफी राहत मिलेगी और वहां पर परिवार नियोजन के ब्लाक का निर्माण हो जावेगा। इसके अलावा जहां पर दूसरे सब-सेन्टर्स हैं वहां पर भी मकानों की हालत खराब है। उनकी मरम्मत कराना बहुत जरूरी है, अगर आपने उनकी मरम्मत नहीं करायी तो इस बरसात में वह मकान गिर जायेंगे और फिर बाद में सरकार को अधिक पैसा लगाना पड़ेगा। यह जो हमारे वहां पर भाव, और डूठवा के परिवार नियोजन सब सेन्टर है उनकी हालत खराब है। उनके भवनों की हालत सुधारी जानी जरूरी है दूसरे जैसा कि मैंने निवेदन किया कि परिवार नियोजन ब्लाक का निर्माण जहां पर जो पुरानी डिस्पेन्सरी थी वहां उसी के अहाते में कुछ एडीशन और आल्ट्रेशन करके क्वार्टर्स वगैरह बना दें तो ठीक रहेगा। स्टेट के समय का मकान बना हुआ है। पर उसके अहाते में काफी जमीन पड़ी है। अगर आप समय रहते उसको ठीक करादें तो उचित है। इसलिए मेरा निवेदन है कि उसका तखमीना बना कर, उसका असेसमेन्ट करके राज्य सरकार इसको बाद में पूरा बनाने की कोशिश करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लूणाराम।

(अनुपस्थित)

श्री श्रीराम गोटेवाला।

(अनुपस्थित)

श्री बनवारीलाल।

(अनुपस्थित)

माननीय मंत्री जी।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस मांग के सिलसिले में एक कटौती प्रस्ताव पेश हुआ है। इसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं केन्द्र संचालित योजना के तहत क्वार्टर्स व भवनों का निर्माण हो रहा है उस समय केन्द्र ने करीब 500-560 केन्द्रों के निर्माण के लिए एक करोड़ को धनराशि उपलब्ध करने के लिए कहा था फिर 1975-76 में यह इंगित किया कि यह धनराशि नहीं देना चाहते हैं। इसलिए यह जरूरी हो गया कि जो भवन नहीं बने थे या जिनकी नींवें नहीं भरी गई थीं और जो इमारतें ऊंची हो गई थीं उनको ही पूरा करना पड़ा है बाकी को अभी उसी स्थिति में छोड़ दिया गया है। जहां नींवें खोद दी थीं वह वापिस बन्द करा दी गईं और धनराशि के अभाव में बन्द करना पड़ा और यही नहीं बहुत से सेन्टर्स बन्द करने पड़े। इसमें यह सेन्टर भी आ गया था इसलिए इसको भी बन्द करना पड़ा। यह सेन्टर स्पोंसोर्ड स्कीम है और आगे चलाने में हमारी मजबूरी है। जब भारत सरकार सारे हिन्दुस्तान में इस प्रकार के निर्माण को हाथ में लेगा तब हम भी प्रयास करेंगे। इतनी ही बात इनमें मुझे निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : और कोई दूसरे माननीय सदस्य मांग पर बोलना चाहते हैं? सप्लीमेन्ट्री मांग के बारे में कोई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं?

श्री रामानन्द अग्रवाल : एप्रोप्रियेशन बिल पर।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर नहीं बोलना चाहते हैं ?

(मौन, अस्वीकृति)

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 22 का पारण

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 2 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,50,91,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान की अन्य मांगों का पारण

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 1 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को, 7,18,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

एक माननीय सदस्य : पाइन्ट आफ आर्डर, सर। कोरम नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : यह आपने क्या प्रश्न उठा लिया ?

(गणपूरक घंटी)

(गणपूर्ति के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 3 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय, को 8,32,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 4 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय, को 30,36,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 5 के सम्बन्ध में 31 मार्च 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को, 27,52,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 6 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 8 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को, 3,32,12,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 9 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 57,32,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 10 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 9,48,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 12 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,36,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 13 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,16,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 14 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को, 1,52,83,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 15 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,10,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 16 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,83,01,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 17 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 70,11,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 18 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,52,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 19 के सम्बन्ध में 31 मार्च 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 77,55,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 20 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 14,13,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 21 के संबन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 19,89,86,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 23 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 14,43,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 24 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये

(श्री उपाध्यक्ष)

जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,99,72,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 25 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,73,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 26 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,86,56,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 27 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,12,40,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 28 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,37,29,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 29 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 30,34 000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 30 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,69,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 31 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये

(श्री उपाध्यक्ष)
जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,41,24,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 32 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,58,78,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 33 के सम्बन्ध में 31 मार्च 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 91,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 35 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,78,52,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 36 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 9,02,78,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 37 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,25,65,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान को मांग संख्या 38 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 35,14,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री अजीत सिंह)

You (Shri Ajit Singh) should observe Rules of Procedure.

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 41 के सम्बन्ध में 31 मार्च,

(श्री उपाध्यक्ष)
1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,08, 33, 000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

प्रश्न यह कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 42 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 39,85,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 43 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)
मांग स्वीकार की गयी।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 45 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 13,03,36,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 46 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,52,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 47 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,27,50,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

मांग स्वीकार की गयी।

विधायी कार्य।

राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1976–पुरःस्थापन, विचार एवं पारण

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

क्या सदन की अनुमति है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे ?

Page No 45

(45)

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी ।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक ।

श्री वित्त मंत्री जी ।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1976 को विचारार्थ लिया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री रतीराम ।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि इसके बाद विनियोग (संख्या 4) पर भी बहस शुरू होगी । जो माननीय सदस्य बोलना चाहें वे विनियोग संख्या 3 और 4 दोनों पर ही बोल लें । मैन एप्रोप्रियेशन बिल पर बहस हो जावेगी । आज भी चलेगी और परसों भी चलेगी ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : विनियोग विधेयक (संख्या 3) के मुद्दे अलग हैं और (संख्या 4) के अलग हैं ।

श्री चन्दनमल बैद : मुद्दा तो एक ही है जिसको आप अलग-अलग तरीके से रखना चाहते हैं ।

श्री रतीराम यादव (तिजारा) : जी हां ।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो अनुपूरक अनुदान मांगे रखी हैं विधेयक के द्वारा, मैं उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं । पहली बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि वन विभाग के अन्तर्गत इसमें 2,02,000 रु. केवल सिरस्का के विकास के लिये रखे गये हैं । उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की सैन्चुअरी अलवर जिले के अन्दर वहां की जनता के लिये आवश्यक नहीं है । इसलिये इतनी बड़ी राशि रखी है इसको मैं उचित नहीं समझता हूं । अलवर में पहले ही जमीन की कमी है । भूमिहीन जनता की उसकी जबरदस्त मांग है । वन विभाग ने सैन्चुअरी के नाम से व्यर्थ में जो जमीन घेर रखी है वह भूमिहीनों में बांट दी जाय ताकि उनको भूमि मिल सके और राष्ट्र की अन्न की समस्या को दूर करने में सहयोगी बने । इस मद में इतनी बड़ी रकम रखना बेकार है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं । जब श्री नारायणसिंह मसूदा वन मंत्री थे . . .

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कोरम का अभाव है ।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, आज राज्य सभा के लिये वोट पड़ रहे हैं

(90)

(श्री चन्दनमल बैद)
उसमें माननीय सदस्य व्यस्त हैं इसलिये रूल्स को लिबरल कर दें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : रूल्स ऑफ प्रोसिजर को कैसे वायलेट कर सकते हैं ? You must observe the Rules of Procedure.

श्री उपाध्यक्ष : I cannot rule out a point of order which is valid under the rules.

(गणपूरक घंटी)

(गणपूर्ति के पश्चात्)

श्री रतीराम यादव : उपाध्यक्ष महोदय, जो सबसे पहली बात मैंने रखी है वह यही है कि जो यह सैन्चूअरी है यह पुराने समय में या तो साम्राज्यवादी लोगों की देन है या जो बड़े-बड़े सामन्तों की जिन्होंने अपने शिकार के लिए, मन बहलाने के लिए, एशो-आराम करने के लिए इस सैंचुअरी का निर्माण किया था। वह पुरानी मान्यतायें बदली जानी चाहिये। देश आजाद है और आजाद देश के अन्दर, समाज के अन्दर, जिन चीजों की सर्वप्रथम आवश्यकता है उनकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये। मुझे याद है राजाशाही का वक्त, राजा जयसिंह के जमाने में बड़े-बड़े सूअर पाले जाते थे और शिकार के लिये बहुत बड़ी जमीन अलाट कर दी जाती थी। वह सूअर किसानों के खेतों को किस तरह बरबाद करते थे, यह हमें अच्छी तरह याद है। इसलिए अलवर की जनता इस सिरस्का सैंचूअरी को विकसित करने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखती है।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि जो श्री नारायणसिंह जो मसूदा के समय में एक कमेटी का गठन हुआ था, उस कमेटी ने यह निर्णय किया था, यह सिफारिश की थी कि यह सैंचूअरी अगर रखनी भी है तो भर्तृहरी के तिराहे से आगे रख ली जाये जो पाण्डुपोल साइड में है और जहां गहरा जंगल है और आबादी ना के बराबर है। उसको इस सैंचूअरी के अन्दर रख लिया जाये। बाकी जो इलाका है जहां गांव बसे हुए हैं और पेड़ बहुत कम हैं ऐसी भूमि भूमिहीनों के अन्दर आवंटित कर दी जाये और वह इस सैंचूअरी से बाहर निकाल दी जाये। लेकिन मुझे अफसोस है कि उसको सिफारिश को आज तक लागू नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : (कुछ माननीय सदस्यों के आपस में बात करने पर) आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री रतीराम यादव : और जो जमीनें वहां भूमिहीनों ने वन विभाग की तोड़कर काश्त की है वह अभी तक रेगुलेराइज नहीं हुई है जब कि वह वर्षों से काश्त करते चले आ रहे हैं। अभी गत वर्ष के अन्दर जुलाई और अगस्त के महीने में वहां के जिलाधीश, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, विधायकों ने, एक केम्पिंग किया था, माधोगढ़ में भर्तहरी के तिराहे पर और जितने भी इस तरह के केसेस थे उनको रेगुलेराइज करने के लिये सर्वसम्मति से सिफारिश की थी ? वह सिफारिश राज्य सरकार को भेजी थी। लेकिन मुझे फिर अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि आज तक उनकी जमीन रेगुलेराइज नहीं हुई। इतना ही नहीं बल्कि इसी इलाके के

(श्री रतीराम यादव)

अन्दर कुशलगढ़ के अन्दर बड़े-बड़े धनी लोगों के फार्म हैं उनको टच तक नहीं किया जा रहा है। लेकिन जो छोटे-छोटे किसान हैं, जो भूमिहीन काश्तकार हैं जिन्होंने दो, दो और चार-चार बीघा जमीन तोड़कर वन विभाग की ले ली और जिस पर काफी सालों से काश्त करते आ रहे हैं उसको रेगुलेराइज नहीं किया जा रहा है। जो बेकार जमीन पड़ी है वन विभाग की उसके पट्टे उनको नहीं दिये जा रहे हैं। इसलिए मैं यह कहना उचित समझता हूं कि इस मद में 2 लाख 2 हजार रुपये जो सैंक्चुअरी के विकास के लिए रखे गये हैं वह बिल्कुल बे-वाजिब हैं और यह रकम उधर न लगा कर उन भूमिहीन किसानों के ऊपर खर्च होनी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जो यह रकम रखी गई है यह कहा गया है कि वन विभाग में और सैंक्चुअरी में जो गांव

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बसे हुए हैं उन गांवों को वहां से हटाया जायेगा और उनको मुआवजा दिया जायेगा। मैं नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि यह समाजवादी व्यवस्था की बात नहीं है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि उन गांवों को वहां से हटाया ही नहीं जाना चाहिये एक मिनिट के लिए यह बात मानें भी कि सरकार की जिद हो है कि हटाना ही है तो फिर यह कौन सी नैतिकता है कि थोड़ा पैसा देकर उनको वहां से निकाल दिया जाये। आपका यह फर्ज है कि आप वहां से उनको उठाते हैं तो दूसरी जगह उनको जमीन दीजिए। अगर अलवर जिले के अन्दर ऐसी जमीन नहीं है तो मैं कहना चाहूंगा कि जैसे दूसरी जगह से उठाये हुए लोग है जहां कहीं बांध बन रहे हैं तो वहां से लोगों को हटाकर राजस्थान कैनाल में जमीन अलाट कर रहे हैं, तो अलवर के इस सैंचूरी में जो गांव बसे हुए हैं उनको भी राजस्थान कैनाल के अन्दर जमीन अलाट करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लिए जो शेयर कन्ट्रीब्यूशन का 30 लाख रुपया रखा है मेरा निवेदन यह है कि यह राशि बहुत कम है। यह राशि बढ़ाई जानी चाहिये और इसलिए बढ़ाई जानी चाहिए कि अब आप राष्ट्रीयकृत मार्गों को बढ़ा रहे हैं। इसलिए यह राशि बहुत कम है। अभी भी आपके पास बसेज नहीं हैं। अभी भी जो राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं उनकी सड़कें टूटी हुई हैं, उनकी हालत बहुत खराब है और बसेस की हालत भी बहुत खराब है। जो छोटे मार्गों पर बसेस चलती हैं उनकी सीटें खराब हैं उनकी मरम्मत होनी चाहिए। इसलिए राशि बढ़ाई जानी चाहिए। मैं तो यह भी निवेदन करूंगा कि आप जो किराये की बसें चला रहे हैं, जो आपने अनुबंधित कर रखी हैं वह नुकसान दायक हैं। इसके लिए पैसेंजर्स की भी बहुत शिकायतें आती हैं। इसलिए इस प्रथा को बन्द करना चाहिए। जहां तक अलवर जिले का प्रश्न है मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अलवर जिले को पूरी तरह से राष्ट्रीयकृत योजना के अन्दर ले लेना चाहिए। बहुत थोड़ा सा हिस्सा उसका बाकी रहा हुआ है। मेरा यह निवेदन है कि दो महीने के अन्दर-अन्दर आप समस्त जिले को इस योजना के अन्तर्गत ले लें।

(श्री रतीराम यादव)

इसके अलावा एक निवेदन मेरा यह है, जगह-जगह से यह शिकायतें आ रही हैं कि जो रोड़वेज के बस स्टेण्ड हैं वहां लेट्रीन, प्याऊ, पेशाबघर आदि नहीं बना रखे हैं। इस कारण से यात्रियों को बहुत दिक्कतें हैं। खास तौर से मैं कहना चाहूंगा कि आदमी तो कहीं भी जाकर पेशाब कर लें और जैसी आधुनिक सभ्यता है कि खड़े-खड़े कर लेते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त कीजिये ?

श्री रतीराम यादव : लेकिन जो महिलायें हैं उनके लिए विशेष रूप से दिक्कत है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि कम से कम रोड़वेज के बड़े बस स्टेण्ड हैं वहां पेशाबघर लेट्रीन और प्याऊ का इन्तजाम आपको पूरी तौर से करना चाहिए। इसलिए जो रकम रखी गई है यह बहुत कम है और इसको बढ़ाया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां एक चिकित्सा क्षेत्र का प्रश्न है इसमें एस. एम. एस. के अन्दर रिहेबिलीटेशन के लिए रिसर्च सेन्टर और दूसरे जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी रकम 16,75,000 की मांगी गयी है। मुझे इस बात से तो गिला नहीं है कि यहां पर यह रकम क्यों खर्च की जा रही है। मुझे गिला इस बात से है कि दूसरे स्थानों की उपेक्षा क्यों की जा रही है ? ऐसी जगह और भी राजस्थान में हैं लेकिन उनकी तरफ इस विभाग का बिलकुल ध्यान नहीं है। जहां तक मैं अपने जिले की बात करूं, अलवर का जनाना हास्पीटल है इसकी योजना बहुत पहले बनी लेकिन आज तक अधूरी पड़ी है। वहां न तो डाक्टरों के रहने के क्वार्टर्स हैं और न नर्सेस के रहने के क्वार्टर्स हैं। कोई सुविधा नहीं है। यहां तक कि जो बैड्स हैं बीमारों के लिए उनकी भी पूरी व्यवस्था नहीं है क्योंकि स्थान ही नहीं है। जो मर्दाना हास्पीटल है उस तरफ शिफ्ट कर देते है क्योंकि जनाना वार्ड छोटा पड़ता है। होना तो यह चाहिए कि जनाना हास्पीटल में ही एक वार्ड का निर्माण किया जाय। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह रकम आपने यहां दी है इसको तो कोई बात नहीं है लेकिन अलवर के लिए भी आपको ध्यान रखना चाहिए था। राजस्थान के अन्दर दूसरे स्थानों पर भी यही हालत हो सकती है। उस तरफ भी आपकी नजर जानी चाहिए।

इसी तरह से जयपुर का पागलखाना है जहां लाइलाज मरीज कुछ बताये जाते हैं जिनका इलाज हो नहीं सकता और जिनको कितने ही साल पागलखाने में रहते हो गये हैं। वहां के अधिकारी चाहते हैं कि उन्हें वहां से हटा दिया जाये तो दूसरे लोगों को स्थान मिल सकता है। लेकिन कोई स्थान ऐसा नहीं है राजस्थान के अन्दर कि ऐसे पागलों को वहां रखा जा सके। इसके लिए समाज कल्याण विभाग की तरफ से प्रबन्ध होना चाहिये। राजस्थान में केवल जोधपुर में थोड़ी जगह है तो वह भी इनसफिशियेंट है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसकी ओर भी समाज कल्याण विभाग को ध्यान देना चाहिए। ऐसे जो लोग हैं जिनका इलाज नहीं हो सकता है, मुद्दत से रह रहे हैं, ऐसों को कहीं और

Page No 49

(५१)

(श्री रतीराम यादव)
शेल्टर दिया जावे और कहीं और उनके रहने का इन्तजाम किया जावे ताकि यहां पर दूसरे मरीजों के एडमिट होने की व्यवस्था हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद अब मैं शिक्षा की बात पर आता हूं। लगभग पांच लाख रुपये इन अनुपूरक मांगों के अन्दर रखे गये हैं। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि अलवर के अन्दर और अलवर में ही नहीं दूसरे स्थानों पर भी इस तरह की शिकायतें बराबर हैं कि जो सरकारी बसें गर्ल्स स्कूल या गर्ल्स कालेजेज पर लगी हुई हैं उनकी हालत बड़ी खराब है। उनमें सीटों की अच्छी व्यवस्था नहीं है और दिन खराब पड़ी रहती हैं। अलवर की बात अगर मैं कहूं तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अलवर को जो एस.एम.डी. गर्ल्स स्कूल है उसको बस बहुत पुराने मोडल की है, बहुत पुरानी बस है। यहां तक कि उसमें सीटें अच्छी नहीं हैं। उन सीटों की हालत ऐसी है कि बच्चे उसमें बैठते हैं, घर से धुले हुए और नए कपड़े पहन कर और जब स्कूल से वापिस आते हैं तो उनको ड्रेस उतार कर फेंकनी पड़ती है। वह फट जाती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस शिक्षा के मद में आपका ध्यान इस तरफ भी जाना चाहिये। दूसरी तरफ आपने महंगाई भत्ता देने की बात कही है। आपने प्राइवेट स्कूलों को भी महंगाई भत्ते का अंश देने की बात कही है। इसके लिए आपने अनुपूरक मांग मांगी है। मेरा निवेदन है कि आप प्राइवेट विद्यालयों को अपना बढ़ा हुआ महंगाई भत्ते का अंश देना चाहते हैं लेकिन क्या आपने यह भी सोचा है, क्या आपने कभी इन्क्वायरी की है कि इन प्राइवेट विद्यालयों के अन्दर शिक्षकों को वह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलता भी है या नहीं? मेरा यह निवेदन है और यह अनुभव है, मैंने प्राइवेट स्कूलों के कितने ही अध्यापकों से, कितने ही विद्यालयों में जाकर व्यक्तिगत रूप से जानकारी ली है। जो आपने महंगाई भत्ता राजकीय स्कूलों में बढ़ाया वह उनको पूरा नहीं मिल रहा है। यहां तक कि वेतन ही पूरा नहीं मिल रहा है। चाहे आपने चैक सिस्टम लागू कर दिया लेकिन वह भी उनको नहीं मिलता है। इसलिए मैंने पहले भी कितनी ही बार निवेदन किया है और पुनः इस बात को जोरदार ढंग से दोहराना चाहता हूं कि जब तक आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स को नेशनेलाइजेशन नहीं करेंगे तब तक यह आए दिन की बीमारी आपके सिर पर रहेगी और तब तक यह शोषण इन विद्यालयों में बराबर चलता रहेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसी तरह से जो राज्य कर्मचारी है उनको महंगाई भत्ता देने का आपने इसमें एक जिक्र किया है मई 73 से फरवरी 74 तक का, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके बाद की क्या स्थिति है? इसके बाद जो केन्द्रीय सरकार ने दे दिया है उसके बारे में आप मौन क्यों हैं? बरकत साहब के जमाने में कर्मचारी संघ के साथ में एक समझौता हुआ था और वह राइटिंग में हुआ था। बरकत साहब के हस्ताक्षर हैं। मेरे पास नकल भी मौजूद है जिसमें

(श्री रतीराम यादव)
यह तय हुआ था कि केन्द्रीय सरकार जिस तरह से महंगाई भत्ता बढ़ाएगी और देगी उसी तरह से राजस्थान की सरकार भी अपने राज्य कर्मचारियों को वह महंगाई भत्ता देगी। लेकिन मुझे अफसोस के साथ निवेदन करना पड़ता है कि आपने अभी तक वह नहीं दिया है और जो आपने देने की बात कही है वह भी फरवरी 74 तक देने की बात कही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि उसके बाद का जितना चढ़ गया है उसको देने की घोषणा आज आप सदन में करें, और उनको देने का आप प्रबन्ध करें।

श्री उपाध्यक्ष: खत्म करिये।

श्री रतीराम यादव: अभी खत्म करता हूं। दो पोइन्ट और हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: बहुत बोलने वाले नहीं हैं इस पर।

श्री रतीराम यादव: जल्दी ही खत्म करता हूं। आज इस पर अंतिम बहस है फिर भी मैं माननीय सदस्यों के उपयोग के लिए समय को छोड़ना चाहता हूं इसलिए जल्दी ही खत्म कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: सप्लीमेंट्री डिमाण्ड काफी हैं।

श्री रतीराम यादव: उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक जन स्वास्थ्य में एक करोड पचपन लाख और अट्ठाईस हजार की मांग है, और है, तो और भी ज्यादा मैंने तो उसी मांग का जिक्र किया है जिसमें नई पाईप लाइन डालने के लिए यहां पैसा मांगा है। जो मरम्मत करने के लिए यह पैसा मांगा है उसमें इतनी बड़ी इन्होंने मांग की है। मेरा निवेदन करना है कि आप सालाना इस तरह से करोड़ों रुपया इसके अन्दर खर्च करते हैं और जो वेस्ट होता है। कोई उपयोग जिसका नहीं है आपकी पूंजी को बढ़ाने वाला क्या है यह बता दें। आप समाजवादी समाज का निर्माण करना चाहते हैं। आप देश में समाजवाद लाना चाहते हैं और राष्ट्रीय इन्कम को बढ़ाना चाहते हैं तो फिर मेरा निवेदन है कि आपको सारे राजस्थान के अन्दर और यह जन स्वास्थ्य की सेवायें जगह जगह पर आपको पानी पहुंचाने की व्यवस्था करनी पड़ रही है तो आपको कितने पाईप्स की, कितने मोटर्स की जरूरत पड़ेगी, दूसरे कितने इंस्ट्रूमेन्ट्स की जरूरत पड़ेगी जिन पर राज्य सरकार खर्चा करती है और सब वेस्ट जाता है, आपकी पूंजी नहीं बनती और राष्ट्रीय आय नहीं बढ़ सकती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप राजस्थान में राष्ट्रीय क्षेत्र के अन्दर इन सारे सामानों को तैयार करने के लिए कारखाना लगायें तो आपकी पूंजी बढ़े, आपकी इन्कम बढ़े। अभी इस सम्बन्ध में एक निवेदन और करना चाहता हूं। इसमें जो घोटाले है, मैं कहूं, कोई योजना नहीं, कहीं सेंक्शन नहीं और फिर भी आपका इस मद में खर्चा हो रहा है और जगह जगह पर पाईप लाइन नई डाली जा रही है और पानी पहुंचाया जा रहा है। तो कम से कम यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी चीजें तो आपकी निगाह से ओझल नहीं होनी चाहिये। आप किसी काम में खर्च करें तो ठीक है, किसी योजना के

(श्री रतीराम यादव)

अन्तर्गत खर्चा करें और आबादी को पानी पिलाने के लिए खर्चा करें तो बात समझ में आती है लेकिन जहां पर कोई आबादी नहीं है, आपकी योजना में भी नहीं है लेकिन किसी विशेष अधिकारी के वेस्टेड इन्ट्रेस्ट के कारण आपका इस मद में पैसा खर्च हो जाय तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे मामलों में सख्ती के साथ आपको इन्क्वायरी करानी चाहिये। मैं आपको उदाहरण देकर निवेदन करना चाहता हूं कि आमेर रोड के ऊपर दो किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ी बाबा का आश्रम है। सन् 74 के अन्दर दो किलोमीटर की लम्बी और 6 ईंच व्यास की पाईप लाइन डाल दी गई। जहां पर आश्रम है वहां पर कितने लोग बसते हैं ? कोई आबादी नहीं है, कोई आपकी योजना में सेंक्शन नहीं है इस मद में। मैंने तीन बार यह क्वेश्चन रिपीट किया है विधान सभा में लेकिन मुझे अफसोस है....

श्री प्रद्युम्नसिंह : उनके दर्शन करने के लिये बहुत लोग जाते हैं।

श्री चन्दनमल बैद : मुझे याद नहीं है कि यह प्रश्न कभी विधान सभा में आया हो। जिस बात का आप उलाहना दे रहे हैं, मैं सही कहता हूं कि आपका प्रश्न कभी विधान सभा में बोला नहीं गया।

श्री रतीराम यादव : मैंने भेजा है, वह आपके डिपार्टमेंट में गायब इंटेंशनली किया जा रहा है, यह मेरा आरोप है। मैं आपको डेट दिखा सकता हूं। मैंने तीन बार रिपीट किया है क्वेश्चन को लेकिन क्वेश्चन नहीं लिया गया। मुझे मालूम हुआ है कि वह आपके डिपार्टमेंट में पहुंच गया है और वहां पर खलबली मची हुई है कि जवाब कैसे दें।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, आपके ऊपर चार्ज लगा रहे हैं कि आपके यहां क्वेश्चन गायब हो गया।

श्री रतीराम यादव : मैं तो कहता हूं कि मान लीजिए मेरा क्वेश्चन नहीं है। किसके संकेत पर यह पाइप लाइन डाली गई ? डाली गई तो किस के संकेत पर और किस की सेंक्शन पर ? आप इस चार्ज के सम्बन्ध में इन्क्वायरी करवा लीजिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब माननीय मंत्रीजी मेरी बात पर आब्जेक्शन करते हैं तो ध्यान देकर सुनने की कृपा करें। मैं तो कहता हूं, अगर क्वेश्चन नहीं है, मान लेता हूं आप कहते हैं तो...

श्री चन्दनमल बैद : फिर गलतबयानी क्यों कर रहे हैं ?

श्री रतीराम यादव : मेरा निवेदन है कि पाइप लाइन पड़ी हुई है। उसकी आप इन्क्वायरी करा लीजिए कि है या नहीं ? अगर है तो किस का सेंक्शन में डाली गई और सेंक्शन नहीं है तो उसके लिए जो दोषी है क्या आप उसको दण्ड देने को तैयार हैं ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जन स्वास्थ्य मंत्री का सेंक्शन में डाली गई।

श्री चन्दनमल बैद : यह माननीय सदस्या जो जवाब दे रही हैं वह अपने अधिकार से दे रही हैं। उसको मान लीजिए।

श्री रतीराम यादव : मैं तो प्रेक्टिक आपकी बात मानूंगा । इसलिए मैं यह चाहूंगा कि माननीय मंत्रीजी, आप उत्तर देते समय स्पष्टीकरण करें। क्या पाइप लाइन नहीं है ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहता हूं कि इन बातों का कृपा करके उत्तर दें।

श्री **चंदनमल बैद** : उपाध्यक्ष महोदय, तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कई विभिन्न विभागों से संबंधित प्रश्न उठाए। वे नीति संबंधी प्रश्न नहीं हैं। कुछ इस तरह के प्रश्न हैं जो स्पेसीफिक नेचर के प्रश्न हैं। इसलिए सारे विभागों के जो प्रश्न उन्होंने उठाए हैं, उनके बारे में ब्यौरेवार नहीं बता सकूंगा। फिर भी जो कुछ जानकारी हासिल की है उसके हिसाब से मैं अर्ज करना चाहता हूं। सिरस्का गेम्स सैंचूअरी के बारे में कहा गया। हम सब लोग जानते हैं कि हमारा देश जिस तरह आगे बढ़ रहा है, बहुत बड़ा खतरा इस बात का है कि हर तरह के जानवर, पशु-पक्षी है उनको व इकोलोजीकल–बेलैंस को डिस्टर्ब करते चले जा रहे हैं। प्रकृति हमसे दूर होती जा रही है और उस कारण से हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आज अगर राजस्थान के रेगिस्तान के इतिहास को पढ़े तो मालूम होगा कि यह आदमी का बनाया हुआ है, प्रकृति की देन नहीं है। अगर पेड़ों को काटा नहीं होता, जानवरों को नष्ट नहीं किया होता तो हमें रेगिस्तान देखने को नहीं मिलता। वह हरा-भरा होता। इसी तरह से माननीय सदस्य जानते हैं कि जगह जगह जंगल बनाए हैं, पेड़ लगाए हैं, और पशु हैं वह देश की शान हैं। आप चाहते हैं कि सारी चीजें बरबाद करके पेड़ों को काटकर केवल खेती करें तो वह दिन दूर नहीं है जब कि बीकानेर, चूरू और नागौर का रेगिस्तान अलवर में भी नजर आने लगेगा। इसलिए अच्छी तरह से अध्ययन करने के बाद इस तरह की मांग करें। सोच समझकर राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को तय किया गया है कि शेरों की नस्ल और दूसरे पशुओं की नस्ल जो खतम हो रही है उनको प्रिजर्व करना चाहिए ताकि इकोलोजीकल बेलैंस न बिगड़े। सबसे बड़ा देश में आज नारा है, वनों की रक्षा। हम वन महोत्सव मनाते हैं, उस समय ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहते हैं जिससे ज्यादा बरसात हो और जगह हरी-भरी रहे और सूखा न पड़े। आप कहते हैं कि जंगल को काटकर खेती करने वालों को वह जमीन दें। मेरी समझ में नहीं आता किस बात से पीड़ित होकर यह बात कर रहे हैं। इसलिए जो कुछ बातें आपने कही हैं वह मानने लायक नहीं हैं।

माननीय सदस्य ने रोडवेज निगम के बारे में कहा है कि जो प्रावधान रखा है वह कम है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जो पहले बजट इस साल दे चुके हैं ओवर एण्ड अबाव रेट पैसा दे रहे हैं। 20 लाख शेयर कैपीटल दे चुके, यह 30 लाख रुपये एक्सट्रा हैं। 20 लाख पहले प्लानिंग कमीशन की अनुमति से दिया, 30 लाख और दे रहे हैं ताकि वे अपने काम काज को और बढ़ायें, अच्छा कमायें। आप शिकायत कर रहे हैं कि कम दिया। नया साल शुरू होते ही अप्रेल में 75 लाख रुपए लोन और कैपीटल और देने वाले हैं। हमने घोषणा की है कि अगले साल में

(श्री चन्दनमल बेद)

राजस्थान में 50 प्रतिशत बस रूट्स का राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं। आप जो चाहते हैं वही तो हम भी चाह रहे हैं, फिर शिकायत किस बात की ?

एस. एम. एस. अस्पताल के बारे में कहा है कि 16 लाख रुपए न्यूरोलोजी रिसर्च सेंटर को दिया। उनको शिकायत है कि दूसरे अस्पतालों को क्यों नहीं दिया। अगर कागजों का अच्छी तरह से अध्ययन करें तो 20–25 लाख रुपए बाकी 4 मेडिकल कालेजों को इस साल एकमुश्त दिया है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि अगले साल के लिए जिला डिस्पेन्सरीज के नीचे, डिस्पेन्सरीज की मरम्मत के लिए, एक्सटेन्शन के लिए 25 लाख का प्रावधान किया गया है। तो यह ध्यान में है कि जिला स्तर के नीचे की डिस्पेन्सरीज की मरम्मत, एक्सटेन्शन वगैरह के लिए 25 लाख रुपए दिए गए और जो मेडिकल कालेजों के अस्पताल हैं उनको ठीक करने के लिये, सुधार के लिए 20–25 लाख रुपए इस साल दिये गये। उसके अलावा जो जिला मुख्यालयों पर स्कूल बिल्डिंग्स या अस्पताल बिल्डिंग्स हैं उनकी मरम्मत के लिए इस साल पी. डब्ल्यू. डी. को 50 लाख रुपए ज्यादा दिए गए हैं जिससे उनकी देख-रेख में ज्यादा पैसा खर्च कर सकें। तो किसी अस्पताल या भवन को इग्नोर नहीं किया गया है। सब तरह से पैसे दिए गए हैं जिससे जो कमियां हैं वे दूर हो सकें।

निजी शिक्षण संस्थाओं में जो महंगाई भत्ता दिया गया उस बारे में एतराज किया। आपको एतराज तो यह होना चाहिए था कि तनख्वाहें भी नहीं दी जानी चाहिए, यह भी नहीं दी जानी चाहिए। तनख्वाह देते हैं तो महंगाई भत्ता भी देना चाहिए। आपको एतराज इस बात का करना चाहिए था कि उसको तनख्वाह ही नहीं देनी चाहिए और संस्थाओं को सरकार अपने हाथ में ले ले।

श्री रतीराम यादव : मेरा एतराज दूसरा है··

श्री चन्दनमल बेद : इस बारे में शिक्षा मंत्री बार-बार कह चुके हैं कि जो संस्थायें स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही हैं, वे बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उनको सरकार अपने तहत लेने का इरादा नहीं रखता।

आपने राज्य कर्मचारियों को भारत सरकार के कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ते की 5 किश्त देने के बारे में कहा। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कभी-कभी जो कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से तर्क आता है, उस पर हंसी आती है··

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप तो सारे कम्युनिज्म को ही हंसी-मजाक समझते हैं।

श्री चन्दनमल बेद : जब सरमाएदार या छोटे किसानों पर टैक्स लगाया जाता है तो विरोध होता है और जब पैसा खर्च करने का सवाल आता है तो आप कहते हैं कि खर्च कर दो। इसका मतलब टैक्स मत लगाओ, पैसा खर्च कर दो। मान लीजिए आपके कहने के अनुसार मैं 8 करोड़ का टैक्स भी न लगाऊं, 15 करोड़ महंगाई भत्ते के जो देना चाहते हैं वह दे दूं और पेन्शनर्स के बारे में भी अलवर से आने वाले-

(श्री चन्दनमल बेद)

माननीय सदस्य बराबर कहते रहते हैं, उनको पेन्शन में भी बढ़ोत्तरी करता हूं तो 2।। करोड़ का खर्चा उस पर करूं—इस प्रकार 26 करोड़ का घाटा हमारे बजट में और हो जाता है, 26 करोड़ रुपए कहां से आयेंगे ? हमारे प्लान में मैं कटौती करूं ? जो विकास की योजनायें हम राज्य में लेना चाहते हैं उनमें से 26 करोड़ घटा लूं ? इस तरह से जनता में असंतोष पैदा कर दूं और राजस्थान की जनता पहले से पीछे रही है वह पीछे रह जाए जिससे आपको संतोष हो और असंतोष भड़काने का मौका मिल जाए। आपकी चाल में मैं फंसने वाला नहीं।

जमदाय योजना के बारे में माननीय सदस्य ने जोरदार बात कही कि तीन बार आपने प्रश्न रखा और मेरे विभाग ने उसको रोके रखा। अगर आपके द्वारा प्रश्न पूछा जाए और टेबल पेपर आ जाए तो मैं उसको कैसे रोक सकता हूं ?

श्री रतीराम यादव : आपके विभाग॰॰

व्यवस्था का प्रश्न

प्रश्नों को गायब करने सम्बन्धी आरोप

श्री प्रद्युम्न सिंह : पाइंट आफ आर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, आपको व्यवस्था देनी चाहिए क्योंकि आखिर जिम्मेदारी सवालों को फिक्स करने की विधान सभा के अध्यक्ष की है। इसके लिए तय होना चाहिए, यह गम्भीर आरोप है। अगर विधान सभा सचिवालय से कोई सवाल विभाग में जाता है और वह गायब होता है तो अल्टीमेटली रिफ्लेक्शन चेयर पर है। कोई विभाग सक्षम नहीं है कि किसी सवाल को छिपा दे आपके यहां से रिमाइन्डर्स जाने के बाद भी॰॰॰॰

श्री उपाध्यक्ष : This is not the question.

श्री चन्दनमल बेद : माननीय उपाध्यक्ष जी, तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य के पास पूरी जानकारी नहीं है। यहां से क्वेश्चन डिपार्टमेन्ट को जाता है और डिपार्टमेन्ट से जवाब आवे या न आवे वह क्वेश्चन यहां पर लिस्ट हो जाता है। जब प्रश्न लिस्ट हो जाता है और हमारी ओर से उत्तर देने की तैयारी नहीं होती है तो हमें खड़े होकर यह प्रार्थना करनी होती है कि इस प्रश्न को पोस्टपोन किया जावे। जहां तक मुझे याद है, ऐसा कोई क्वेश्चन मैंने यहां पर पोस्टपोन नहीं करवाया है। विभाग ने गोलमाल किया यह मेरी जानकारी में नहीं है। मैं यह कहूंगा कि माननीय सदस्य को इसकी पूरी जानकारी नहीं है। इसलिए आपको पहले इसके बारे में जानकारी करनी चाहिये। पूरी जानकारी किए बिना किसी व्यक्ति पर लांछन लगा देना गलत बात होगी और यह वाजिब नहीं है। गैर वाजिब है॰॰॰

श्री रतीराम यादव : क्या आप इसकी इन्क्वायरी कराने को तैयार हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : सदन की जानकारी के लिए मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि बिजनेस रूल्स में यह बात स्पष्ट है कि क्वेश्चन के सम्बन्ध में, प्रक्रिया के अनुसार मिलने या न मिलने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य को कोई आपत्ति है तो

(श्री उपाध्यक्ष)

वे अध्यक्ष महोदय से मिल लें और बातचीत कर लें। वे सदन के प्रांगण में इस प्रश्न को नहीं उठावें। आपने पहले भी इसको उठाया है। यदि आपको इस बारे में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप इस सम्बन्ध में मेरे से बातचीत कर लें। यह मेरे सचिवालय से सम्बन्धित प्रश्न है और इस पर कोई प्रश्न हो तो उस पर चर्चा करने की मैं अनुमति नहीं देता हूं।

राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1976 पर अग्रेतर वाद-विवाद

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा गया है कि ऐसी जगह पर पाइप लाइन लगा दी गयी है जहां कि सेंक्शन नहीं थी। इसके बारे में यहां पर सवाल हुआ। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं इसकी जांच करूंगा और बिना सेंक्शन के कोई पाइप लाइन डाली गयी है तो जिन लोगों ने ऐसी कार्यवाही की है उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी। मेरे विभाग में आज तक ऐसा काम नहीं हुआ है, अगर ऐसा किया और आज मेरे यह ध्यान में लाया गया है तो निश्चित रूप से इस पर कार्यवाही की जायेगी चाहे वह पहाड़ी बाबा हो या हवाई बाबा हो। मुझे उनकी परवाह नहीं है। मुझे इतना ही कहना है और इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करूंगा कि इस विनियोग विधेयक को पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : अभी तो यह विचारार्थ है।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1976 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1976 को पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1976 को पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1976

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1976 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रीजी ने जो बजट सदन के सामने प्रस्तुत किया था, उसके ऊपर पिछली 9 तारीख से बहस चली थी और आज उस बहस का समापन होकर विनियोग विधेयक पर हम विचार कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इन पिछले दिनों में जितने विभाग···

(1.24 म.प.)

(श्री फूलचन्द, सभापति, पीठासीन)

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

बहस के लिए रखे गये थे, उन विभागों पर अलग-अलग माननीय सदस्यों ने कितने ही मुद्दे उठाये उन पर आम तौर जो माननीय वित्त मंत्रीजी की ओर से या संबंधित मंत्रीजी की ओर से दृष्टिकोण अपनाया गया है, वह इस सदन में माननीय सदस्यों के सामने आया है। मैं उन विभागों पर, जिनको बहस यहां पर हो चुकी है, ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा। एक बात तो मुख्य रूप से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, यह सही है कि राजस्थान की वित्तीय स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। परन्तु इस वित्तीय स्थिति का सुधार समाज के विभिन्न वर्गों पर, इम्पेक्ट किस रूप में पड़ा है, इस दृष्टिकोण से भी हमको विचार करना होगा क्योंकि जिस पंचवर्षीय योजना के दौर से हम गुजर रहे हैं, उसमें प्लानिंग कमीशन या भारत सरकार ने जो लक्ष्य सामने रखे हैं, वह विकास और साथ ही साथ सामाजिक न्याय के हैं। यानि हम विकास भी करें और साथ ही साथ सामाजिक न्याय विभिन्न वर्गों के साथ करें यह दृष्टिकोण होना चाहिये। मुझे खेद है कि यह दृष्टिकोण अभी तक राजस्थान सरकार का नहीं है बावजूद इस वर्ष में आपातकालीन स्थिति के दौर में जो प्रधान मंत्री द्वारा बीस सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की गई, उसमें उम्मीद की जाती थी कि प्रत्येक राज्य सरकार अपनी नीतियों और अपने बजट, जिसके जरिए सरकार की आर्थिक नीतियां प्रदर्शित होती हैं, ये इस प्रकार का मोड़ देंगी कि कमजोर वर्ग जो समाज में हैं, उनको आर्थिक नीतियों से अधिकाधिक लाभ मिले और जो सक्षम वर्ग है, धनी वर्ग है उनसे विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, आर्थिक विकास लिए अधिक से अधिक साधन उपलब्ध किये जाएं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बजट पर जनरल बहस के दौरान माननीय सदस्यों ने इस प्रश्न को रखा कि जो प्रोजेक्ट एरिया में जो भूमि का आवंटन होता है, उसकी रिजर्व प्राइस शत प्रतिशत बढ़ाई है। माननीय वित्त मंत्रीजी ने उसमें 25 प्रतिशत कम करना स्वीकार किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार और वित्त मंत्रीजी इस बात पर पुनः विचार करें कि बीस सूत्री कार्यक्रम में जो दिशा निर्धारण है प्रधान मंत्री द्वारा, क्या उसके अनुकूल यह कदम है? क्या बिलकुल उस प्रतिकूल दिशा में नहीं है? एक तरफ सारा का सारा जोर बीस सूत्री कार्यक्रम ग्रामों में रहने वाले खेतिहर मजदूरों, छोटे-छोटे किसानों, भूमिहीन किसानों के ऊपर दिया जा रहा है; उनको जमीन देकर, भू-खण्ड आवास के लिए देकर, कर्जा माफ कर के, उनकी मजदूरी बढ़ा करके, राहत दी जा रही है। उसके बदले में राजस्थान सरकार के वित्त मंत्री इस बजट में इस तबके के लोगों को जो जमीन मिलने वाली है उसकी कीमत पौने दो गुना कर देना चाहते हैं और जब उनको राहत देने की बात हम करते हैं तो आप कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के लोग यहां पर असन्तोष फैलाना चाहते हैं। मैं समझता था कि वित्त मंत्रीजी कांग्रेस के अंग हैं, अपनी पुरानी 1969 से पहले की विचारधारा को उन्होंने अब बदला होगा। परन्तु आज भी उनका दृष्टिकोण

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

देश की राजनीति और कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में वही बना हुआ है जो कि 1969 के पहले उनका था, यह जानकर मुझे आश्चर्य हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी देश में असन्तोष फैलाना चाहती है, कम्यूनिस्ट पार्टी देश के अन्दर असन्तोष फैलाकर गड़बड़ पैदा करना चाहती है। मैं यह कहना चाहूंगा, सभापति महोदय, यह एक ऐसा लांछन है, यह इस प्रकार का आरोप है जो मैं समझता हूं सरकार की तरफ से नहीं लगाया जा रहा है जिसको भारत सरकार स्वीकार नहीं करती। आज जो कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस मिलकर इस देश में अराजकता फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ बढ़कर लड़ रही हैं, एकजुट होकर लड़ रही हैं, इन वित्त मंत्रीजी का यह भाषण इस एकता के अन्दर दरार डालने वाला भाषण है। क्या वित्त मंत्री महोदय, इस बात से इन्कार कर सकते हैं कि जब देश के अन्दर जय प्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार में इन तमाम फासिस्ट शक्तियों ने संसदीय प्रणाली के खिलाफ आन्दोलन शुरू किया तब कम्यूनिस्ट पार्टी सबसे पहले मैदान में आई इस फासिस्टी आन्दोलन का मुकाबला करने के लिए? क्या वित्त मंत्रीजी इस बात से इन्कार कर सकते हैं कि राजस्थान में जब कि वित्त मंत्रीजी इस खतरे के प्रति जागरूक नहीं हुए थे राजस्थान की कम्यूनिस्ट पार्टी ने पिछली बार 21 मार्च को इसी विधान सभा के सामने जे. पी. आन्दोलन के खिलाफ, इस फासिज्म के खिलाफ बड़ा जुलूस निकाला था, और अपने तमाम मित्रों, सहयोगियों और कांग्रेस के दोस्तों का आह्वान किया था, आओ मिलकर इस बढ़ते हुए खतरे का मुकाबला करो? मुझे आश्चर्य है कि जब पिछले इन तीन-चार महीनों में इस प्रकार एकता द्वारा हमने इन काली शक्तियों का मुकाबला किया है आज इस प्रकार की आवाज सरकारी बैंचेज की तरफ से उठाई जाय जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर झूठा लांछन लगाने की कोशिश की जाय, वास्तविकता और असलियत को झुठलाने की कोशिश है।

सभापति महोदय, यह सही है कि उधर बैठने वालों में पहले भी वह लोग थे जो कम्युनिस्टों के विरुद्ध थे; समाजवाद के विरोधी थे, जिन्हें सोवियत रूस से हमारी दोस्ती पसन्द नहीं है। आज भी उनके दिलों में टीस थी। 20 साला सन्धि उनको पसन्द नहीं है और रात-दिन यह माला फेरते हैं, कि ऐसी कोशिश की जाय कि देश समाजवाद का रास्ता छोड़ दे और अमेरिका की शरण में जाय, अमरीकी साम्राज्यवाद की छत्रछाया में चला जाय। आज भी इस प्रकार के लोग जयप्रकाशनारायण की गोद के अन्दर फंसे हुए हैं, इस प्रकार के लोग मंत्री-मण्डलों में बैठे हैं, कांग्रेस के अन्दर बैठे हैं, इस प्रकार के लोगों की बात है। आज हम सब लोग इस साम्राज्यवाद के, फासिस्टवाद के खतरे को वास्तविक खतरा समझते हैं, यह मानते हैं कि देश के अन्दर इस वक्त यह शक्तियां बाहर की शक्तियों से मिलकर देश की एकता को, देश की स्वतन्त्रता को खतरा पैदा कर रही हैं। बावजूद इस प्रकार के खतरे के इस प्रकार की आवाज वित्त मंत्री जैसे लोग जगह-जगह उठाते हैं। बावजूद उनके उकसावे के

Page No 58

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हम प्रोवोक न होकर यह समझते हैं कि सबसे पहले इन शक्तियों के मुकाबले में देश की एकता की रक्षा करें, देश के दुश्मनों से मुकाबला करके देश की सार्वभौमता की रक्षा करें। यह हमारा फर्ज है और उस दिशा से हम विचलित होने वाले नहीं हैं।

कांग्रेस के अन्दर कुछ लोग 1969 में जो राष्ट्रपति के चुनाव हुए उसमें जो राष्ट्रपति गिरि के खिलाफ संजीवा रेडी के पक्ष में थे, वित्त मंत्री जी उसमें से एक थे, यह कोई छिपी हुई बात नहीं है। भले ही आज वह समय के बदलाव के कारण कम्पलशन...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वित्त मंत्रीजी उस समय सदस्य नहीं थे सदन के।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पक्ष वालों में थे, वोट देने वालों में नहीं थे।

श्री जुझारसिंह : How do you presume it?

श्री रामानन्द अग्रवाल : I know. I know him much better than you. I am an old Congressman before you came into Congress. He and I were travelling in the same organisation, so I know him from very old time.

श्री जुझारसिंह : कांग्रेस पार्टी के इलेक्शन का...

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, मैंने जो निवेदन किया वह कांग्रेस पार्टी के बारे में नहीं किया। वित्त मंत्रीजी ने कुछ बातें कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में कही हैं उन्हीं का उत्तर दे रहा था। मैं कह रहा था कि बावजूद इस बात के हम यह मानते हैं कि देश के सामने यह खतरा है उसका हम और कांग्रेस इन और दूसरे जनवादी तत्व जो न कांग्रेस में हैं और न कम्युनिस्ट पार्टी में हैं वह मिलकर उस खतरे का मुकाबला करेंगे और इस तरह की छींटाकशी का हमारे बढ़ते हुए सहयोग में कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस बजट में जो 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्दर दिशा है उस दिशा की ओर जाने की, उसको मजबूत बनाने की बात परिलक्षित नहीं होती है। मिसाल के तौर पर मेरा यह कहना है कि रिजर्वेशन प्राईस लैण्ड की जो एलाटमेंट प्रोजेक्ट एरिया में है वह पहले से दुगनी की गई, और बाद में जब हाउस में चारों तरफ से उस बात का विरोध किया गया तो उसको 25 पर्सेन्ट केवल मात्र कम किया गया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वित्त मंत्रीजी और राज्य सरकार इस बात के ऊपर पुन: विचार करें। मुझे ऐसा लगता है कि गम्भीरता से राज्य सरकार इस पर विचार करेगी तो इस नतीजे पर पहुंचेगी कि एक तरफ तो 20–सूत्री कार्यक्रम के द्वारा जिन तत्वों को हम फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं दूसरी तरफ कीमत बढ़ायें यह बिल्कुल इसके विपरीत है। हमारा यह भी कहना है कि बावजूद इस पीरियड के देश में बड़े बड़े सामन्तों का, देश के इजारेदार पूंजीपतियों का, देश के काला बाजारियों का, और इस प्रान्त के ऐसे और इन्हीं लोगों का देश-

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

विरोधी, राष्ट्र-विरोधी रवैया रहा है, इनके अखबारों ने हमारे आर्थिक ढांचे में हर तरह से अव्यवस्था पैदा करने की कोशिश की है, राज्य सरकार की आर्थिक नीति, वित्त मंत्री जी के बजट से साफ है कि इस तबके पर यह चोट करने के बजाय, इस तबके से देश के आर्थिक विकास के लिए अधिक पैसा लेने के बजाय, उनकी निगाह उस तबके पर अधिक गई है जिसको कि हम मदद करने वाले हैं, जिसको कि हम 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के जरिये मदद करना चाहते हैं। यह बात सही है कि राज्य के विकास के लिए पैसा चाहिए, और हम कम्युनिस्ट पार्टी के लोग इस बात की मांग करते रहे हैं कि आज हमारी पंचवर्षीय योजना का जितना बड़ा प्रारूप है इससे भी अधिक बड़ा प्रारूप होना चाहिए। हमने यह कभी नहीं कहा कि यह प्रारूप कर्जे के आधार पर हो। हमने कभी यह नहीं कहा कि इसके लिए अमेरिका से मदद ले लो, बल्कि हमने इस बात के लिए कहा है हमेशा कि यह प्रारूप बड़ा हो सकता है हमारे इस प्रान्त के साधनों से हो सकता है, बशर्ते कि एक पोलिटिकल विल राज्य सरकार में और वित्त मंत्रीजी में हो। उस पोलिटिकल विल का इस्तेमाल करके जो सक्षम तबके हैं उन सक्षम तबकों से और हम साधन प्राप्त करके राज्य की अपनी आर्थिक अवस्था को सुधार सकते हैं। अपने विकास की योजनाओं को बढ़ा सकते हैं।

सभापतिजी, इसी सदन में हमने कई बार इस बात को आग्रहपूर्वक कहा है कि हमारे राज्य में 22 भूतपूर्व राजा थे। अगर आप इन्हीं 22 भूतपूर्व राजाओं पर ही अपनी शक्ति केन्द्रित करें तो आपको बहुत बड़ी जमीनें शहरी क्षेत्र में, देहाती क्षेत्र में, बहुत बड़ी इमारतें, बहुत बड़े बंधे मिल सकते हैं। अगर आप अक्लमन्दी से चलें तो बहुत बड़े आभूषण और जवाहरात, जो इनके पास बहुत बड़ी तादाद में वैल्थ के रूप में हैं, अगर केन्द्र के जुरिस्डिक्शन में भी हैं, तो केन्द्र भी उनको ले तो उसका हिस्सा राजस्थान को मिलने वाला है।

मैंने कितनी बार कहा है कि राजस्थान के राजाओं के पास जो गोल्ड, जवाहरात और मोहरें हैं और दबा हुआ खजाना पड़ा है, इस प्रकार से सारे राजस्थान के अन्दर एक सिस्टमैटिक तरीके से उसकी खोजबीन की जाय तो आज राजस्थान सरकार पर भारत सरकार का जितना कर्जा है करीब एक हजार करोड़ का जो कर्जा है वह तमाम का तमाम वाइप आउट हो सकता है, अगर उन साधनों को जुटाया जाय। लेकिन क्या यह आज वास्तविकता नहीं है कि जगह-जगह पर इन लोगों की प्राइवेट प्रोपर्टी, जो इनकी इन्वेन्टरी में दर्ज है, को लेने के बजाय इस दौरान में इन राजाओं ने जिन जमीनें, जिन जायदाद, जिन मकानात जिन पर इनका कोई अधिकार नहीं था, को भी कब्जे में कर रखा है और राज्य सरकार कानों में अंगुली डालकर बैठी हुई है। अलवर के बारे में मैंने कितनी बार इस सदन के अन्दर मामले रखे हैं, वहां पर इन्वेन्टरी में दर्ज जायदाद के अलावा भी उनके पास बहुत सी जायदाद है जो कि सरकार की है लेकिन जबरदस्ती आफिशियल्स से मिलकर और गड़बड़ियां करके उनको अपने कब्जे में कर

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

रखा है, लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। आज जो गरीब आदमी हैं उनके तो नाजायज कब्जे हटा देते हैं लेकिन बड़े-बड़े राजाओं ने जो इस तरह से कब्जे कर रखे हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, न कोई कार्यवाही उनके खिलाफ की जा रही है। उनके पास जो जमीनें हैं वह लाखों रुपयों में बिक सकती है और बिक रही हैं और राज्य सरकार के पास पैसा आ सकता है। मैंने निवेदन किया था कि लाखों मन लकड़ी अलवर के शकुन ओदी जंगल से गैर कानूनी तरीके से कटवा दिया दी गई है। माननीय मन्त्रीजी उत्तर देते हैं कि अलवर में अगर जंगल काट दिया जायगा तो वहां भी चूरू जैसा रेगिस्तान बन जायगा। मैं माननीय वित्त मन्त्रीजी को कहना चाहूंगा कि इतनी अकल तो हम भी रखते हैं, जंगल कटवाने की बात हम नहीं कह रहे हैं। हम तो यह कह रहे हैं कि ऐसी जमीन जो पहले काश्त हो रही थी, उस जमीन पर काश्त हो सकती है, और जो लोग काश्त कर रहे हैं उन लोगों को वहां से नहीं हटाना चाहिए, वहां से उनको नहीं हटाने की बात मैं कह रहा हूं। लेकिन मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि यदि माननीय वित्त मन्त्री जी उस पर ध्यान देते तो यह लाखों मन लकड़ी या जो भी दरख्त थे उनको कटवाकर जो लकड़ी बेच दी गई है, शकुन ओदी के जंगल से, जो एक रिजर्व फोरेस्ट है, जहां पर किसी ठेकेदार को भी बिना लाइसेंस इजाजत नहीं मिलती लकड़ी काटने के लिये, वहां पर उन्होंने लाखों मन लकड़ी कटवा दी। उस राजा के खिलाफ हमने क्या किया जबकि उनकी अपनी जमीन भी है, जंगल भी है, फिर भी सीलिंग कानून के तहत जो लाइसेंस लेना आवश्यक है वह भी उन्होंने नहीं लिया, आपकी सरकार को उन्होंने सरकार नहीं माना और हजारों रुपयों का नुकसान हो गया? लेकिन आपने कोई ध्यान नहीं दिया। इसी तरह से कोटा और बून्दी के जंगलों का मामला है। मेरे ख्याल से माननीय मन्त्री जी, जो अभी यहां पर बैठे हुए हैं, बखूबी वाकिफ होंगे, क्योंकि बून्दी के जंगल का बुरी तरह से हाल हुआ, उनको काट दिया गया नाजायज तरीके से और फिर उसको बेच दिया गया। वह राज्य की सम्पत्ति थी, उस सम्बन्ध में आपने क्या कार्यवाही की? यह एक जानकारी करने की बात है कि बून्दी के महाराजा के खिलाफ कई डाक्यूमेंट्स हैं, उन्होंने इन्वेन्टरी के अलावा किसी जमीन पर कब्जा किया हुआ है लेकिन उनका क्या हुआ? राज्य सरकार अपनी सम्पत्ति को बढ़ाने की, असेट्स को बढ़ाने की कोई चिन्ता नहीं करती। कोटा के बारे में मामला यहां पर सामने आया था कि एक बोगस कोआपरेटिव सोसायटी बनकर कई शहरों की जमीनें बोगस तरीके से एक बड़े सेठ के मार्फत बेच दिया जो कि अर्बन सीलिंग के तहत राज्य सरकार के पास आनी चाहिए थीं, वे जमीनें अभी भी आ सकती हैं, अभी भी राज्य सरकार चेतन होकर उसको पकड़ने की कोशिश करे तो तमाम उस जमीन को पकड़ा जा सकता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि क्या यह सही नहीं है कि बिड़लाजी हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा मोनोपोलिस्ट है उसकी तरफ बिजली बोर्ड का दस-दस लाख रुपया बकाया है और

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

दूसरी तरफ एक छोटे से किसान के खेत पर पांच हॉर्स पावर की या दस हॉर्स पावर की मोटर चल रही है जो दो सौ, चार सौ रुपया नहीं दे सकता उसका कनेक्शन काट दिया जाता है और बिड़ला एजूकेशन ट्रस्ट जिसकी तरफ सरकार का कितने ही लाख रुपया बकाया है और जो एक्सप्लोइटेशन कर रहा है, उसके कनेक्शन को काटने की हिम्मत नहीं होती।

इस तरह से आप देखेंगे कि बड़े-बड़े पूंजीपतियों की तरफ, बड़े-बड़े राजाओं और जागीरदारों की तरफ राज्य सरकार का लाखों रुपया बकाया है, वसूली का अभियान चलाया जाकर उसको वसूल किया जाना चाहिए। सबसे पहिले सरकार को अपनी ताकत, अपना वजन इन वसूलियों की तरफ लगाना चाहिए। इसी सदन के अन्दर, चन्द रोज पहले बताया गया था कि अलवर के राजकुमार को तरफ साढ़े छियालीस लाख रुपये सरकार का बकाया है। माननीय मन्त्री महोदय यह बता रहे थे कि डेढ़ लाख का झगड़ा है, महाराजकुमार कहते हैं कि डेढ़ लाख रुपया ज्यादा है? लेकिन अगर ज्यादा है, तो आप 45 लाख तो ले लो, डेढ़ लाख के झगड़े में आपने 46 लाख की वसूली को स्थगित कर दिया, यह आपका समाजवादी दृष्टिकोण है। क्या कानून में इस तरह से परिवर्तन करके राज्य की वित्तीय स्थिति को बिगाड़ना चाहते हैं। इसी सदन में, सभापति महोदय, हमने राज्य सरकार के वित्तीय साधन बढ़ाने के लिये कई प्रकार के ठोस सुझाव भी दिये हैं। यह जो बिल्डिंग, भवन और जमीनों के किराये के कानून बने, इन जमीनों के बारे में मथुरादास जी माथुर जब वित्त मंत्री थे, शायद 1963-64 में कानून पास हुआ लेकिन कितने ही वर्षों तक वह कानून कागजों में ही रखा रह गया। विधान सभा ने टैक्स लगाना तो तय कर दिया लेकिन उस पर कोई अमल नहीं किया गया। अब जबकि ये वित्त मंत्री जी हैं, यह नियम बना दिया है, इसमें यह तय किया कि केवल 50 हजार से जिनकी ज्यादा सम्पत्ति है उनके ऊपर यह टैक्स लगेगा और नियमों के अन्दर यह प्रावधान भी कर दिया कि एक व्यक्ति के पास दस मकान हैं और प्रत्येक मकान 45, 45 हजार का है तो कुल टोटल 4 लाख 45 हजार का हो गया, लेकिन इन नियमों के अनुसार जो कि वित्त मन्त्रीजी के नेतृत्व में बनाये गये, उस बेसिस पर जिसके पास दस दस मकान हैं और एक एक मकान 45, 45 हजार का है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि एक बिल्डिंग पचास हजार से कम की है तो वह इस प्रकार से टैक्स से बरी हो जाता है। इस तरह का प्रोविजन किसी भी टैक्सेशन लॉ में नहीं देखा गया। लेकिन चूंकि यह बड़े लोगों से सम्बन्ध रखने वाला है, बड़े लोगों पर असर पड़ता है, इसलिए इस प्रकार का कानून बनाया जिससे थोड़ा टैक्स लगाया जावे। इस पर यह भी कहा जाता है कि भवन और किराये से ज्यादा वसूली नहीं होती है और एडमिनिस्ट्रेशन पर ज्यादा बोझ पड़ता है इसलिये इसको अबोलिश कर देना चाहिए।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, जिस तरह वित्त मंत्री जी ने मनोरंजन कर एक रुपये वालों पर भी 35 पर्सेन्ट से 60 पर्सेन्ट कर दिया, और 50 पर्सेन्ट

Page No 62

(62)

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

से हण्ड्रेड पर्सेन्ट कर दिया। यह आठ आने के टिकट वालों पर आपकी निगाह गई, यह कोई कुली होगा, यह कोई पलदार होगा, कोई छोटा मजदूर होगा। लेकिन आपकी निगाह इन भवन और मकान वालों पर, सम्पत्ति वालों पर नहीं गई। इन पर हाफ पर्सेन्ट टैक्स अभी तक लगाते आ रहे हैं! इन पर रेट नहीं बढ़ा सकते। आपकी कलम इन पर चलती और 5 पर्सेन्ट, दस पर्सेन्ट तक, स्लेब सिस्टम से करते। पचास पचास हजार की अलग अलग जायदाद की छूट दी हुई है— इसको हटा कर सारा एग्रीगेट प्रापर्टी पर करते तो समझ में आता कि करना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, हम कम्युनिस्ट पार्टी के लोग यह नहीं चाहते कि अनुचित तो पेमेन्ट किया जाय और उचित तरीके का टैक्स नहीं लगाया जाय। बल्कि हम कम्युनिस्ट लोग व्यवहारिक लोग हैं, ईमानदारी से समाजवाद पर विश्वास करते हैं, जहां कम्युनिस्ट पार्टी को हुकूमत करने का मौका मिला है, समाजवाद कायम करके दिखाया है। इसलिए हम कोई गलत रास्ता नहीं बताना चाहते, या गलत सलाह नहीं देना चाहते, या गलत बात नहीं कहना चाहते। हमारा यह कहना है, आप जो पेमेन्ट करने को इन्कार करते हैं वह तो उन तबकों का करते हैं, जो कमजोर हैं, गरीब हैं, कमजोर वर्ग के हैं, छोटे राज्य कर्मचारी हैं या छोटे पेन्शनर्स हैं, उनको पैसा देने की बात नहीं करते हैं, लेने की बात करते हैं, वह इन गरीब लोगों से लेने की करते हैं। हम यह निवेदन करना चाहते हैं, आप अगर खर्च में कमी करें, अगर आप यह करें, जो रियायत बड़े लोगों को दी हुई है उसको कम करें तो उससे आपकी आमदनी बढ़ेगी। आप खर्च इस तरह गरीब लोगों पर करें, उससे सामाजिक न्याय मिलेगा, जो कि इस पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूलभूत आधार है, सिद्धान्त है उसके अनुसार राजस्थान सरकार को मिलना चाहिए। इसलिए, सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार को आज भी उनको कहना चाहिए, और खास तौर पर अगर बीस सूत्री कार्यक्रम पर अमल करना है। अभी मुख्य मंत्री का सम्मेलन हुआ था, हमें बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है, बराबर प्रधान मंत्री को यह कहना पड़ता है कि राज्य सरकार बीस सूत्री कार्यक्रम को अभी संतोषजनक ढंग से नहीं चला रही है। अभी भी उनको बार बार ताड़ना देनी पड़ती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारी राज्य सरकार को उस स्प्रिट के अनुरूप, उस भावना के अनुरूप आज काम करने की आवश्यकता है। इसलिए अगर आप राज्य की आमदनी बढ़ाना चाहें, तो उस आमदनी को बढ़ाने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने बराबर सुझाव रखे हैं, आज भी मैं रिपीट करना चाहता हूं। नम्बर एक, आपके रिसोर्सेज राजस्थान के राज्य हैं, संविधान के तहत लैंड पर जिस तरह के टैक्सेज वगैरह लगाने का आपको अधिकार है, अगर आप सबका उपयोग करें तो कृषि भूमि, आबादी भूमि और दूसरी सम्पत्तियां, जो इसके तहत आ सकती हैं, जो नाजायज इनके पास हैं वह लेकर आप अपने अमेट्स बड़ी मात्रा में बढ़ा सकते हैं। जो टैक्सेशन मेजर्स के जरिये हैं, भवन और जमीन के ऊपर मौजूदा कर हैं, उन कानून में रेट्स इन्क्रीज करें जो इन

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

पर लागू हो सकती हैं उन्हें बढ़ा करके जो एक्जम्पशन देने का तरीका है उसको खत्म करें और एग्रीगेट प्रापर्टी को एक जगह लेकर उनको टैक्स करें। आपने रेट्स बढ़ायी मनोरंजन कर बढ़ाया है आठ आने वालों पर, तो इसको भी बढ़ा सकते हैं, आधा पर्सेन्ट का अब जमाना नहीं रहा, इसको ले जाइये 10 पर्सेन्ट पर, इसको स्लेब सिस्टम से कीजिये तो आपकी इसके जरिये से आमदनी बढ़ेगी। हमने यह भी कहा है, इस विकास के जरिये जिन लोगों ने बहुत मुनाफा कमाया है, जिन चीजों की इस कारण कीमत बढ़ी है, जिन शहरों में जिनके पास सम्पत्ति है, उस सम्पत्ति की कीमत बढ़ी है। उसमें उन्होंने कोई मेहनत नहीं की। जयपुर राजधानी हो गया तो जयपुर के लोगों की जायदाद की कीमत बढ़ गई। इनको टैक्स क्यों नहीं किया जाय? और केवल जयपुर ही नहीं, और जगह जहां सम्पत्ति वालों ने विकास में कुछ नहीं किया लेकिन लाभ उठाया। जो बिजली लगायी, जो सड़कें बनाई गईं–बिजली और सड़कों का, जो नई आबादी है, नये आबाद होने चले है, प्लाट हैं, उन पर विकास के चार्ज लगा कर चार्ज करते हैं। लेकिन पहले से जो जायदाद खड़ी हैं, जमीन है विकास की वजह से अपने आप उनकी कीमत बढ़ गई, उन पर आप विकास टैक्स क्यों न लगायें? सम्पत्ति वालों पर विकास टैक्स लगा कर आमदनी इकट्ठी कर सकते हैं। इसमें और भी कितनी ही बातें हैं जिनको बताया जा सकता है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारा यह दृष्टिकोण है कि राज्य सरकार की आय बढ़े, इसलिए राष्ट्रीयकरण रोडवेज का सेंट पर्सेन्ट करने के लिए आज पन्द्रह वर्ष से चिल्ला रहे हैं। हमारे भरतपुर जिले में मैं खुद वहीं से आता हूं, सबका सब, पूरा का पूरा राष्ट्रीयकरण जल्दी से जल्दी कर दें। इस बात की मांग हमेशा उठाते रहे हैं। उससे आमदनी बढ़ेगी, विकास होगा और जनता को राहत मिलेगी। कौन दोषी है? वित्त मंत्री जी, 20 लाख रुपया देते हैं और 50 पर्सेन्ट की बात करते है। 70 लाख रुपया देते हैं और 50 पर्सेन्ट की बात करते हैं। कागजी में कह दिया, राष्ट्रीयकरण करो, लेकिन अमल में नीचे से तख्ता खींच लिया, यातायात मंत्री जी का गला फंस जायगा। मंत्री जी ने 50 पर्सेन्ट की बात की। मैं निवेदन करना चाहता हूं, ज्यादा पैसा लेने की आवश्यकता है, तो ज्यादा राष्ट्रीयकरण करो। ज्यादा पैसे लेने की आवश्यकता है, तो इससे आमदनी बढ़ेगी इससे तरक्की होगी। हम अपने काम का विकास कर पायेंगे। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, वित्त मंत्री जी ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की बात यह कह कर और टाल दी कि इसके कारण इतना भारी बोझ राजस्थान के बजट के ऊपर, राजस्थान के कन्सोलिडेटेड फण्ड के ऊपर आ जायगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर राजस्थान सरकार अपनी नीतियों में यह फेर बदल करे तो आमदनी बढ़ सकती है और यह तबका, जिसका जायज हक है, जिससे गवर्नमेंट कमिटेड है, मुआयदा बीच में बैठ कर हुआ है, उस मुआयदे से पीछे हटना किसी प्रकार से शोभा नहीं देता। मैं कहना यह चाहूंगा, सभापति महोदय, यह मेरे पास 15-8-73 का एग्रीमेंट है, जिसमें एक तरफ

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

बरकतुल्ला खां के खुद के हस्ताक्षर हैं, दूसरी तरफ विशन सिंह शेखावत, ईश्वरी प्रसाद गौड़ वगैरह, जो संयुक्त महासंघ के लीडर हैं, इनके दस्तखत हैं। इसके क्लाज 2 ब में कहा गया है "एक मई, 1973 से अतिरिक्त मंहगाई भत्ता केन्द्रीय सरकार की दर के अनुसार दिया जायगा।" राज्य सरकार की खुद की विज्ञप्ति जारी हुई, जिसकी कापी मेरे पास है। यह प्रेस विज्ञप्ति जन सम्पर्क निदेशालय की है, "जयपुर 28 फरवरी। राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार के अनुरूप अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया है। "इस फार्मूला के अनुसार 300 रुपये प्रति माह," 300 रुपये प्रतिमाह से वगैरह वगैरह। यह सारा इसमें दिया हुआ है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह राज्य सरकार का खुद का कमिटमेंट है राज्य कर्मचारियों के प्रति और यह कमिटमेंट से बैक आउट हों, उस कमिटमेंट से इन्कार करें। मुझे आश्चर्य हुआ, वित्त मंत्री ने मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा, हमने कब यह कमिटमेंट किया था। हमने इस प्रकार का मुआयदा नहीं किया। इसलिए मैं यह मुआयदा भी ओरिजिनल लाया हूं और सरकार का परिपत्र है, वह भी आपके सामने रखा है। राज्य कर्मचारियों ने अगर आपने पेमेन्ट करके उनको कैश भुगतान नहीं किया, उस को किसी फण्ड में जमा कर लिया, तो उस बात के लिए भी एग्री किया। केन्द्रीय सरकार के सामने वित्तीय प्राब्लम थी। लेकिन उन्होंने हल निकाल कर उनको संतुष्ट किया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप ओवर इन्ट्रेस्ट को देखें, आप इस बात पर पुनर्विचार करें। इस तबके को इस बात को समझ कर कि आपात्कालीन स्थिति के दौर में कोई आन्दोलन वगैरह कर नहीं सकते, इसलिए पेमेन्ट नहीं किया जाय, तो मैं मित्रों से कहना चाहूंगा कि यह दृष्टिकोण दुरुस्त नहीं है हम और आप जिस लड़ाई को मिलकर जिन फासिस्ट और काली शक्तियों को परास्त करना चाहते हैं, उनमें तमाम लोगों को, जो सामान्य लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनको सन्तुष्ट करके इस लड़ाई में जूझने की नीति अपनानी चाहिए बजाय इसके कि हम आपात्कालीन स्थिति का दुरुपयोग करके यह समझें कि अब कर्मचारी कुछ नहीं कर सकेंगे, इसलिए हम मौन रहें। तो मैं समझता हूं, यह सेल्फ डिफीटिंग पपंज होगा। हमारा जो मुख्य लक्ष्य है, उसको कमजोर करने वाला होगा और फिर भी आपको देना तो होगा ही। मैं इस बात की तारीफ करना चाहूंगा राज्य कर्मचारियों की कि उन्होंने जो देश के सामने इस समय संकट है, देश भक्त जनता, देश भक्त पार्टियां फासिस्टवाद साम्राज्यवाद और प्रतिक्रियावाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उस खतरे को वास्तविक खतरा मानकर इस प्रकार की स्थिति पैदा नहीं की जिससे वह लड़ाई कमजोर हो, यह उनकी देश भक्ति का संकेत है और ऐसा होना भी चाहिए। चाहे महंगाई भत्ते की लड़ाई है लेकिन उस मुकाबले में यह लड़ाई छोटी है। आज हर भारतीय को मजदूरों के बोनस के प्रश्न पर नाराजगी है लेकिन इस समय फासिज्म के खिलाफ लड़ना, साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ना है, देश की रक्षा करना, एकता की रक्षा करना, यह पहली लड़ाई है। यह किस तरह से कमजोर हो

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कम्युनिस्ट पार्टी इसको पसंद नहीं करती।

इसलिए हम चाहते हैं कि हम आपस में इस बात को बहस करके समझें और मसलों को हल करने की कोशिश करें। केवल केन्द्र ही नहीं बल्कि कितनी ही राज्य सरकारें अब केन्द्र के समान महंगाई भत्ता आपने राज्य कर्मचारियों को दे चुकी हैं। इसलिए मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे और इस बात का हल निकाले ताकि बहुत बड़े वर्ग में संतोष हो सके।

वित्त मंत्रीजी ने पहले ही इस बात को समझकर कि मैं उस सवाल को उठाने वाला हूं, पहले ही पेन्शनर्स के सवाल को टच किया। जब तक आप तय नहीं करेंगे मैं इस सवाल को निश्चित ही उठाता रहूंगा वह इसलिए कि मैं आपसे एक जस्टीफाइड बात को मंजूर करने की उम्मीद करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप 20 सूत्री कार्यक्रम को अमली रूप, ईमानदारी से देने के लिए कृतसंकल्प हैं। आपकी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी बार बार आपको इस बात की तरफ संकेत कर रही हैं कि आप कमजोर तबके की तरफ ध्यान दें। इस दृष्टिकोण से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब केन्द्रीय सरकार ने एडहॉक बढ़ोत्तरी अपने पेन्शनर्स की कर दी और उसके साथ 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता और दे दिया और अब इस बजट में भी दो किश्तें महंगाई भत्ते की याने 10 प्रतिशत और दे दीं और इसके मुताबिक कितनी ही सरकारों ने भी घोषणा कर दी जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, तामिलनाडु। इस तरह से 10 सरकारों की मेरे पास सूचना है जिन्होंने पेन्शनर्स को केन्द्रीय सरकार के अनुरूप एडहॉक वृद्धि और महंगाई भत्ते में 5 प्रतिशत वृद्धि दी है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज हम और आप इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि न्यूनतम जीवन स्तर किसी भी व्यक्ति को दें, अगर समाजवाद को ईमानदारी से लाना चाहते हैं तो समाजवाद का मतलब है ऐसी व्यवस्था जिसमें हर आदमी को जीवनयापन की सिक्योरिटी हो, गारन्टी हो, तभी हम भ्रष्टाचार का मुकाबला कर सकेंगे। वह बात तो थोड़ी लम्बी है लेकिन अपने कर्मचारियों, अपने चपरासियों, चतुर्थ श्रेणी के लोगों को कितनी पेन्शन देते हैं और उस थोड़ी सी पेन्शन में उनको 15) एडहाक ग्रांट हो और 5 प्रतिशत महंगाई भत्ते के हों, वह भी आप नहीं देना चाहते, उसको भी आप नहीं बढ़ायें यह कह कर कि हमारे वित्त पर असर पड़ेगा।

हमने इन तीन वर्षों में विधायकों और मंत्रियों के वेतन बढ़ाए, हमारे यहां 100-100 रुपए बढ़ाए जायं, हर सेशन में कुछ न कुछ हमारी सुविधायें बढ़ाई जायें, यह क्या हमारे लिए शोभा देता है? हम उनके प्रतिनिधि पहले अपनी थाली भर दें, दूसरे भूखों की चिन्ता नहीं है, क्या यह दृष्टिकोण समाजवाद का है? मुझे मालूम हुआ है और यह सही है कि ये प्रहरी, सिक्योरिटी के लोग जिनको हम बुलाते हैं। 32 दिन तक, यहां दिन रात पहरा दे रहे हैं, 8-8 घंटे ड्यूटी देते हैं, रात को जब 10-10 बजे तक

Page No 66

(66)

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सेशन चलता है तब तक ड्यूटी देते हैं, उनके लिए वित्त मन्त्री उनको 32 दिन का अलाउन्स न देकर केवल 10 दिन का अलाउन्स देते है। 10 दिन की सीलिंग आपने लागू कर दी। बड़े आश्चर्य की बात है यह फोर्थ क्लास सबसे कम आमदनी वाला है। एक तरफ तो 20 सूत्री कार्यक्रम चले और दूसरी तरफ ये नीतियां चलें यह शोभा नहीं देता। इसलिए मैं आशा करता हूं वित्त मन्त्रीजी इन बातों की तरफ ध्यान देंगे और छोटे मोटे पैसे की चिन्ता न करके सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण को अपनायेंगे। डवलपमेंट विथ स्पेशल जस्टिस हमारे वित्त मंत्री डेवलपमेंट विथ जस्टिस को भुला रहे हैं। मैं उनका फिफ्थ प्लान के एप्रोच की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जो हमारे देश की प्लानिंग कमीशन और भारत सरकार ने, जिसका यह स्वयं अंग है, मंजूर किया है।

यू. जी. सी. ग्रेडस कालेज और विश्वविद्यालय के टीचर्स को मिलने चाहिए। इसके लिए इस सदन में चारों ओर से आवाज उठी थी। आपको याद होगा कि इमर्जेन्सी लागू होने से पहले हम सबने मिल कर फार्मूला बनाया गवर्नमेंट और उनके बीच में, मिडिएशन के लिए कमेटी बनवाई। मुख्य मंत्री ने घोषणा की कि हम यू. जी. सी. के ग्रेड्स लागू करेंगे, इस सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं लेकिन किस तरह से लागू किया जाए, इस पर बैठ कर बातचीत करना चाहते हैं, उनके लिए कमेटी बनाई गई। उसके बाद फिर आपातकालीन स्थिति आ गई। तो इससे क्या हमारा मानवीय दृष्टिकोण यू. जी. सी. ग्रेड्स को स्वीकार करना और इनप्रिन्सिपल इनको लागू करना, वह सारा मामला खटाई में क्यों पड़ गया? न केवल केन्द्र ने बल्कि कितने ही राज्यों ने इन ग्रेड्स को अपने अपने राज्यों में लागू कर दिया है। हमारे पड़ोस के हरियाणा ने लागू कर दिया, उत्तर प्रदेश, शायद पंजाब, बंगाल, आन्ध्र प्रदेश ने लागू कर दिया तो फिर आप क्यों ऐसा करते हैं कि बकरी दूध दे और मींगनी करके दे। तो उससे क्या फायदा? जब आप राजस्थान के विकास के आंकड़े देते हैं तो खुशी होती है। जब कहा जाता है कि राजस्थान इन मामलों में सबसे आगे है तो खुशी होती है। मगर जब देखते हैं कि कर्मचारियों, पेंशनरों और लेक्चरर्स को उनके वाजिब हक नहीं मिल रहे हैं और आपात स्थिति उसका कारण बनाया जा रहा है, तो यह हरगिज शोभा नहीं देता। इस बात की भी सरकार ने घोषणा की थी कि मुख्य मंत्री से वार्ता करके जल्दी से जल्दी यू. जी. सी. ग्रेड्स लागू कर देंगे। जो यू. जी. सी. की पढ़ाई के संबंध में भावना है कि पढ़ाई का स्तर ऊंचा उठे, उस संबंध में बैठकर, एकतरफा बात न होकर बेटर इफीशियेंसी लाने के लिए उनको भी आगे हाथ बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना चाहिए। जहां तक मेरी उनसे बात हुई है, वे सहमत हैं। इसलिए मैं आशा करता हूं, उस टूटे हुए तार को पकड़कर यू. जी. सी. ग्रेड्स को जल्दी से जल्दी लागू करेंगे। सभापति महोदय, इस बजट में हम यह आशा करते थे कि इस साल सरकार मजबूती के साथ अनाज के थोक व्यापार को अपने हाथ में लेगी। हमने इस प्रश्न को अमल कमेटी में उठाया, और राज्य सरकार के सामने भी उठाया। और, सभापति महोदय, मुख्य मंत्री महोदय ने घोषणा की थी कि हम अनाज के

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

थोक व्यापार के लिये कमीटेड हैं और उन्होंने कहा कि हम प्रोक्योरमेंट करेंगे और फिर शायद घोषणा भी हुई कि राज्य सरकार 105 रुपये प्रति क्विन्टल से 2 लाख टन अनाज गेहूं खरीद रही है। तो, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस वक्त जब राज्य सरकार ने अनाज के थोक व्यापार को अपने हाथ में लिया, राजस्थान सरकार ने अनाज की राष्ट्रीयकरण की नीति की घोषणा की थी तो इन्हीं रीएक्शनरी पार्टीज ने यहां पर किसानों को बरगलाया। तब किसानों ने यह कहा था कि राज्य सरकार अनाज के थोक व्यापार के चक्कर में कहां पड़ गयी है। क्योंकि उस वक्त गेहूं का भाव 250 रुपये प्रति क्विन्टल था लेकिन ज्योंही भाव फ्लोर प्राइस से नीचे आने लगा तो किसान बहुत घबराया तब उसको मालूम हुआ कि अनाज की राष्ट्रीयकरण की नीति कितनी किसानों के हित की है। जिस वक्त हमारे केन्द्रीय कृषि मन्त्री ने यह घोषणा की कि अनाज के भावों को नीचे नहीं आने दिया जायेगा, एक स्तर जो राज्य सरकार ने तय किया है उससे नीचे नहीं आने दिया जावेगा और जरूरत पड़ी तो किसान का सारा का सारा अनाज भारत सरकार खरीद लेगी। इसीलिये मैं वित्त मन्त्री जी को निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस वक्त आगे आयें और किसानों का अनाज खरीद कर उन्हें राहत दें और जो हमारी अनाज के राष्ट्रीयकरण की नीति है उसको सही ढंग से क्रियान्वित करें। अब आज भारत सरकार की घोषणायें किसान ने सुनीं तो उन्हें पता लगा कि जो रीएक्शनरीज पार्टी यह जनसंघ और स्वतन्त्र पार्टी वालों ने जिसे खराब बताया था यह कह कर कि राज्य सरकार व्यापार के चक्कर में नहीं आवे तो ठीक है। उसके कारण किसान उल्टा सोच रहा था। लेकिन आज जब भाव गिर रहे हैं तब हम यह चाहते हैं कि राज्य सरकार मैदान में आवे और आज जब अनाज के प्राइसेज फ्लक्चुएट कर रहे हैं इस वक्त सरकार के लिए बहुत ही नायाब मौका है कि वह आगे अनाज को खरीदे। लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस वक्त कभी तो सरकार यह कहती है कि उसकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, कभी यह कहती है कि हमारे पास इतने गोदाम कहां हैं, हम खरीद लेंगे तो कहां रखेंगे। हमारे पास गोदाम नहीं हैं अनाज रखने को। तो मेरा निवेदन है कि इन प्राइवेट पार्टीज के पास पैसा कहां से आता है। क्या उन्होंने कोई नोट छापने का कारखाना बना रखा है या उन्होंने कई मकान या अनाज के गोदाम बना रखे हैं? यह सभी प्राइवेट पार्टीज वाले बैंक से पैसा लेते हैं। आप भी बैंक से पैसा लीजिए और जो गोदाम इन प्राइवेट पार्टीज ने ले रखे हैं उन सभी मकानों को, गोदामों को, जो कि अनाज भरने के काम में इन लोगों ने ले रखे हैं, उन्हें खाली करवाकर राज्य सरकार को चाहिए कि अपने काम में ले। उन सभी लोगों के गोदामों को राज्य सरकार रिक्वीजीशन करे। इसमें चाहे मेरा गोदाम हो, किसी दूसरे अमीर आदमी का गोदाम हो, चाहे किसी बैंक का गोदाम हो, उन सभी को रिक्वीजिट करके राज्य सरकार को चाहिए कि वहां पर अनाज भर ले। आज हम जब 20 सूत्री कार्यक्रम पर अमल करना चाहते

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हैं, उसका पहला सूत्र है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को अपने हाथ में लें। उन्हें गारन्टी दें इस बात की कि राज्य सरकार किसानों का अनाज खरीदेगी, ताकि वह निश्चित हो जाये अपने प्राइसेज के लिए। पब्लिक निश्चित हो जावे अनाज के प्राइसेज के लिए और बिचौलिये उसका अनुचित शोषण नहीं कर सकें। नहीं अगर किया राज्य सरकार ने यह तो किसान अधर भूल में फंस जायेगा। यह वक्त है कि हम किसान को अधर भूल में नहीं छोड़ें। यह नहीं मालूम किसान को कि सरकार उसको अधर भूल में छोड़कर उससे अलग हो जायगी। जब ऐसा किया जाता है तभी रिएक्शनरीज पार्टीज को मौका मिलता है कि वह हमारी राष्ट्रीयकरण की नीतियों की बुराइयां करें। आज जब नयी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं, अनाज के भाव गिर रहे हैं, इस वक्त राज्य सरकार को अनाज का थोक व्यापार हाथ में लेने के लिए पूरी तरह से आगे कदम बढ़ाना चाहिए लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि राज्य सरकार ने इस ओर कदम नहीं उठाये हैं। सभापति महोदय, इसलिए राज्य सरकार को निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार इस बारे में समुचित कार्यवाही करे।

सभापति महोदय, अब मैं थोड़ा श्रम विभाग के बारे में भी बोलना चाहूंगा। सभापति महोदय, जिस दिन श्रम विभाग से संबन्धित मांगों चल रही थीं उस वक्त और दूसरी मांगें भी उसके साथ थीं इसलिए उस वक्त हम श्रम विभाग की मांगें दूसरे विभाग की मांगों के साथ जुड़ी हुई होने के कारण उस पर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं कर सके थे। इसलिए अब मैं थोड़ा श्रम विभाग की मांगों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, यह बहुत बड़े खेद की बात है कि आज जो हमारे श्रम विभाग का रीजनल लेबर आफिसर और डिप्टी कमिश्नर लेबर का जो दफ्तर है वह दफ्तर पुरानी जगह से हटा कर तिलक नगर में रख दिया गया है। जब कि मजदूर लोग झोटवाड़ा, विश्वकर्मा, मैटल इन्डस्ट्री और एन. बी. सी. में काम करते हैं, जहां यह मजदूर काम करते हैं, उनसे यह दफ्तर 15 मील दूर है। सभापति महोदय, वहीं पर इन आफिसरों के अलावा प्रोविडेन्ट फण्ड के आफिसर का दफ्तर है, वहीं पर मिनिमम वेजेज एक्ट के आफिसर का दफ्तर है वहीं पर ग्रेचुअटी आफिसर का आफिस है, वहीं पर शाप्स एण्ड कामर्शियल इन्सपेक्टर का आफिस है, वहीं पर बोनस इन्सपेक्टर का आपने आफिस रख रखा है। जो आफिसेज इन सभी से ताल्लुक रखते हैं, श्रम मंत्री जी जो कि हाउस में पधार गये हैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आपने श्रम मंत्री जी! यह नया रास्ता निकाल लिया है कि मजदूरों से इन आफिसेज को दूर रखा जाय ताकि वह बेचारे अपना रोना उनके पास जाकर नहीं रो सकें, ताकि उन आफिसरों का वर्क लोड घट जाय। यह आपने वर्क लोड घटाने की बहुत अच्छी तरकीब निकाली है। आज मजदूर बेचारे रो रहे हैं। श्रम मंत्रीजी की इस प्रकार की कार्यवाही से मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद श्रम विभाग के आफिसरों ने इस दफ्तर को श्रम मंत्रीजी के विद आउट कन्सल्टेशन के

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

वहां रखा है। यहां के लोकल आफिसरों ने यह बात की है। मैं श्रम मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूँगा कि वह फौरन ऐसे आदेश दें कि जिससे यह आफिसेज वहां हों जहां पर कि मजदूर लोग ज्यादा हों। लेकिन होता यह है कि आज कल अगर कोई आफिसर अपने किसी रिश्तेदार को फायदा पहुंचाना चाहता है या अपने मित्र को फायदा पहुंचाना चाहता है तो उनके मकानों को दूने किराये पर लिया जाता है चाहे इसमें मज़दूरों को और सरकार को कितना ही नुकसान हो।

श्री मोहनलाल छंगाणी (श्रम मंत्री) : इस पर राज्य सरकार विचार कर रही है। उसको बदल दिया जायेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आपके प्रोविडेन्ट कमिश्नर के बारे में मुझे पता लगा कि मजदूरों के प्रोविडेन्ट फण्ड के लाखों रुपये की पे स्लिपों का पता नहीं लग रहा है। मजदूरों को यह नहीं पता कि उनका कितना पैसा बकाया है। उनकी पे स्लिप कोई तैयार नहीं हो रही है। एक तरफ इनमें लाखों रुपये की गड़बड़ी है, दूसरी तरफ मजदूरों को अपने पी. एफ. में से पैसे निकालने में विड्ड्राअल में बहुत दिक्कत आ रही है। सभापति महोदय, अभी एक दिन माननीय सदस्य श्री केशरीमलजी ने प्रश्न उठाया था इस बारे में, राज्य सरकार ने यह कहा था कि मजदूरों का पी. एफ. का पैसा करीब 66 लाख रुपये इन इन्डस्ट्रियलिस्ट्स में बकाया है। मुझे आश्चर्य होता है कि पी. एफ. कमिश्नर ने उन इन्डस्ट्रियलिस्टों के खिलाफ में मुकदमे चलाने के आदेश जारी कर दिये थे लेकिन मुझे श्रम मन्त्रीजी से यह उम्मीद नहीं थी। प्रोविडेन्ट कमिश्नर इन उद्योगपतियों का चालान करने के आर्डर दे और श्रम मंत्रालय उसको रोक दे। मैं चाहता हूं कि यह तथ्य गलत निकले तो बहुत ही अच्छा हो। लेकिन अगर यह तथ्य सही है तो राज्य सरकार को चाहिये कि उद्योगपतियों के खिलाफ में एक्शन लिया जाना चाहिये और राज्य सरकार को आदेश देने चाहिये कि लोगों को पी. एफ. की स्लिप्स जल्दी से जल्दी बनादी जावें।

तीसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब से हमारे यहां इमर्जेन्सी लगी है उसके बाद में लेबर के लिये जो एडवाइजरी कमेटी स्टेट लेवल पर बनी हुई थी उसको बन्द कर दिया गया और यह कहा गया कि एक एपेक्स बॉडी बनायी जावेगी। अब यह ड्यूल फंक्शनिंग बॉडी आपको बनाने की क्या आवश्यकता है?

श्री मोहनलाल छंगाणी : उसी को दूसरी एपेक्स बोडी बनायी जा रही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जब तक नहीं बने तब तक उसको ही रखना चाहिये था।

श्री मोहनलाल छंगाणी : सभापति महोदय, इसके लिये यह कलेक्टिव डिसीजन्स लेकर उसको कन्वर्ट कर दिया जायेगा। उनको इससे फायदा होगा। इसके लिये प्रारूप आ रहा है। जल्दी से जल्दी हो जायेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल: अगर सभापति महोदय, मुझे थोड़ा समय दे दें तो उनको तकलीफ तो जरूर होगी। थोड़ा समय भी लगेगा लेकिन मेरे इस प्रकार के सभी सवालों का उत्तर देने में उनको काफी मदद मिलेगी।

तो मैं यह निवेदन करना चाहता था कि यह अपेक्षित बोर्डो अव्वल तो यह प्राइवेट सेक्टर के लिये है जिसका एक सीमित क्षेत्र है, जिसमें खास तौर से रिट्रेंचमेंट और जो भी अलाइड क्वेश्चन होते हैं, वह तय होते है।

पब्लिक सेक्टर तक में जो मोडल एम्पलायर्स होने चाहिये, वे खुद कानून की अवहेलना कर रहे हैं। खेतड़ी प्रोजेक्ट में स्टेन्डिंग ऑर्डर के खिलाफ मैनेजमेंट ने कुछ रूल्स बनाये जिसके तहत स्टेन्डिंग ऑर्डर्स के खिलाफ डिस्मिस कर सकते हैं, नौकरी से निकाल सकते हैं। मैं समझता हूं, यह बिल्कुल अनुचित है और इस प्रकार की चीजों को रोकना चाहिये।

इसके अलावा माननीय श्रम मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि आज कल इन एम्पलायर्स ने कान्ट्रेक्ट लेकर एम्पलोय करके वेज कट करने का एक नया तरीका अपनाया है। जो रेगुलर वर्कमैन हैं, जिनको काफी ऊँची तनख्वाह देनी पड़ती है, उनको हटा कर उनकी जगह पर कान्ट्रेक्ट लेबर रख लेते हैं। जैसे कमानी इन्डस्ट्रीज है। वहां पर 750 में से 250 कान्ट्रेक्ट लेबर हैं, उनको स्टेचुटरी मिनिमम वेज देते हैं 5 रुपये से 6॥ रुपये तक जब कि रेगुलर सर्विस में वर्कमेन थे उनको 13 रुपया मिलता था। इसकी जगह 250 को एम्पलोय करके 6॥ से 13 तक के बीच के वेजेज की बचत कर लेता है कम देकर। श्रम मंत्रालय को इसके बीच में हस्तक्षेप करना चाहिये और वेज कट कर रहे उन पर रोक लगानी चाहिये।

पांचवा पोइन्ट मेरा यह है कि वर्कर्स के कुछ रियेलाइजेशन्स होते हैं, वर्कर्स के कुछ डेट होते हैं रिइन्स्टेट वगैरह की वजह से उनके क्लेम होते है, चाहे पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, उनकी वसूली कलेक्टर्स के मार्फत एरीयर्स और लैंड रेवेन्यू की तरह की जाती है। आजकल कलेक्टर्स ने यह रवैया अपना रखा है कि उनके आफिसेस से जो सर्टिफिकेट जाते हैं उनको यों ही पड़े रहने देते हैं। वे कहते हैं कि सरकार के खिलाफ वसूली है इसलिये नहीं करवायें। पब्लिक सेक्टर में मजदूरों का क्लेम हो वह वसूल न किया जाय, या सरकार के खिलाफ किया जाये, सरकार के खिलाफ डिक्री देना भी बन्द कर दें, कलेक्टर का जो इस प्रकार का रुख है उनको डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी मानना चाहिये और सरकार की ओर से उनको हिदायत करनी चाहिये कि कलेक्टर 15 रोज के अन्दर वसूली करके मजदूरों को दे दे वे चाहे पब्लिक सेक्टर के हों या प्राइवेट सेक्टर के, और 30 दिन से ज्यादा रोकेंगे तो कलेक्टर के खिलाफ डिसिप्लीनरी एक्शन लेना चाहिए और डिसिप्लिन तोड़ा यह माना जाना चाहिये।

सभापति महोदय, ये कुछ बातें थीं जो आज इस विनियोग विधेयक के वक्त आपके सामने रखीं।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज की राजनैतिक स्थिति में जिस

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

तरह से हमारी प्रधान मन्त्री ने बार-बार इस बात को कहा चाहे चंडीगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन में या चाहे उसके बाद में कि आज हमारे देश को और हमारे देश की एकता और सार्वभौमिकता को बाहरी दुश्मनों और अन्दरूनी दुश्मनों से खतरा हुआ है वह इससे पहले इतना संगीन कभी नहीं था और इसलिए उन्होंने विजिलेन्ट रहने की बात जगह-जगह कही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी राज्य सरकार उस विजिलेन्स के बारे में इतनी सचेष्ट नहीं है। प्रधान मंत्री जी ने जिन तत्वों के बारे में, जिन देशों की तरफ इशारा किया, जिन पार्टीज की तरफ इशारा किया और खास कर उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात कही उस ओर इस सरकार की चेष्टा नजर नहीं आती है। पिछले दिनों इसी सदन में एक प्रश्न रखा था राजस्थान विश्वविद्यालय में अमेरिकन एजेन्सी के जरिये, अमेरिकन दूतावास के जरिये, चाहे वह फिल्म का प्रदर्शन हुआ हो, अमेरिकन दूतावास के जरिये क्लार्क होटल आमेर में कान्फ्रेंस बुलायी गई थी और उसमें वाइस चान्सलर राजस्थान यूनिवर्सिटी और दूसरे वाइस चान्सलर शामिल हुए। एक तरफ अमेरिकन सीनेट के अन्दर आज यह बात खुल रही है कि अमेरिकन सी. आई. ए. दूसरे मुल्कों में वहां के लीडर्स को कत्ल करवाती है, सरकारों को उलटने का काम करती है और रिश्वत देने का धन्धा करती है युनिवर्सिटीज के जरिये मल्टीनेशनल कम्पनीज के जरिये। वहां हमारे प्रान्त में इस तरह की हालत है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में ऐसा हो, सरकार के ध्यान में और असेम्बली में यह सवाल लाया जाय और सरकार की ओर से यह जवाब मिले कि ये तमाम के तमाम रिसर्च स्कोलर्स या तमाम अमेरिकन्स भारत सरकार की मार्फत क्लीयरेन्स के जरिये आते हैं। क्या भारत सरकार इस मामले में अनसमझ है? मुख्य मंत्री का यह जवाब सुनकर आश्चर्य होता है कि क्या भारत सरकार अनसमझ है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि खुद प्रधान मंत्रीजी ने यह कहा है कि आपको चौकस रहना है। विजिलेन्स बरतना है। जहां पर भी आप हैं, चाहे गांव में हों, चाहे शहर में हों, कारखाने में हों, आफिस में हों, जहां कहीं भी हों, इस तरह का कोई सेबोटेज का कार्य करता है उसके खिलाफ आपको होशियार रहना है। अभी बड़ौदा में जो कांड हुआ है क्या यह कहेंगे कि भारत सरकार की गलती है? जिन लोगों ने बहादुरी से चौकस रह कर देशघातियों को, देशद्रोहियों को पकड़ा तो उन्होंने देशभक्ति का काम किया। अगर इस मामले में यह समझ लें राजस्थान में सी. आई. ए. और अमेरिकन दूतावास कुछ भी करता रहे और जांच करने की आवश्यकता नहीं, उसके बारे में चौकस रहने की आवश्यकता नहीं तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हम अपने देश की स्वाधीनता के प्रति जागरूक नहीं हैं अपना कर्तव्य नहीं समझते हैं, देश की स्वाधीनता को खतरे में डालते हैं, उसके प्रति दुर्लक्ष्य बरतते हैं और प्रधान मंत्रीजी ने जो चेतावनी दी है उसकी तरफ आंखें मूंदने की बात करते हैं। मैं राज्य सरकार से कहना चाहता हूं इस बात में ढिलाई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इस प्रकार की कान्फ्रेंस बुलायें, आपके मित्र बैठे हुए हैं

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

वाइस चान्सलर के रूप में अगर वह आनन्द मार्गी हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लेना होगा और कड़े कदम उठाने होंगे। देश की एकता और उसकी सुरक्षा किसी पार्टी या किसी भी चीज से ऊंची है और उसमें दोस्ती और कोई बात ऐसी नहीं आनी चाहिये। इसलिये मैं निवेदन करूंगा, सभापति महोदय, आज राजस्थान यूनिवर्सिटीज और कई जगह कई लोगों के नाम लिये गये हैं चाहे मि. रूडल्फ हों और दूसरे लोग हों इस होटल में एजुकेशनल कान्फ्रेन्स के जरिये आयें, यहां की सरकार के लोग और वाइस चान्सलर उसमें शामिल हों और दूसरे शामिल हों, अमेरिकन दूतावास के जरिये से बुलाई गई कान्फ्रेन्स के जरिये सी. आई. ए. की कार्यवाही के शिकार हो जायं, इसकी सीरियसली जांच की जानी चाहिये, जो भी गतिविधियां राजस्थान यूनिवर्सिटीज में हुई हों या क्लार्क होटल आमेर में हुई हों, दूतावास के जरिये जगह जगह प्रदर्शनियां हुई हों, जिनमें डाउट है कि इनके पीछे सी. आई. ए. का हाथ है। इसलिये प्रधानमंत्री की घोषणा को उनकी चेतावनी को राजस्थान सरकार ध्यान में रख कर उसको वैसे ही हंसी में या उदासीनता में उड़ाने की कोशिश नहीं करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री देवीलाल (सराड़ा) : सभापति महोदय, मैं इस बिल पर बोलते हुए माननीय मंत्री महोदय का ध्यान अपने क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरा क्षेत्र आदिवासी इलाका है, उस इलाके की ओर राज्य सरकार की ओर से वित्त मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं, उस ओर इसलिये ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वह इलाका पिछड़ा हुआ उदयपुर जिले का इलाका है जहां काफी आदिवासी गरीब रहते हैं। वहां उन गांवों में औषधालय के लिए कोई प्रावधान नहीं है....

श्री गोकुलचन्द जाटव : 200 औषधालय नये खोल रहे हैं।

श्री देवीलाल : मैं वहां डिस्पेन्सरी भी खुलवाना चाहता हूं। मैंने अपने कटमोशन प्रस्ताव में बताया है कि सेमारी बहुत बड़ा गांव है उसमें मैं डिस्पेन्सरी खुलवाना चाहता हूं। दूसरे इस क्षेत्र में जहां आदिवासियों की पालें हैं, गांव हैं, घनी आबादी है वहां करीब एक-एक औषधालय आयुर्वेद का होना चाहिये। वहां लोग काफी गरीब हैं और पैसा खर्च करके दूर दूर के अस्पतालों में और औषधालयों में इलाज कराने के लिए नहीं जा सकते। ऐसी स्थिति में मैं उस इलाके की ओर, सभापति महोदय, आपके द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। आप बजट में उस क्षेत्र के लिए प्रावधान करें ताकि वहां खोले गये औषधालयों में इलाज के लिए वहां के लोग आसानी से जा सकें।

दूसरा मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि उस इलाके में जावर माइन्स है और इसका कार्य जावर माइन्स कम्पनी चला रही है या सेन्टर के द्वारा कम्पनी धनराशि लेकर कार्य चला रही है। वहां पर मजदूरों के रहने के लिए मकान नहीं हैं। दूसरे लोग क्वार्टरों में रहते हैं लेकिन मजदूरों के रहने के लिए क्वार्टर्स नहीं हैं।

Page No 73

(73)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : सभापति महोदय, House is running without quorum.

(गणपूरक घंटी)

(गणपूर्ति के पश्चात्)

श्री देवीलाल : मजदूर रास्ता काटकर अपने घर रोज जाते हैं और वहां से दस बीस मील चल कर आते हैं और फिर खाही में काम करते हैं। इस तरह से आना, जाना और वहां माइन्स में काम करना उनके लिए मुश्किल पड़ता है। अब आदिवासियों की जमीनें जावर माइन्स वालों ने ले ली हैं वह किस काम के लिए हैं ? वह सिर्फ आफिसर्स के क्वाटर्स के लिए हैं? उनके बगीचों के लिए हैं ? तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जो लेबर वहां काम करते हैं उन के लिए करीब 5 हजार क्वाटर बनने चाहिए। आदिवासी लेबरर बाहर से आते हैं और वह अण्डर ग्राउन्ड माइन्स में काम करके निकलते हैं, वह जमीन के काफी नीचे काम करते हैं और फिर साइकिल लेकर बाहर अपने घरों को जाते हैं। ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। इसलिए राज्य सरकार का और लेबर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जावर माइन्स में अधिकांश लेबर आदिवासी हैं इसलिए उनके लिए क्वाटर्स बनाये जायें। मेरी मांग यही है कि पांच हजार क्वार्टर बनाने का कार्य कम्पनी को करना चाहिए या फिर भारत सरकार को करना चाहिए।

वहां पर, सभापति महोदय, एक स्थिति ऐसी भी पैदा हो रही है, यह पाबन्दी लगा रखी है कि दस मील के एरिया के अन्दर से ही मजदूरों को जावर माइन्स में रखा जाये। वह लगभग सारा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। अगर दस मील के एरिया तक का ही लेबर माइन्स रखा जायेगा तो तहसील खेरवाड़ा भी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तहसील सराड़ा भी पिछड़ा हुआ है और वहां सारे के सारे आदिवासी हैं, उन गरीबों के पास जमीनें भी पूरी नहीं हों तो क्या बीस मील दूरी से जावर माइन्स में आकर मजदूर काम नहीं कर सकते हैं ? उनको बेरोजगार होने से वहां आकर काम करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में मेरा यही सुझाव है लेबर मंत्री महोदय से कि जो दस मील के एरिया का मजदूर लेने का प्रतिबंध लगा रखा है उसको हटाकर 25 मील का करना चाहिए। सराड़ा, खेरवाड़ा, कोटड़ा, सलूम्बर, गिरवा और वल्लभनगर यह आसपास की तहसीलें हैं यहां के पिछड़े हुए आदिवासी लोग फिर कहां काम करने के लिए जायें ? केवल जावर माइन्स ही ऐसा कारखाना है जिसमें वह काम कर सकते हैं। नहीं तो और कहां जायेंगे ? गरीबों के लिए मेरा यही सुझाव है। मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें। लेबर मंत्री महोदय चाहे कम्पनी से बात करें या फिर भारत सरकार से बात करें लेकिन लेबर के लिए जो 10 मील की पाबन्दी लगा रखी है उसको हटाकर इसे कम से कम 25 मील का करना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं माइनिंग मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि नठारा की पाल है वहां पहले पुरानी लोहे की खान थी। वहां लोहे का ढेर काठ पड़ा हुआ है। पुराने जमाने में साधन नहीं

(श्री देवीलाल)

थे। तो भी वहां लोहा गलाकर निकाला गया है और आज तो राज्य सरकार के पास इतने साधन हैं कि वहां कारखाना लगाकर उस खान को चालू कर सकते हैं। यह कहा जाता है कि वहां लोहे की मात्रा कम है पर्सेन्टेज नहीं बैठता है। लेकिन ढंग से कोई जांच करवायें तो उसके आस पास में दूसरी माइन्स भी चालू हो सकती हैं। कई तरह की धातुएं हैं। वहां की अच्छी तरह से जांच कराने के लिए मैं खनिज मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं ताकि वह खाने चालू हों तो गरीब इलाके के लोग जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिल जायेगा और वह लोग वहां मजदूरी कर सकें और अपना निर्वाह कर सकेंगे। मैं खनिज मंत्री जी का ध्यान उस एरिया की ओर दिलाना चाहता हूं। आप चाहे जो बजट में प्रावधान करिये लेकिन उस खान को चालू करने के लिए कुछ काम करें। अगर जांच करानी पड़े तो भी करवाइये।

मैं इसके साथ-साथ, माननीय सभापति महोदय, शिक्षा की ओर अब जाना चाहता हूं। शिक्षा के लिए उस इलाके में जहां आदिवासी क्षेत्र है वहां पर बहुत नजदीक नजदीक में मिडिल स्कूल खोलने का निवेदन करता हूं। वहां मिडिल स्कूल खोलने की आवश्यकता है। गरीब छात्र को खाने को घर में नहीं मिलता है, कपड़ा नहीं मिलता है, वह लड़के कहां पर पढ़ने जायेंगे। वह इतनी दूर पांच, सात मील या आठ दस मील की दूरी पर पढ़ने नहीं जा सकते हैं। आदिवासी क्षेत्र में मिडिल स्कूल दूर-दूर है या सेकण्डरी स्कूल दूर हैं जहां पर वे आ नहीं सकते, जा भी नहीं सकते हैं। कोई साधन नहीं है। वहां सड़कें नहीं हैं, वहां रास्ते भी नहीं हैं। कोई साइकिल भी नहीं जा सकती है बड़े मुश्किल रास्ते हैं, ऐसी स्थिति में आदमी हैं जो साइकिल भी नहीं खरीद सकते हैं लेकिन अगर कोई साइकिल खरीद भी ले तो भी उसके जाने के लिए आदिवासी एरिया में कोई रास्ते नहीं हैं, साधन नहीं हैं। साइकिल भी नहीं चल सकती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि नजदीक नजदीक स्कूल खुलवाने का प्रावधान बजट मे किया जावे ताकि वे लोग आसानी से अपने बच्चों को शिक्षा दिला सकें।

मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि कन्या मिडिल स्कूल्स भी नहीं है। कोई कन्या स्कूल आदिवासी क्षेत्र में नहीं है। केवल छात्रों के लिए स्कूल खोल दिये हैं और लड़कियों को पढ़ाने के लिए कोई साधन नहीं है। इसलिए माननीय मंत्री जी आदिवासी एरिया में कन्या स्कूल के लिए प्रावधान करें। कम से कम प्राइमरी स्कूल तो खोले जायें। एक भी स्कूल आदिवासी कन्याओं को पढ़ाने के लिए नहीं है।

दूसरा मैं समाज कल्याण विभाग की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। समाज कल्याण की ओर से काफी बजट रखने की बात हो रही है और बजट रखा भी है, प्लानिंग में भी रखा है, सब-प्लान भी बन रहा है। मगर मुझे उस एरिया में कुछ काम होता दिखता नहीं है। यह प्लानिंग कागजों में ही रह जाने वाला है और यह प्लान बनाने वाले अफसर और स्टाफ के खर्च में ही सारा का सारा पैसा खर्च होने वाला है। मैं यह निवेदन करूंगा, सभापति महोदय, यह प्लान जो भी बने, चाहे

(श्री देवीलाल)

रेगिस्तानी इलाके के लिए हों, चाहे पहाड़ी एरिया के लिए बने लेकिन प्लान बनाने में ही आधा रुपया खर्च नहीं हो। उस एरिया के लिए जो कोई भी काम करने हों चाहे तालाब बनाने के हों, चाहे सड़क बनाने के हों, क्या पैसा रहेगा, किस तरह से होगा? प्लान बनते-बनते ही रुपया खर्च हो जायेगा तो यह कैसे होगा? जो रुपया उस इलाके के ऊपर तथा पहाड़ी एरिया का विकास करने के लिए खर्च करने का है वह कैसे खर्च किया जायगा यह मेरी समझ में नहीं आता है और प्रावधान तो अभी कुछ रखा ही नहीं है। उस एरिया के अन्दर एक पाई भी खर्च नहीं हो पाई है। कैसे खर्च होगा, कैसे सड़कों के लिए खर्च होगा? कोई पहाड़ी एरिया में आदिवासी एरिया में अप्रोच रोड बनाई जायगी, कोई तालाब बनेंगे, कैसे यह सारा विकास का काम करने की बात चल रही है? मुझे एक भी काम होता दिखता नहीं है। तो, सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी उस ओर भी ध्यान दें ताकि उन गरीबों का भला हो सके, गरीबों के तालाब बन सकें, आने-जाने के साधन बन सकें, यह मेरा निवेदन है।

सभापति महोदय, आदिवासी एरिया की ओर मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री खेतसिंह : अब हो गया काफी है।

श्री देवीलाल : अभी तक हमारे यहां डाया योजना मंजूर की है वह पता नहीं चालू कब होगी। चालू करने का पता ही नहीं है। बजट में प्रावधान नहीं है, उस इलाके में कोई कार्य होगा तो किस तरह से सिंचाई योजना बनेगी यह मेरी समझ में नहीं आता है। उन्होंने मंजूर तो कर ली यह तो स्वागत योग्य है कि उन्होंने योजना मंजूर कर ली, भारत सरकार से मंजूर करवाई है, राज्य सरकार ने मान ली लेकिन अब वह चालू कब होगी, यह मेरी समझ में नहीं आया। तो सिंचाई मंत्री इस ओर ध्यान दें जल्दी से जल्दी बजट में इसके लिए प्रावधान करायें मैं यही निवेदन कर रहा हूं।

श्री सभापति : श्री जगमोहनसिंह।

श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा) : सभापतिजी, एप्रोप्रियेशन बिल पर कुछ बातें मैं अर्ज करना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पूर्व, तीन चार दिन पूर्व, माननीय वित्त मंत्री जी ने इस सदन में एक सवाल के जवाब में यह बात कही की जो योजना व्यय है राजस्थान के अन्दर वह कोटा जिले के अन्दर प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा किया गया है। मान्यवर, मैं वित्त मंत्री जी के इस कथन को, जो कि उन्होंने अपने आंकड़ों के आधार पर दिया है, आंकड़े जिस तरह से तैयार किए जाते हैं उनके आधार पर दिया है, उसको मैं सत्य नहीं मानता और मैं कह सकता हूं कि जो फिगर दिया गया है वह किसी भी सूरत में सही नहीं कहा जा सकता था। जिस तरह से भी, जिस माध्यम से यह बात कही गई है, वह सही नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा जिले के अन्दर, मान्यवर, 12 तहसीलें हैं जिनके अन्दर

(श्री जगमोहन सिंह)

चम्बल वेली योजना जो बनाई गई है, कोटा के अन्दर चम्बल की जो योजना बनाई गई है, उन 12 तहसीलों में से सिर्फ चार तहसीलों को, वह भी आधी आधी तहसीलों को उस चम्बल एरिया के अन्दर फायदा हुआ है। अब केवल मात्र, वित्त मंत्री जी यह कहें कि चम्बल योजना कोटा से बनाई गई है इसलिए उसका जो व्यय हुआ है सारा उसको अगर हम डाईफरकेट करें सारी पापुलेशन पर तो वह इतने रुपये आ करके प्रति व्यक्ति पड़ जाता है। कोटा के अन्दर हाईड्रो-इलेक्ट्रिक इस चम्बल योजना के अन्दर बनाई गई है, अगर उसका सारा व्यय लगा करके वह सारे कोटा जिले की पापुलेशन पर उसको डालना चाहें तो मान्यवर, जो वहां की बाकी 8 तहसीलों की स्थिति है, उसको अगर आप देखें, जैसे छबड़ा है, छीपा बड़ौद है, अटरू, किशनगंज, शाहबाद, रामगंजमण्डी, सांगोद इनके अन्दर इस चम्बल का न तो बिजली का और न कोई पानी का कोई फायदा किसी व्यक्ति को पहुंचा है। मान्यवर, चम्बल योजना का ज्यादा फायदा मध्यप्रदेश को मिला है और पास के अन्य जिले, बूंदी जिले, को कुछ फायदा मिला है। वहां जो बिजली पैदा होती है वह हिन्दुस्तान के और कई भागों में दी गई है। तो, मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि केवल मात्र चम्बल वेली प्रोजेक्ट की वजह से अगर यह कहें तो, मान्यवर, चम्बल वेली प्रोजेक्ट को निकाल दीजिये तो चाहे आप स्टेट में किसी क्षेत्र में ले लें, चाहे आप परिवहन में ले लें चाहे आप इलेक्ट्रिक में ले लें, चाहे आप शिक्षा में ले लें, सड़क में ले लें, किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, मान्यवर, कोटा जिले के अन्दर योजना का व्यय प्रति व्यक्ति राजस्थान भर में सबसे कम है। तो मैं आशा करूंगा कि माननीय राज्य वित्त मंत्रीजी, जो कि कोटा से आते हैं और कोटा को रिप्रजेण्ट करते हैं निवेदन करूंगा कि राज्य स्तर पर चम्बल वेली प्रोजेक्ट के व्यय को इस तरह से दर्शाया जाकर कोटा जिले की जो दूसरी आवश्यकतायें हैं, जो पिछड़ापन है, वहां की 12 लाख या 15 लाख जनता को इस तरह से नगण्य किया जावे या उसकी ओर से ध्यान हटाया जावे यह उचित नहीं है। आप बैठे हुए हैं, आप इस तथ्य को बतायें विभाग वालों को और आंकड़ों को ठीक करवाने का कष्ट करें कि यह व्यय जो लगा है वह चम्बल वेली प्रोजेक्ट पर लगा है। मान्यवर, कोटा में बिजली बनी। लेकिन कोटा के अन्दर 2200 गांव हैं जिसमें से आज तक दो सौ गांवों को बिजली मिली और कोटा में दो हजार गांव अभी भी हैं जो बिना बिजली के बैठे हैं।

इसी तरह मान्यवर, सिंचाई के बारे में जैसा मैंने निवेदन किया कि सिर्फ चार तहसीलों में आधी-आधी जमीनों को पानी दिया गया है। बाकी जो तहसीलें हैं, जो परेशान हैं उनको कोई उपलब्धि नहीं हुई है। शिक्षा की दृष्टि से देखें तो कोई टेक्निकल कालेज या टेक्निकल एजूकेशन की व्यवस्था आज तक कोटा जिले के अन्दर किसी रूप में नहीं की गई है।

सड़कों की दृष्टि से निवेदन करूं कि आजादी के पूर्व सड़कें बनी हुई थीं उसके बाद में कोटा जिले के अन्दर कोई सड़क, सभापति महोदय, नहीं बनाई गई। और

(श्री जगमोहन सिंह)

पुरानी सड़कों की भी वड़ी बुरी वहां पर दुर्दशा है, अव्यवस्था है। तो मेरा आपसे निवेदन है राज्य वित्त मंत्री जी कि जो यह धारणा बन गई है, आंकड़े और तथ्यों के आधार पर सही करवाने की कृपा करें।

मान्यवर, इस बजट में, इस दृष्टि से देखा जाये तो वहां की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिनको कि इस बजट में दिया जाना चाहिये था, गौर किया जाना चाहिये था, वह पूर्णरूपेण नहीं दिया गया है। इस दृष्टि से नहीं दिया गया है कि हम यह कहते हैं कोटा जिले में चम्बल के नाम पर कहते हैं बहुत ज्यादा विकास का काम हुआ है। मेरा निवेदन है कि इस दृष्टि से आप देखें और इस तरह से वहां की जो आवश्यकताएं हैं, न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा कराने के लिये प्रयास करें।

दूसरी बात, मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, वन विभाग की मांगों के दिन मैंने कुछ कट मोशन्स दिये थे, लेकिन उस दिन मैं अस्वस्थ था–नहीं आ सका। मान्यवर, राज्य के वन मंत्री जी यहां पर विराज रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आज वन विभाग के अन्दर पिछले कुछ वर्षों से जितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस स्तर पर हो रहा है, सी.सी.एफ. लेविल से लेकर नीचे के लेविल पर हो रहा है, सी. एफ. गुप्ता जिस तरह से वन विभाग के अन्दर भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण दे रहे हैं, उन मुद्दों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, तेंदू पत्तों के राष्ट्रीयकरण के बाद कोटा जिला के अन्दर श्री हरिश्चन्द्र गुप्ता को नियुक्त किया गया सी. एफ. और पी.एन. अग्रवाल को झालावाड़ में और बलास साहब को एस.सी.एफ. लगाया गया। मान्यवर, तेंदू पत्तों के अन्दर इन लोगों ने बहुत बड़ा घोटाला किया है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है, बहुत बड़ा नुकसान राज्य सरकार को पहुंचाया है। जिसकी शिकायत वहां की जनता ने, वहां के लोगों ने और वहां के जन प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार को की है। इन लोगों ने खुद ने पार्टनरशिप करके फर्जी नामों से तेंदू पत्तों का ठेका लिया और सरकारी पैसों से तेन्दू पत्तों का काम किया। 50 हजार रुपया एक बार ड्रा करवाया, तीस हजार रुपया एक बार ड्रा किया गया है तेन्दू पत्तों का व्यापार करने को। रिकार्ड के ऊपर इन सारे के दस्तखत मौजूद हैं जो कि आज भी देखे जा सकते हैं। इन लोगों ने वहां पर ठेकेदारों से साढ़े पांच रुपया की बोरे के हिसाब से करीब बारह लाख रुपया रिश्वत का लिया है, सी. एफ. गुप्ता, हरिशचन्द गुप्ता, और डी.एम. अग्रवाल डी.एफ.ओ. झालावाड़, हरिश्चन्द गुप्ता, सी. एफ. कोटा, ये सारे के सारे इस कान्ड में इन्वाल्वड हैं। मैं नहीं समझता कि इसकी इन्क्वायरी क्यों नहीं की गयी? हमने मुख्य मंत्री जी को शिकायत की। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट को यह इन्क्वायरी दी। शुरू-शुरू में जो प्रीलिमिनरी रिपोर्ट आई थी जिसकी जानकारी हमको दी गई थी, उसमें यह बताया गया कि प्राइमा फेसी केस इनके खिलाफ है। इसके बाद, मान्यवर, ऐसा

(श्री जगमोहन सिंह)

लगता है कि इस ओर कुछ ढिलाई, कुछ शिथिलता आ गई है। इतने बड़े कान्ड के लिए, इतने बड़े भ्रष्टाचार के लिए आज तक इन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन इस एमर्जेन्सी के टाइम में नहीं हो पा रहा है। मान्यवर, हरिश्चन्द्र गुप्ता, जो कन्जरवेटर आफ फारेस्ट हैं, उसके खिलाफ वनों को काटने की, वनों के घोटाले की कई इनक्वायरीज चल रही हैं।

Where ever he is posted, he is guilty of corruption. हर जगह की डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी इस आदमी के खिलाफ चल रही है। हर जगह के केसेज चल रहे हैं लेकिन इस अधिकारी के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मान्यवर, मैं मांग करता हूं कि सारे कांड की, इस सारे भ्रष्टाचार की, तेंदू पत्तों के घोटाले की जांच सी. बी. आई. से करवाई जाये और इन अधिकारियों को तुरन्त मोअत्तिल किया जाये। मान्यवर, आज कल जो गुप्ता सी. सी. एफ. हैं राजस्थान के, वह इस कोशिश में हैं कि सारा का सारा रिकार्ड किसी तरह से या तो बदल दिया जाये, या किसी तरह से इसको टेम्पर कर दिया जाये। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिवदयाल रेंजर को महज इस वजह से कम्पलसरी रिटायरमेंट दिया गया है कि उसकी जो डेली डायरी है उसमें इस भ्रष्टाचार का पूरा चिट्ठा दिया हुआ है। मान्यवर, इस डेली डायरी के अन्दर सब कुछ लिखा हुआ है। इस डेली डायरी को देखा जावे तो उसमें सारा का सारा भ्रष्टाचार का चिट्ठा है, वह मौजूद है। लेकिन, मान्यवर, ऐसा लगता है कि इसमें ढील दी जा रही है। अगर ढील दी गयी और तुरन्त कार्यवाही नहीं की गई, मान्यवर, जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, इतना बड़ा हजारों का नुकसान राज्य सरकार को हुआ है, जिसके सबूत रिकार्ड से साबित हैं, उसकी जांच तुरन्त नहीं की गई, तुरन्त इन अधिकारियों को मोअत्तिल नहीं किया गया और इस सारे रिकार्ड को सीज नहीं किया गया तो, मान्यवर, एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। मेरा निवेदन है कि तुरन्त इन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये।

दूसरा मान्यवर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बारां के अन्दर कुछ दिनों पहले एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट लगे हुए थे श्री डालूराम मीणा और एक श्री भवानीशंकर एस. डी. ओ. इन दोनों के खिलाफ बार एसोसिएशन ने और वहां की जनता ने शिकायत की भ्रष्टाचार की और इसकी जांच करने के लिए श्री शेरसिंह पधारे जो यहां पर कमिश्नर की पोस्ट पर थे। मान्यवर, उन्होंने जांच की और कोर्ट की फाइलों को देखा और कोर्ट की फाइलों से यह बात मालूम पड़ी कि वास्तव में इस अधिकारी ने भ्रष्टाचार किया है। मान्यवर, इसको प्राइमा फेसाई चार्ज मानकर सस्पेन्ड किया गया। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, किसी प्रेशर में आकर कुछ दिनों बाद ही इस अधिकारी को बहाल कर दिया गया और आज के दिन डिस्ट्रिक्ट एक्साइज आफिसर की पोस्ट पर इस अधिकारी को लगाया गया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस केस की फाइल, विशेष जांच की फाइल, आपके डिपार्टमेंट में मौजूद है। इसकी जांच होनी चाहिये। मैं

(श्री जगमोहन सिंह)

यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह अधिकारी कैसे बहाल हुआ इसका भी एक बहुत अच्छा किस्सा है जो एक वास्तविकता है जिसको सदन में कहने से मैं नहीं चूकना चाहूंगा।

मान्यवर, बरकत साहब हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री जब विदेश पधारे और जी.ए.डी. का चार्ज हमारे चौहान साहब को दिया हुआ था, उनके कृपा पात्र होने के कारण उन्होंने चन्द दिनों की जांच के अन्दर इस अधिकारी को बहाल करने के आदेश दे दिये। आज पुनः इस फाइल का पुनरावलोकन किया जाये। तो, मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा कि इसके अन्दर, इन अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार साबित है तो इनके खिलाफ तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए, न्याय की दृष्टि से, इमर्जेन्सी की दृष्टि से और हर दृष्टि से इसके ऊपर कार्यवाही की जानी चाहिए। कोर्ट में बैठ कर भ्रष्टाचार करे, फाइलों में पकड़ा जावे, फाइलों के रिकार्ड से साबित हो जावे ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही न हो तो, मान्यवर, यह खेदजनक स्थिति है।

इसलिए, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस अधिकारी की जांच शेरसिंहजी ने की है उसकी फाइल का अवलोकन करके उसके खिलाफ तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए।

दूसरा, मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बड़ी खुशी की बात है कि कम से कम अब केन्द्रीय सरकार द्वारा यह घोषणा की गई है कि इस साल अनाज की गेहूं की 105 रुपये क्विन्टल के भाव पर लेवी की वसूली करेंगे। मैं यह मानता हूं कि जो मौजूदा गिरती हुई स्थिति है उसके अन्दर जो सहारा दिया है काश्तकार को केन्द्रीय सरकार ने उसके लिए मैं धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता हूं। लेकिन, मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं उस संदर्भ में कि यहां पेडी के प्रोक्योरमेंट का मामला आया और जब रेट्स इस बात पर लागू होने लगे तो माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय श्री खाद्य मंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि जितनी भी पेडी आयेगी काश्तकार से, उसको 93 रुपया क्विन्टल सपोर्ट प्राइस है उसमें पूरा पूरा माल लेंगे। लेकिन, मान्यवर, बड़े दुःख के साथ निवेदन करना पड़ता है कि वह पेडी जो भी काश्तकारों के पास हजारों क्विन्टल की तादाद में पड़ा हुआ है, वह मंडी में लेकर जाता है तो पेडी को लेने वाला नहीं है। सुल्तानपुर के इलाके में 40 से 48 रुपया क्विन्टल पेडी का भाव है।

श्री मीठालाल मीणा : अब बहुत तेज भाव हो गया है।

श्री जगमोहन सिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय कृषि मंत्री जी ने अपनी मांग के समय जवाब दिया था तो उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि जितना भी गेहूं काश्तकार लायेगा उसको 105 रुपया क्विन्टल के भाव के अन्दर सरकार खरीदेगी, और सरकार लेगी। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं पुरजोर शब्दों में कि कोटा जिले में गोडाउन की व्यवस्था नहीं है। जो पेडी सरकार ने पहले खरीदी थी वह हजारों मन की तादाद में खुले में पड़ी हुई है, क्योंकि स्थान नहीं है। मैं यह

(श्री जगमोहन सिंह)

निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा जिले में यहां इतना माल आने वाला है उस अनाज को खरीदकर सरकार कहां रखेगी ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि फिर वही बात सामने आयेगी कि क्वालिटी इन्सपेक्टर जरा जरा सी बात पर कि इस ग्रेड का नहीं है, मिट्टी ही मिट्टी है, हम नहीं लेना चाहते हैं, इस तरह के बाहर बहाने बनाकर उसका अनाज नहीं लेंगे जिससे काश्तकार को परेशानी होने वाली है। मान्यवर, इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गोदामों की व्यवस्था अभी से की जानी चाहिए ताकि काश्तकारों का गेहूं आये तो उसको निराश होकर वापिस नहीं जाना पड़े। जिस तरह की पेडी के मामले में निराश हुए उस तरह से गेहूं की फसल में भी उनको निराशा का सामना न करना पड़े। इस बात के लिए निवेदन दो शब्दों के अन्दर करना चाहता हूं।

दूसरा, मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि फर्टीलाइजर और बीज जो आगामी फसल के लिए दिया जाने वाला है उन बीजों को रेट बड़ी हाई है। मैंने कृषि मंत्रीजी का ध्यान पहले भी दिलाया था, जो मौजूदा भाव गिरे हैं उससे भी दुगुना भाव बीजों का है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इस पर तुरन्त विचार होना चाहिए। मौजूदा कन्टेक्स्ट में गिरते हुए बाजार में जब कृषि उत्पादन का भाव बहुत कम हो चुका है बाकी सारी चीजों के भाव कम नहीं हुए हैं। काश्तकारों से वसूलियां की जा रही हैं, और काश्तकार परेशानी में हैं इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो बीज दिया जाने वाला है उसकी जो रेट है, मान्यवर, वह रेट कम होनी चाहिए।

दूसरा, मान्यवर, शिक्षा के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि मिडिल स्कूल्स खोलने का जो प्रावधान है तो हम काफी मिडिल स्कूल राजस्थान में खोल चुके हैं, और मैं यह मानता हूं कि जो एक प्रेस्क्राइब्ड एरिया है कि इतने माइल के अन्दर मिडिल स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए करीब करीब हम उस पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन जो मांग है जनता की वह है हायर सेकेण्डरी स्कूल और सेकेण्डरी स्कूल की। कुछ स्थान ऐसे हैं राजस्थान के अन्दर कि जहां पर सन् 1950 से अभी तक हाई स्कूल तक की व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, मेरे ही क्षेत्र को ले लीजिये, छबड़ा। एक लाख जनता की आबादी पूरी तहसील की है उसके लिए एक सेकेण्डरी स्कूल छबड़ा कस्बे के अन्दर है। सन् 1950 से उसको हायर सेकेण्डरी स्कूल में परिवर्तित नहीं किया गया है। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इस तरह के कई स्थान हैं जहां पर हायर सेकेण्डरी एजूकेशन देने में हम असमर्थ रहे हैं। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इस वर्ष के अन्दर 200 मिडिल स्कूलों को बजट में हायर सेकेण्डरी स्कूलों के अन्दर डाइवर्ट करके हायर सेकण्डरी स्कूल की जहां पर जितनी आवश्यकता हो वहां पर खोलने की कृपा करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : ऐसा लगता है कि सदन के माननीय सदस्य बोलने के लिए उत्सुक

(81)

(श्री सभापति)

नहीं है इसलिए मैं सदन की कार्यवाही को सोमवार, दिनांक 29 मार्च 1976 के प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म.प. 3.06 बजे सोमवार, दिनांक 29 मार्च, 1976 के प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

82

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 422 की सूची)

गंगापुर सिटी मण्डी समिति द्वारा निर्माणाधीन सड़कों की सूची

क्रमांक	सड़क का नाम	लम्बाई
(1)	हिण्डोन रोड से टोकसी सड़क निर्माण	2.00 किलो मीटर
(2)	सालोदा से पीलोदा सड़क	5.50 किलो मीटर
(3)	हिण्डोन रोड से मीना बड़ोदा सड़क	2.00 किलो मीटर
(4)	हिण्डोन रोड से जाट बड़ोदा सड़क	1.20 किलो मीटर
(5)	हिण्डोन रोड से जीवली सड़क	1.00 किलो मीटर
(6)	हिण्डोन रोड से पावटा सड़क	3.00 किलो मीटर
(7)	वजीरपुर से पीलोदा स्टेशन सड़क	2.50 किलो मीटर
(8)	रायपुर से फुलवाड़ा खण्डीय सड़क	2.50 किलो मीटर
(9)	गावड़ी सहजपुरा (सहजपुरा से सखीपुरा) पार्ट की सड़क	5.00 किलो मीटर
(10)	नहर रोड	1.00 किलो मीटर
(11)	हिण्डोन रोड से सेवागांव कलुग्रामीना के मकान तक सड़क	0.75 किलो मीटर
(12)	चूली दरवाजे से मिर्जापुरा सड़क	1.00 किलो मीटर
(13)	लिंकरोड गांवड़ी सहजपुरा (गावड़ी से गंगापुर, गावड़ी से सहजपुरा) सड़क	4.20 किलो मीटर
(14)	हिण्डोन रोड से मैडो ग्राम सड़क	2.00 किलो मीटर
(15)	चूली के बाग से चूली, ग्राम सड़क निर्माण	1.00 किलो मीटर
		34.65 किलो मीटर

गंगापुर सिटी मण्डी समिति द्वारा प्रस्तावित विचाराधीन
सड़कों की सूची

क्रमांक	सड़क का नाम
(1)	खूटला से जयपुर रोड़ ।
(2)	नौगावा से भाड़ौती रोड़ (इवीपुर को मिलाते हुए)
(3)	गंगापुर से सीधा भाड़ौती रोड़ नले में होकर
(4)	रेडायल से मोहचा खण्डोप होते हुए हिण्डोन रोड़
(5)	कुनकटा से भाड़ौती रोड़
(6)	बुचोलाई से भाड़ौती रोड़
(7)	ऊमरी से भाड़ौती रोड़
(8)	महानन्दपुरा से नादौती रोड़ कमालपुरा होते हुए
(9)	तलावडा से भाड़ौती रोड (मीनापाड़ा होते हुए)
(10)	मठ से हिण्डोन रोड़
(11)	अरन्या से भाड़ौती रोड़ (फरीशपुरा मैती पुर हिगोटवा होते हुए)
(12)	बामन वड़ोदा से जयपुर रोड़ घोघूपुरा होते हुए
(13)	खेडला से हिण्डोन रोड़
(14)	नारायणपुर से भाड़ौती रोड़ (टोटोलाई, जयसिंहपुरा होते हुए)
(15)	खेड़ा से भाड़ौती रोड मुराड़ा होते हुए
(16)	चूली से लाजपुर
(17)	छक छावा से ताजपुर
(18)	खेडली से बिछोछ
(19)	मुराडा से मलारना
(20)	मिर्जापुर से बामनबड़ोदा
(21)	महमदपुर से भारटोती
(22)	नादौती रोड़ से गढ़ी
(23)	नारायणपुर से मलारना रोड़
(24)	सखीपुरा से बामनबास

(84)

परिशिष्ट—2

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

कृषि उपज मण्डी समिति कुचामन सिटी

426. श्रीमती गौरी पूनिया (मकराना): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कुचामन सिटी कृषि उपज मण्डी समिति क्षेत्र मे कुल कितने ग्राम हैं तथा किस किस तहसील के ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कृषि उपज मंडी खोलने के आधार क्या क्या हैं ?

(3) जिला नागौर के कुल कितनी कृषि उपज मंडी समितियां हैं तथा किस-किस स्थान पर ?

(4) क्या यह सही है कि पंचायत समिति मकराना की ओर से राज्य सरकार के पास तथा राज्य कृषि उपज विपणन बोर्ड के पास प्रार्थना-पत्र आया है कि उनकी अलग से कृषि उपज मंडी समिति बनाई जाय ?

(5) अगर हां, तो राज्य सरकार ने इस प्रार्थना-पत्र पर क्या निर्णय लिया है ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मंडी समिति कुचामन-सिटी का क्षेत्र पंचायत समिति कुचामन-सिटी एवं नगरपालिका कुचामनसिटी है इसके अन्तर्गत तहसीलवार गांवों की सूची प्राप्त की जा रही है।

(2) राज्य सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार नये स्थान पर कृषि उपज मंडी समिति स्थापित करने के लिये आवश्यक है कि वहां कम से कम 25 लाख रुपयों की उपज का क्रयविक्रय हो जिससे मंडी समिति को 25 हजार रुपयों की आय प्राप्त हो सके।

(3) जिला नागौर में तीन मंडी समितियां हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं:—

नागौर—गौण मंडियां मूण्डवा और कुचेरा

मेड़ता—गौण मण्डी डेगाना

कुचामनसिटी—गौण मंडियां गच्छीपुरा व बोराबड़

(4) जी हां,

(5) मकराना में कृषि उपज की आवक के बारे में आवश्यक जांच करवाई जा रही है तत्पश्चात ही तय किया जा सकेगा कि वहां मंडी समिति स्थापित की जा सकती है या नहीं।

नये आयुर्वेद औषधालय खोलने का आधार

427. श्री रामसिंह कुडी (जायल): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नया औषधालय खोलने के क्या क्या आधार हैं ?

(श्री रामसिंह कुड़ी)

(2) राजस्थान के प्रत्येक जिले व पंचायत समिति क्षेत्र में कितने औषधालय (आयुर्वेदिक) चालू हैं ? कृपया विवरण तालिका में जनसंख्या भी बताने की कृपा करें ।

(3) राजस्थान में सेवारत आयुर्वेदिक वैद्यों को नई विधियों एवं ज्ञान में प्रशिक्षित करने हेतु प्रशिक्षण करने के सम्बन्ध में सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) नवीन औषधालय खोलने हेतु सामान्यतः निम्न आधार है —

(क) बजट प्रावधान उपलब्ध होना ।

(ख) नागरिकों द्वारा निशुल्क भवन व्यवस्था।

(ग) आठ कि.मी. के क्षेत्र में अन्य चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न होना ।

(2) पंचायत समितिवार औषधालयों की संख्या की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) रेफरेशर कोर्स देने हेतु अभी तक कोई व्यवस्था नहीं थी । अब राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना के बाद यह कार्य संस्थान करेगा । भारतीय चिकित्सा मण्डल भी इस प्रकार के प्रशिक्षण हेतु प्रावधान करने पर विचार कर रहा है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सालपुरा कवाई से अकलेरा बस रूट का राष्ट्रीयकरण

428. श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा)—क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सालपुरा कवाई (जिला कोटा) से अकलेरा (जिला झालावाड़) बस रूट का राष्ट्रीयकरण करने का सरकार का कब तक इरादा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(2) क्या यह सत्य है कि यह रूट दो सब-डिवीजनों की जनता से सम्बन्धित है और इस रूट पर ट्रैफिक के अनुपात में प्राईवेट बसें बहुत कम हैं, व पुरानी एवं खराब हैं ?

(3) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार तुरन्त इस रूट पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें चलाने की व्यवस्था करने को तैयार है ? यदि नहीं, तो इस भारी परिवहन असुविधा का क्या निदान सोचती है ?

उत्तर

(1) सालपुरा-इकलेरा वाया छीपा बड़ोद मार्ग को वर्ष 1976–77 में राष्ट्रीयकरण किये जाने की योजना है ।

(2) जी हां । इस मार्ग पर 4 अनुज्ञा-पत्रों का स्कोप है किन्तु वर्तमान में 2 अनुज्ञा-पत्र दिये हुए हैं । स्कोप की पूर्ति हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये थे किन्तु आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण स्कोप की पूर्ति नहीं की जा सकी । इसकी

(यातायात मंत्री)
पूर्ति हेतु प्रादेशिक प्राधिकरण द्वारा पुनः कार्यवाही की जा रही है। मार्ग पर बसें चल रही हैं वह निर्धारित मोडल की हैं। एक बस खराब होने से बन्द है।

(3) जी हां। मार्ग का राष्ट्रीयकरण होते ही निगम द्वारा वाहन संचालन प्रारम्भ कर दिया जावेगा।

गंगानगर जिले की जिनिंग एण्ड प्रेसिंग फैक्टरी

429. **श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** (सूरतगढ़)––क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

(1) गंगानगर जिले में कितनी जिनिंग और प्रेसिंग फैक्ट्री कहां-कहां हैं? इनमें कौन-कौन सी प्राइवेट हैं, तथा कौन कौन सी को-आपरेटिव सेक्टर में हैं? इनमें से प्रत्येक की जिनिंग और प्रेसिंग कैपेसिटी क्या है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) को-आपरेटिव सेक्टर के प्रेस कब कब कहां कहां चालू हुए? क्या यही है कि प्रेसिंग कैपेसिटी काफी न होने के कारण काटन कारपोरेशन आफ इण्डिया गंगानगर जिले में कपास को खरीद नहीं कर रहा? यदि नहीं, तो कोई और क्या कारण है?

(3) क्या यह भी सही है कि रायसिंहनगर को-आपरेटिव जिनिंग और प्रेसिंग फैक्ट्री ने बिजली के कनेक्शन के पैसे भी जमा करा दिये थे परन्तु कनेक्शन बहुत विलम्ब से दिया गया? यदि हां, तो इस विलम्ब में किसका दोष था और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(4) क्या यह सही है कि गंगानगर की विभिन्न मण्डियों में जिनिंग और प्रेसिंग की पूर्ण व्यवस्था न होने के कारण कपास में किसानों को भारी लूट हुई है और एक मण्डी से दूसरी मण्डी के भावों में भारी अन्तर रहा, अनेकों दिन तक माल नहीं बिका और बिका तो पेमेन्ट्स नहीं हुए? ऐसी स्थिति में रायसिंहनगर (कोआपरेटिव) फैक्ट्री की स्वीकृति में देरी क्या गम्भीर अपराध नहीं है? क्या राज्य सरकार इसकी पूर्ण जांच कराकर जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेगी?

उत्तर

(1) गंगानगर जिले में स्थित जीनिंग एवं प्रेसिंग फैक्टरियों की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) को-आपरेटिव सेक्टर में स्थित फैक्ट्रियों के चालू होने की तिथि संलग्न प्रपत्र (क) में कालम नं. 5 में अंकित है। यह सही नहीं है कि प्रेसिंग कैपेसिटी कम होने के कारण कपास निगम ने कपास क्रय नहीं किया। भारतीय कपास निगम कपास के भाव न्यूनतम निर्धारित भावों से नीचे गिरने पर ही कपास क्रय करता है। फिर भी भारतीय कपास निगम ने दिसम्बर, 1975 से कपास क्रय करना चालू कर दिया है।

(3) राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल से प्राप्त सूचना के अनुसार रायसिंहनगर काटन जीनिंग एवं प्रेसिंग फैक्ट्री को समस्त औपचारिकता पूर्ण होते ही कनेक्शन दे दिया गया था।

(कृषि मंत्री)

(4) जी नहीं। गंगानगर जिले में इस वर्ष कपास का उत्पादन अधिक होने तथा व्यापारियों के पास अर्थाभाव के कारण विभिन्न मण्डियों में भावों में अन्तर रहा। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, रायसिंहनगर एवं पदमपुर आदि बड़ी मंडियों को छोड़कर प्रायः सभी मंडियों में किसानों द्वारा लायी गई कपास की उसी दिन बोली एवं तुलाई हो जाती। उपरोक्त चारों बड़ी मंडियों में शीर्ष विपणन काल में कपास की अधिक आवक होने के कारण बोली व तुलायी में संभवतया 3-4 दिन लग जाते हैं। प्रायः भुगतान में विलम्ब नहीं होता है बल्कि अधिकांश कृषक आढ़तियों से अग्रिम राशि ले लेते हैं तथा शेष का उसी दिन भुगतान हो जाता है। रायसिंहनगर फैक्टरी दिनांक 26-1-1976 से चालू हो गयी है।

88

श्रीगंगानगर जिले में स्थित जिनिंग व प्रेसिंग फैक्ट्रियों की तालिका

क. सं.	नाम फैक्ट्री	स्थान	क्षमता बेल प्रतिदिन	स्थापित दिनांक
1	2	3	4	5
प्राइवेट सेक्टर				
1.	गंगानगर इन्डस्ट्रीज लि.	श्रीगंगानगर	150	
2.	पेडीवाल प्राईस एण्ड जिनिंग प्रेसिंग फैक्ट्री	,,	73	
3.	साहुवाला जिनिंग एण्ड प्रेसिंग मिल	,,	33	
4.	महालक्ष्मी जिनिंग एण्ड प्रेसिंग मिल्स	,,	65	
5.	मै. गुप्ता ट्रेडर्स	,,	98	
6.	बिरला मिल्स जिनिंग एण्ड प्रेसिंग मिल	केसरीसिंहपुर	140	
7.	महावीर काटन जिनिंग एण्ड प्रेसिंग फैक्ट्री	,,	110	
8.	दी किसान जिनिंग एण्ड प्रेसिंग कम्पनी प्रा. लि.	श्रीकरणपुर	49	
9.	करणपुर जिनिंग एण्ड प्रेसिंग कम्पनी प्रा. लि.	,,	98	
10.	मेहरसिंह हरबंससिंह जिनिंग एण्ड प्रेसिंग फैक्ट्री	गजसिंहपुर	58	
11.	राजस्थान काटन मिल्स	रायसिंहनगर	65	
12.	दुर्गा काटन जिनिंग एण्ड प्राइस फैक्ट्री	पदमपुर	65	
13.	श्रीविजयनगर इन्डस्ट्रीज प्रा. लि.	श्रीविजयनगर	40	
14.	सोमानी जिनिंग प्रेसिंग फैक्ट्री	पीलीबंगा	18	
15.	महादेव फ्लोर जिनिंग एण्ड प्रेसिंग फैक्ट्री	,,	50	
16.	बिरला मिल जिनिंग एण्ड प्रेसिंग मिल	संगरिया	80	
17.	महालक्ष्मी जिनिंग एण्ड प्रेसिंग फैक्ट्री	,,	66	
18.	गौरी शंकर जिनिंग एण्ड प्रेसिंग फैक्ट्री	सादुलशहर	50	
19.	सादुलशहर जिनिंग एण्ड प्रेसिंग फैक्ट्री	,,	50	
20.	मोता काटन इंडस्ट्रीज	,,	50	
सहकारी समिति जिनिंग एण्ड प्रेसिंग फैक्ट्री				
21.	किसान कोआपरेटिव सोसाइटी	श्रीगंगानगर	अभी चालू नहीं हुई	
22.	कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी	पदमपुर	100	26–2–76
23.	कोआपरेटिव सोसाइटी	गजसिंहपुर	100	1971–72
24.	कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी	रायसिंहनगर	50	26–1–76
25.	कोआपरेटिव सप्लाई एण्ड कमीशन सोप	श्रीकरणपुर	120	26–11–74
26.	कोआपरेटिव सोसाइटी	पीलीबंगा	–	अभी चालू नहीं हुई
27.	जमींदारा कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी	सादुलशहर	100	1973–74

चक्षु चिकित्सा की व्यवस्था

430. श्री अमृत लाल गहलोत (सरदारशहर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर और बीकानेर के मेडिकल कालेजों से सम्बन्धित अस्पतालों में चक्षु चिकित्सा के लिये कितनी कितनी रोगी शैय्यायें हैं, उनकी पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त कालेजों के चक्षु विभाग में प्रोफेसर के पद कहां कहां पर हैं ?

(3) क्या यह सत्य है कि जोधपुर में उदयपुर और बीकानेर से लगभग 50 प्रतिशत अधिक शैय्यायें होते हुए भी वहां प्रोफेसर पद नहीं हैं और अन्य दोनों स्थानों पर हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि डाईरेक्टर जनरल हैल्थ सर्विसेज नई दिल्ली के कार्यालय से राज्य सरकार को राज्य भर में एक मेडिकल कालेज के चक्षु विभाग को अप ग्रेड करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाये हैं और उसमें जोधपुर का स्थान कहां है ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) चक्षु विभाग में प्रोफेसर के पद मेडिकल कालेज जयपुर, बीकानेर और उदयपुर में हैं।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर और बीकानेर के अस्पतालों में चक्षु चिकित्सा के लिये रोगी शैय्याओं की सूची:—

क्र. सं.	नाम अस्पताल	रोगी शैय्या की संख्या
1	2	3
1.	एस.एम.एस अस्पताल, जयपुर	83
2.	एम.जी. अस्पताल, जोधपुर,	64
3.	जे.एल.एन अस्पताल, अजमेर	42
4.	पी.बी.एन. अस्पताल, बीकानेर	52
5.	जनरल अस्पताल, उदयपुर	64

विश्व बैंक परामर्शदात्री मण्डल का दौरा

431. श्री जनार्दन सिंह गहलोत (गांधी नगर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विश्व बैंक परामर्शदात्री मण्डल के दल ने राज्य के किन किन जिलों का दौरा किया ?

(2) दौरों के पश्चात् विभिन्न जिलों के किन किन कार्यों के अथवा परियोजनाओं को सुधारने हेतु अपनी सिफारिशें राज्य सरकार अथवा अन्य सम्बन्धित एजेन्सी को प्रेषित की व उन पर राज्य सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(स्थगित किया गया)

मेवाड़ टेक्सटाइल मिल भीलवाड़ा से हटाये गये श्रमिक

432. श्री विजय सिंह राठौड़ (मांडल) :- क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

आपात स्थिति की घोषणा के बाद से 29 फरवरी, 76 तक मेवाड़ टेक्सटाइल मिल, भीलवाड़ा के प्रबन्धकों ने कितने श्रमिकों को रोजगार से हटाया ?

उत्तर

पांच श्रमिकों को सेवा मुक्त किया गया।

कृषि उपज मण्डी में कार्यरत सचिवों को भत्ता

433. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल-बाजार) :-क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सेवा में कार्यरत कर्मचारी यदि स्वायत्तशासी कार्यालयों में कार्य करते हैं तो उन्हें डेपूटेशन अलाउन्स दिया जाता है ?

(2) यदि हां, तो क्या कृषि उपज मंडियां स्वायत्तशासी संस्थाएं नहीं हैं ?

(3) यदि हां, तो फिर कार्यरत सचिवों का यह भत्ता क्यों नहीं दिया जाता है ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) मण्डी समितियां, राज्य सरकार द्वारा स्वायत्तशासी संस्थाएं घोषित नहीं हैं।

(3) सचिव मण्डी समितियों में प्रतिनियुक्ति पर है किन्तु प्रतिनियुक्ति की शर्तों एवं प्रतिबन्धों में, जो राज्य सरकार द्वारा तय किये गये हैं, सचिवों को प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं है।

ग्राम जसवन्तपुरा (जालौर) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

434. श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) :- क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सही है कि जालौर जिले की पंचायत समिति जसवंतपुरा के मुख्यालय के ग्राम जसवंतपुरा में न तो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है और न डिस्पेन्सरी ही अभी तक खोली गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि जसवन्तपुरा में बहुत ही बड़ी आबादी एवं व्यापारिक मंडी एवं बेसिक शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र सैकेन्डरी स्कूल, पुलिस थाना आदि है मगर 25 मील

(श्री भगराज चौधरी)
की दूरी में कहीं भी एलोपैथी चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध नहीं है ?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार पंचायत समिति के मुख्यालय पर वर्ष 1976-77 में एलोपैथी डिस्पेन्सरी खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) ग्राम की जनसंख्या केवल 2873 है तथा वहां एक उपकेन्द्र कार्यरत है।

(3) अभी ऐसा कोई विचार नहीं है।

बाड़मेर जिले में खरीफ की पैदावार

435. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाड़मेर जिले में वर्ष 1975–76 में खरीफ की पैदावार बढ़ाने के लिए कृषि विभाग ने जिला प्रशासन के सहयोग से कितना संकर बाजरा का बीज लोन के रूप में वितरित किया ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(2) उक्त संकर बाजरा बीज की पैदावार के क्या परिणाम रहे ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त संकर बाजरा के बीज में काफी बीज खराब था जिसके कारण जिले में किसानों की फसलें बरबाद हो गई ?

(4) क्या यह सही है उक्त खराब बीज के बारे में कृषि विभाग और जिलाधीश बाड़मेर को शिकायत की गई जिसकी जांच के लिए उपनिदेशक कृषि विभाग मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी यह माना कि खराब बीज के कारण धोरिमन एवं चौहटन पंचायत समिति आदि के क्षेत्रों में विशेषतौर से बाजरे की फसल बरबाद हो गई ?

(5) खराब संकर बीज भेजने के लिए कौन कौन अधिकारियों और कर्मचारियों को कृषि विभाग ने दोषी ठहराया और उनके विरुद्ध क्या क्या कदम उठाये गये ?

(6) उक्त खराब बीज से जिन जिन किसानों की फसलें नष्ट हुई उनके हरजाने की अदायगी के लिए कृषि विभाग ने क्या क्या कदम उठाये ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम द्वारा संकर बाजरा नगद मूल्य पर वितरित किया गया था। सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(1) परिणाम सन्तोषजनक रहे।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। शिकायत की विभागीय समिति द्वारा जांच की गयी जिसके फलस्वरूप पंचायत समिति धोरीमना में कृषि उद्योग निगम द्वारा वितरित कुल 101 क्वि. बीज में से केवल 13·25 क्वि. बीज मिश्रित पाया गया। इस मिश्रित बीज की पैदावार के परिणाम शुद्ध बीज की पैदावार के अनुपात में कुछ कम रहे।

(5) उक्त बीज राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा प्रमाणित था तथा कृषि उद्योग निगम

(92)

(कृषि मंत्री)
द्वारा इसका वितरण किया गया था अस्तु । किसी विभागीय अधिकारी अथवा कर्मचारी को दोषी ठहराने का प्रश्न नहीं उठता । विभाग द्वारा मामले की जांच करायी गयी तथा राष्ट्रीय बीज निगम एवं कृषि उद्योग निगम को इस विषय में जानकारी दी गयी। यह प्रकरण अब राज्य कृषि उद्योग निगम एवं राष्ट्रीय बीज निगम के मध्य विचाराधीन है ।

जिला बाडमेर में पंचायत समितिवार नगद मूल्य पर वितरित बाजरे की सूची

पंचायत समिति सिवाना	104 क्वि.
" बालोतरा	36 "
" धोरीमन्ना	101 "
" सिन्धरी	35 "
" बायतू	10 "
" चोहटन	53 "
" शिव	7.5 "
" बाड़मेर	14.5 "
योग	411 क्विंटल

अस्पतालों की व्यवस्था में सुधार हेतु परामर्शदाता समिति

436. श्री गिरधारी लाल भार्गव (हवामहल) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अस्पतालों की व्यवस्था में सुधार हेतु अस्पतालों में परामर्शदाता समिति का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो किस किस जिले के किस किस अस्पताल में कब कब परामर्शदाता समिति का गठन किया गया है ? सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करें ।

(2) क्या यह सही है कि सवाई मानसिंह अस्पताल व जनाने अस्पताल के लिये परामर्शदाता समिति का गठन किया हुआ है ? यदि हां, तो अभी तक कितनी बैठकें आयोजित की गई हैं ?

(3) क्या परामर्शदाता समिति की सलाह के अनुसार कार्य किया जाना आवश्यक है ? यदि हां, तो सवाई मानसिंह अस्पताल के लिये गठित परामर्शदाता समिति की सलाह के अनुसार कितने सुधार किये गये हैं और इस समिति ने कौन कौन से महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं ?

उत्तर

(1) जी हां । पर यह समितियां राज्यादेश दिनांक 8–6–1973 के अनुसार समाप्त की जा चुकी हैं एवं इनके स्थान पर डिस्ट्रिक्ट डवलपमेन्ट कमेटियां स्थापित की गई हैं ।

(श्री चिकित्सा मंत्री)

(2) जी नहीं। यह समाप्त की जा चुकी हैं जैसाकि प्रश्न 1 के उत्तर में वर्णित है। सवाई मानसिंह अस्पताल हेतु गठित परामर्शदाता समिति की एक बैठक व जनाना अस्पताल हेतु गठित समिति की 2 बैठकें हुई थीं।

(3) यह समिति परामर्श देने के लिये ही गठित थी। सवाई मानसिंह अस्पताल के लिये गठित समिति ने अस्पताल में एक्स-रे की सुविधा बढाने, औषधियों हेतु अधिक धनराशि उपलब्ध कराने, काटेज वार्ड में जल की व्यवस्था, नियमित विद्युत सप्लाई, बाह्य रोगी चिकित्सा सुविधा को सुचारु रूप से लागू करना, मरीजों को दी जाने वाली खुराक की सूची में आवश्यक परिवर्तन करने सम्बन्धी सुझाव दिये थे। समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए एवं वित्तीय साधनों की उपलब्धि के अनुसार आवश्यक व्यवस्था की जाती रही है जिसमें एक और एक्स-रे मशीन की खरीद, अधिक दवाईयों का प्रावधान एवं आऊटडोर की और अधिक सुगठित व्यवस्था करना सम्मिलित है। काटेज वार्ड में जल व्यवस्था के लिये अस्पताल के अहाते में एक कुंआ बनाया जा रहा है। शेष सुझावों पर भी जैसे वित्तीय साधन उपलब्ध होंगे समुचित कार्यवाही की जावेगी।

झालरापाटन में कृषि उपज मंडी की मांग

437. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन):—क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि झालरापाटन शहर में कृषि उपज मंडी बनाने हेतु बार बार निवेदन किया गया परन्तु अभी तक यहां मंडी नहीं बनाई गई है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि झालरापाटन खानपुर व भवानी मंडी के मुकाबले की मंडी है? और यहां फसल के वक्त 200-300 गाड़ियां सभी तरह की उपज को बिकने आती हैं?

(3) क्या यह भी सही है कि इस मंडी में अभी भी किसानों से 1 बोरी पर हर तरह की उपज का माल 2।। किलो ज्यादा लिया जाकर किसानों को लूटा जा रहा है?

(4) यदि हां, तो यहां मंडी का आदेश कब तक हो जावेगा?

उत्तर

(1) झालरापाटन में कृषि उपज मंडी बनाने के बारे में केवल एक बार 3-6-75 को सुझाव प्राप्त हुआ उस पर कार्यवाही की गई है। मण्डी बनाने से पूर्व की जानकारी प्राप्त कर निर्णय लिया गया कि यहां मण्डी बनाई जावें। तत्सम्बन्धी घोषणा राज्य सरकार द्वारा राज-पत्र में प्रकाशित की जा रही है। उस पर तीस दिन की निर्धारित अवधि में सुझाव या आपत्ति आदि प्राप्त होने पर वहां नियमानुसार मण्डी समिति के गठन की घोषणा की जायेगी।

(2) जी नहीं। झालरापाटन मण्डी भवानी मण्डी तथा खानपुर से अपेक्षाकृत छोटी मण्डी है।

(3) जी, हां अनियमित मण्डी होने के कारण अभी तक यहां कर्जा लिया जाता है।

(श्री कृषि मंत्री)

(4) कार्यवाही जारी है। राज्य सरकार द्वारा मण्डी समिति के गठन की घोषणा होने में लगभग 2-3 माह लगने की संभावना है।

राष्ट्रीयकृत मार्गों पर चलने वाली बसें

438. **श्री दीपंकर (लाडनूं)** : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने अपने घोषित लक्ष्य के अनुसार बस मार्गों का राष्ट्रीयकरण कर लिया है? अगर हां तो, वे लक्ष्य क्या थे और उसमें कितनी सफलता मिली है?

(2) क्या यह सही है कि राष्ट्रीयकृत मार्गों पर चलाने के लिए राज्य सरकार के पास निजी बस नहीं है इसलिए प्राईवेट बसों को किराये पर लिया गया है? अगर हां, तो कितनी बसें किस रेट से कितने मार्गों पर लगाई गई हैं और उनकी स्थिति क्या है?

(3) क्या यह सही है कि जयपुर बस स्टेन्ड से भी निर्धारित समय पर बसें नहीं छोड़ी जाती और बसों की रवानगी की सूचना भी सूचना कार्यालय गलत देता है इसलिए लोग बस स्टेन्ड पर हैरान होते हैं और निराश होकर यात्राएं बन्द कर घर लौट जाते हैं? अगर हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

(4) क्या यह सही है कि किसी नम्बर की बस किसी रूट पर चलने की सूचना प्रसारित करने पर भी वर्कशाप से गाड़ी समय पर नहीं पहुंचने से बस स्टेन्ड के स्टाफ को पब्लिक के सामने शर्मिन्दगी अनुभव करनी पड़ती है और सरकार की बदनामी होती है? अगर हां, तो दोषी कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य सरकार ने 75-76 में 40 प्रतिशत मार्गों का राष्ट्रीयकरण करने का लक्ष्य रखा था लेकिन 75-76 तक 33.6 प्रतिशत मार्गों का राष्ट्रीयकरण हो सकेगा।

(2) जी हां। निगम द्वारा 202 बसें किराये पर ली हुई हैं। जिनकी दरें प्रति कि. मी. निम्न हैं:—

नई वाहनों के लिये 250 कि.मी. प्रतिदिन व पुरानी वाहनों के लिये 200 कि.मी. प्रतिदिन 1.33 पैसा प्रतिकिलो मीटर तथा इसके ऊपर 1.03 पैसा प्रति किलोमीटर। जिन जिन मार्गों पर प्राइवेट बसें चल रही हैं उनकी सूची सदन की पटल पर रख दी गई है।

(3) करीब 5 प्रतिशत वाहनें देर से प्रस्थान करती हैं। देरी से प्रस्थान के मुख्य कारण यान्त्रिक की खराबी, वाहन का मार्ग से देर से लौटकर आना है। आजकल देरी से प्रस्थान की प्रतिशत 4 हैं। इसे नियन्त्रित करने के लिए सिन्धी कैम्प में ही पीछे की तरफ कार्यशाला बनाई जा रही है।

(4) कार्यशाला से वाहन यान्त्रिक खराबी के अलावा चालक के उपस्थित न होने से भी कभी कभी देर से रवाना होती है। दोषी चालकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है।

List of the Private Vehicle

S. No.	Route	Total No. of buses (Private)
	TONK DEPOT	
1.	Tonk-Swai Madhopur-Jaipur	2
2.	Tonk-Jaipur-Deoli	2
3.	Tonk-Ajmer	1
		5
	SIKAR DEPOT	
1.	Sikar-Jaipur-Laxmangarh	1
2.	Sikar-Jaipur-Sikar-Jhunjhunu	2
3.	Sikar-Sardarshahar-Ratangarh	3
4.	Sikar-Sardarshahar-Ladnu	2
5.	Sikar-Fatehpur-Jaipur	1
6.	Sikar-Jhunjhunu-Sardarshahar	2
		11
	BEAWAR DEPOT	
1.	Beawar-Kekri	1
2.	Beawar-Udaipur	3
		4
	ALWAR DEPOT	
1.	Alwar-Bharatpur	2
2.	Alwar-Jaipur	5
		7
	KOTA DEPOT	
1.	Kota-Jaipur	4
2.	Kota-Jaipur-Chechat	2
		16
	BIKANER DEPOT	
1.	Bikaner-Nagaur	2
2.	Bikaner-Ganganagar	3
3.	Bikaner-Jaipur-via Ratangarh	1
4.	Bikaner-Pokaran	3
5.	Bikaner-Churu	1
6.	Bikaner-Ratangarh	1
7.	Bikaner-Sardarshahar	1
8.	Bikaner-Churu-Rajgarh	1
9.	Bikaner-Sujangarh	1
		14
	JAIPUR DEPOT	
1.	Jaipur-Sardarshahar	2
2.	Jaipur-Mahuwa	1
3.	Jaipur-Churu	6
4.	Jaipur-Kekri	6
5.	Jaipur-Kudan	1
6.	Jaipur-Jhunjhunu	2
7.	Jaipur-Keladevi	3
8.	Jaipur-Vansthali	2
9.	Jaipur-Sujangarth	2
10.	Jaipur-Shambhar	1
11.	Jaipur-Mahavirji	1
12.	Jaipur-Karouli	1

(96)

1	2	3
13.	Jaipur-Ajmer	1
14.	Jaipur-Mandawa	1
15.	Jaipur-Nagaur	2
		32

KHETRI DEPOT

1.	Khetri-Jaipur	3
2.	Khetri-Nimkathana	1
3.	Khetri-Jhunjhunu-Chirawa	1
4.	Khetri-Suratgarh	1
5.	Khetri-Shahpura	2
6.	Khetri-Jhujhunu-Khetri	1
		9

SHAHPURA DEPOT

1.	All the route under Shahpura Depot	24
		24

PILANI DEPOT

1.	Pilani-Jaipur	5
2.	Pilani-Bhadra	1
3.	Pilani-Alwar	2
		8

BHARATPUR DEPOT

1.	Bharatpur-Jaipur	7
2.	Bharatpur-Pahari	5
3.	Bharatpur-Alwar	2
4.	Bharatpur-Dausa	1
		15

C. T. S. DEPOT

1.	Jaipur-Chaksu	1
2.	Jaipur-Bagru	3
3.	Jaipur-Chomu	5
4.	Jaipur-Bassi	4
5.	Jaipur-Newai	1
6.	Jaipur-Dausa	2
7.	Jaipur-Shahpura	1
8.	Jaipur-Lawan	1
		18

UDAIPUR DEPOT

1	Uaipur-Bhilwara	14
2.	,, -Dungrpur	1
3.	,, -Falna-Nathdwara	1
4.	,, -Bhim	1
5.	,, -Ratanpur-Kankroli	1
		18

HANUMANGARH DEPOT

1.	Hanumangarh-Pacca-Ganganagar	1
2.	Hanumangarh-Ganganagar Rawatsar.	1
3.	In rotation with other	2
		4

GANGANAGAR DEPOT

1.	Ganganagar-Ratangarh	2
	,, -jorkia	3
3.	,, -Anoopgarh	2
	,, -Suratgarh-Gajsinghpur-Padampur	4
5.	,, Anoopgarh-Gajsingpur	1
		1

Page No 97

(97)

1	2	3	1	2	3
6.	Ganganagar-Anoopgarh-Gajsinghpur-CC Head Hanumangarh	1	13.	Anoopgarh-Ganganagar-Suratgarh	1
7.	Padampur-Ganganagar	1	14.	Ganganagar-CC Head Hanumangarh	1
8.	Ganganagr-Raisinghnagar	2	15.	Ganganagar 23 CRD Karanpur	1
9.	Hanumangarh-Padampur Jorkia	1	16.	Karanpur-Ganganagar-Suratgarh	3
10.	Jorkian-CC Head Ganganagar	1			
11.	Ganganagar-Gajsinghpur Anoopgarh	1			
12.	Ganganagar-Raisinghnagar Pilibangan	2		Total Private Vehicle as on	27

भीलवाड़ा से दिल्ली को दूध का निर्यात

439. श्रीमती निर्मला कुमारी (चित्तौडगढ़): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भीलवाड़ा से कितने लीटर दूध प्रति दिन दिल्ली जाता है ?

(2) क्या कोई ऐसी भी योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है जिससे चितौडगढ़ क्षेत्र का दूध भीलवाड़ा केन्द्र तक भेजा जा सके ? यदि हां, तो इस पर कब तक कार्य आरम्भ हो जायेगा ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा से प्राय: एक टेंकर दूध प्रतिदिन दिल्ली भेजा जाता है जिसकी मात्रा 13,500 लीटर है।

(2) जी हां। चित्तौडगढ़ जिले को भीलवाडा डेयरी परियोजना के दुग्ध प्राप्ति क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। इस क्षेत्र के सर्वेक्षण के उपरान्त दुग्ध मार्ग निश्चित किये जाकर ही दुग्ध संग्रह की व्यवस्था की जावेगी।

एम्पलायमेन्ट एक्सचेन्ज द्वारा रोजगार

440. सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य में एम्पलायमेन्ट एक्सचेन्ज वास्तविक रूप से कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो इस वर्ष के अन्त तक कितने बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार दिया जा चुका है ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या राज्य सरकार इसे विभाग पर होने वाले व्यय को आवश्यक समझती है ? क्योंकि प्रधान मंत्री के बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबों को रोजगार दिलवाने में यह विभाग असमर्थ रहा है ?

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव

(3) क्या सरकार के पास इस तरह की शिकायतें नहीं आतीं कि यह कार्यालय बेरोजगारी को बढ़ावा दे रहा है? और यहां पर पहुंच वालों के नाम बिना नम्बर भी निकल जाते हैं तथा जिनकी पहुंच नहीं होती उनसे पैसा मांग कर नाम भेजा जाता है?

(4) शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिड्यूल्ड ट्राइब्स वर्ग के कितने लोगों को तथा इस वर्ग की महिलाओं को 75-76 में कितने स्थान दिलाये गये?

(5) क्या राज्य सरकार इस विभाग को समाप्त करने का विचार रखती है जिससे लोगों में फैले हुए असंतोष की भावना मिट सके? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। 1-1-75 से 31-12-75 तक 21191 व्यक्तियों को एम्पलायमेन्ट एक्सचेन्ज के माध्यम से रोजगार पर लगाया गया। जिनकी जिलावार सूची संलग्न है।

(2) जी हां। ऐसा नहीं है। नियोजन विभाग द्वारा प्रधान मंत्री के बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत नेशनल एप्रेन्टिसशिप ड्राईव में नियोजन विभाग द्वारा गत 6 माह में 540 आशार्थी विभिन्न उद्योगों में लगाए गए।

(3) जी नहीं। यह गलत है। आशार्थियों के सम्प्रेषण में किसी तरह की मनमानी नहीं की जाती है। राष्ट्रीय नियोजन सेवा संहिता में निहित संप्रेषण नीति एवं सिद्धान्त के आधार ही समस्त सम्प्रेषण किये जाते हैं।

(4) अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लिए आरक्षित पदों पर सीधी नियुक्तियां की जाने की छूट है। इसके बावजूद नियोजन विभाग द्वारा 1-1-75 से 31-12-75 तक 2193 तक अनुसूचित जाति के एवं 983 अनुसूचित जनजाति के आशार्थियों को रोजगार में लगाया गया। महिलाओं के सम्बन्ध में वर्गीकृत सूचना उपलब्ध नहीं हैं।

(5) जी नहीं। शिक्षित बेरोजगारी राष्ट्र की सर्वप्रथम ज्वलन्त समस्या बन रही है। जिसे हल करने हेतु नियोजन सेवा विभाग को और अधिक प्रशस्त करने की आवश्यकता है एवं सरकार इस ओर सक्रिय भी है।

राज्य के नियोजन कार्यालयों द्वारा दिनांक 1-1-75 से 31-12-1975 तक रोजगार पर लगाए गए आशार्थियों की सूची।

क्रम सं. 1	नियोजन कार्यालयों के नाम 2	नियोजित आशार्थी 3
1.	अजमेर	1102
2.	अलवर	953
3.	बांसवाड़ा	706

1	2	3
4.	बाड़मेर	421
5.	भरतपुर	700
6.	भीलवाड़ा	546
7.	बीकानेर	1024
8.	बून्दी	222
9.	चित्तौड़गढ़	1068
10.	चूरू	433
11.	डूंगरपुर	268
12.	जयपुर	2316
13.	जैसलमेर	207
14.	जालोर	436
15.	झालावाड़	252
16.	झुंझुनू	862
17.	जोधपुर	1846
18.	कोटा	1439
19.	नागोर	892
20.	पाली	1004
21.	सवाई माधोपुर	372
22.	सीकर	468
23.	सिरोही	628
24.	श्री गंगानगर	1346
25.	टोंक	343
26.	उदयपुर	1583
27.	पी. एण्ड ई.	158
28.	विशेष नियोजन कार्यालय (पी. एस.)	2
	योग :	211918

कृषि उपज एवं भावों में भारी गिरावट

441. श्री गंगाराम चौधरी (गुडा-मालानी): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

कृषि उपज से उत्पादक को मिलने वाली कीमतों में पिछले दिनों एकदम भारी गिरावट आने के साथ-साथ सरकार एवं राजकीय उपक्रमों द्वारा खाद, बीज, कृषि सम्बन्धी मशीनें, बिजली, पानी आदि कृषक को दी जाने वाली वस्तुओं की कीमतों दरों में सरकार किस सीमा तक कमी करने जा रही है या बढ़ाने जा रही है ?

उत्तर

उर्वरकों के मूल्य में 1 जून, 74 के बाद 16–3–76 तक यूरिया में 18 प्रति. व डाई अमोनियम फास्फेट में 13% व पोटाश में 33% की कमी की जा चुकी है। इस प्रकार उक्त समय में बीज के अन्तर्गत जमा धान, शंकर ज्वार व गेहूं के प्रत्येक के मूल्यों में 5% की व चने के मूल्य में 17% की कमी की जा चुकी है। रसायनिक खाद के मूल्यों में कमी भारत सरकार की नीति पर निर्भर रहेगी। बीज की कीमतों में कमी करने का प्रश्न विचाराधीन हैं। कीटनाशक दवाइयों में बी.एच.सी. के भावों में 50% की कमी की जा चुकी हैं। मूल्यों में और कमी भारत सरकार की नीति पर निर्भर होगी। ट्रेक्टरों की कीमतें, भारत सरकार की नीति के अनुसार निर्धारित की जायेगी। बिजली व सिंचाई के भावों में अभी कमी करने का विचार नहीं हैं।

नाहरगढ़ में पशु चिकित्सायल

442. श्री रामगोपाल (किशनगंज): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सत्य है कि नाहरगढ़ तहसील किशनगंज जिला कोटा में पशु चिकित्सालय खोलना आवश्यक है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

नाहरगढ़ में पशुओं की संख्या इतनी अधिक नहीं है कि राज्य की मौजूदा आर्थिक स्थिति में अलग से पशु चिकित्सालय खोला जा सके।

राज्य की पिछड़ी जाति

443. श्री रामानन्द अग्रवाल: (अलवर)–क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में कौन–कौन सी जातियां पिछड़ी जातियों में सम्मिलित है ? उनको पिछड़ी जातियों में सम्मिलित करने के क्या-क्या आधार हैं ?

(2) क्या यह सही है कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों में ऐसी बहुत सी जातियां या समुदाय हैं जैसे जुलाहे, रंगरेज, धोबी, तेली, लुहार आदि जो आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं ? लेकिन ये पिछड़ी जातियों की सूची में शामिल नहीं हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार इसे सेक्यूलेरिज्म के सिद्धान्त के विपरीत नहीं मानती है

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कि उसी पेशे में कार्यरत लोग हिन्दू होने के कारण पिछड़ी जातियों में शामिल हैं? लेकिन उसी पेशे में कार्यरत लोग यदि मुस्लिम हैं तो पिछड़ी जातियों में शामिल नहीं माने जाते ?

(4) क्या राज्य सरकार मुस्लिम अल्पसंख्यकों में अथवा अन्य अल्प संख्यक धर्मों के मानने वाले लोगों में पिछड़े हुए समुदायों को पिछड़ी जातियों में मानने की घोषणा करेगी ?

उत्तर

(1) राजस्थान में पिछड़ी जातियों में सम्मिलित की गई अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति, विमुक्त जाति एवं घुमक्कड़ व अर्द्ध घुमक्कड़ जातियों की सूचियां सदन की मेज पर रखदी गई हैं। अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित की जाने वाली जातियों का आधार सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ापन एवं छुआछूत है। अनुसूचित जन जाति की सूची में सम्मिलित की जाने वाली जातियों का आधार उनका आदिवासी होना एवं सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ापन है। विमुक्त जातियां वे हैं जो पूर्व में अपराधी जातियां के नाम से अधिसूचित थी। घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जातियों का आधार उनका घुमन्तु जीवन है।

(2) यह सही है कि मुस्लिम अल्प संख्यकों में ऐसे कुछ समुदाय हैं (जातियां नहीं क्योंकि इस्लाम धर्म में जाति व्यवस्था मान्य नहीं है) जो जुलाहे, धोबी, तेली, लुहार आदि पेशों में सलग्न है और आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन गैर मुस्लिम तबके की भी बहुत सी जातियां ऐसी हैं जो आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, किन्तु उन्हें पिछड़ी जातियों में सम्मिलित नहीं किया गया है, क्योंकि ये प्रश्नोत्तर के भाग 1 में उल्लेखित अनुसूचित जाति, जन जाति, विमुक्त जाति एवं घुमक्कड़ व अर्द्ध घुमक्कड़ जातियों की सूची में सम्मिलित करने का मान्य आधार नहीं रखते हैं।

(3) जी नहीं। पेशे के आधार पर किसी भी जाति को उक्त पिछड़ी जातियों में सम्मिलित नहीं किया गया है।

(4) इन परिस्थितियों में राज्य सरकार द्वारा इस विषय पर और अधिक विचार की आवश्यकता नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कृषि उपज मण्डी पाली

444. श्री शंकरलाल (पाली) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

पाली कृषि उपज मण्डी की वार्षिक आय कितनी है और कृषि उपज मण्डी द्वारा अब तक क्या क्या विकास कार्य हाथ में लिए गए हैं ?

उत्तर

पाली कृषि उपज मण्डी समिति की वार्षिक आय गत वर्ष 1974–75 में 1.87 लाख रुपये थी तथा इस इस वर्ष फरवरी तक 2.78 लाख रुपये रही। अभी तक मण्डी समिति द्वारा अपने यार्ड हेतु भूमि

Page No 102

(102)

(कृषि मंत्री)

की समस्या पूर्ण रूप से हल न कर पाने के कारण कोई स्थाई प्रकार के विकास कार्य हाथ में नहीं लिये गये हैं। मण्डी में पीने के पानी तथा चौकीदारों की व्यवस्था की जा रही है।

ट्रायबल सबप्लान में सहरिया क्षेत्र को शामिल करने की योजना

445. **श्री ओंकार लाल चौहान** (डग): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार के पास ट्रायबल सबप्लान में किशनगंज शाहबाद के सहरिया क्षेत्र को शामिल करने की योजना विचाराधीन है ?

(2) यदि हां, तो कब तक इस पर निर्णय ले लिया जावेगा ?

(3) ट्रायबल सब प्लान में कौन-कौन से जिले शामिल हैं और अब तक इस पर कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी नहीं। भारत सरकार के मापदण्ड के अनुसार यह सम्भव नहीं है। सहरियों को प्रिमिटिव ट्राईब घोषित करवा कर भारत सरकार से विशेष सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) ट्राईबल सब प्लान में डूंगरपुर, बासवाड़ा के पूरे जिले, उदयपुर जिले की 6 तहसीलें झाडोल (फलासिया) खेरवाडा कोटड़ा, सराडा, सलूम्बर एवं लसाडिया (धरियावद) तथा गिर्वा पंचायत समिति क्षेत्र, चित्तौड़ जिले में प्रतापगढ़ तहसील तथा सिरोही जिले में आबूरोड़ पंचायत समिति क्षेत्र को शामिल किया गया है। अब तक 1974–75 में 50 लाख व 1975–76 में 144 लाख रुपये व्यय करने हेतु भारत सरकार से तदर्थ धनराशि प्राप्त हुई है सहरिया क्षेत्र के लिये इस वर्ष रुपये 6 लाख की विशेष केन्द्रीय सहायता पृथक् से भारत सरकार से तदर्थ आधार पर स्वीकृत हुई है।

केन्द्र सरकार के कृषि विभाग के निर्देश

446. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य में 21 सूत्री कार्यक्रम को कारगर तरीके से अमल में लाने के लिये केन्द्र के कृषि विभाग की ओर से क्या नये निर्देश राज्य सरकार ने प्राप्त किए तथा इस ओर क्या कदम उठाये गये ?

उत्तर

21 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।

अधिक उपज देने वाली फसलें, उर्वरक, बीज, कीटनाशक दवाइयां व अन्य अभियान एवं कृषि विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गये कार्यों का विवरण निम्न प्रकार से है :—

(1) अधिक उपज देने वाली फसलें:— खरीफ 74 में अधिक उपज देने वाली फसलों

(कृषि मंत्री)

के अन्तर्गत 2.22 लाख हैक्टर क्षेत्रफल था जबकि खरीफ 75 में इसका क्षेत्रफल 3.50 लाख हैक्टर हो गया व 58% की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार रबी 75–76 में गेहूं के अधिक उपज देने वाले बीजो के अन्तर्गत 7.80 लाख हैक्टर क्षेत्र आया है। जबकि गत वर्ष यह क्षेत्रफल 7.26 लाख हैक्टर था। अतः इस वर्ष में 70% वृद्धि हुई है।

(2) बीज वितरण :–गत वर्ष खरीफ में अधिक उपज देने वाले 7083 क्विन्टल बीज वितरित किया गया था व इस वर्ष खरीफ में 11273 क्विन्टल बीज का वितरण किया गया है व बढ़ोतरी 59% हुई है।

इस वर्ष रबी में 38760 क्विन्टल बीज वितरित किया गया है जबकि गत वर्ष 28640 क्विन्टल बीज वितरित किया गया था। अतः इस वर्ष में 35% वृद्धि हुई है।

(3) उर्वरक :–खरीफ 74 में 21114 टन रसायनिक खाद का वितरण किया गया था इसके मुकाबले में इस वर्ष 31038 टन वितरित किया गया है जो गत वर्ष से 47% अधिक है। इसी प्रकार रबी में गत वर्ष 37346 टन रसायनिक खाद वितरित किया गया था जबकि इस वर्ष में 46216 टन का वितरण हुआ है जो गत वर्ष से 24% अधिक रहा।

(4) बीज उत्पादन:–गत वर्ष खरीफ में 3021 क्विन्टल अधिक उपज देने वाले बीज पैदा किये गये थे जबकि इस वर्ष 4550 क्विन्टल बीज पैदा किया गया है जो गत वर्ष से 5% अधिक हुआ है।

गत वर्ष रबी में प्रथम बार बहुत बड़ी मात्रा में 45000 क्विन्टल गेहूं का प्रमाणित बीज पैदा किया गया जो वर्ष 73-74 के मुकाबले में 350% अधिक था। इस वर्ष में 60,000 क्विन्टल बीज पैदा होने की सम्भावना है जो गत वर्ष से 33% अधिक होगा।

(5) पौध संरक्षण :–गत वर्ष खरीफ की फसलों में 15 लाख हैक्टर क्षेत्र में पौध संरक्षण कार्य किया गया था व इस वर्ष 20.50 लाख हैक्टर क्षेत्र में इन कार्यों को पूरा किया गया जो गत वर्ष से 37% अधिक रहा। इसी प्रकार रबी में इस वर्ष 29.50 लाख हैक्टर क्षेत्र में पौध संरक्षण कार्य पूरा करने की सम्भावना है जबकि गत वर्ष में यह कार्य 21 लाख हैक्टर क्षेत्र में किया गया था। अतः इस वर्ष इसमें 40% की वृद्धि हुई है।

(6) गोबर गैस संयन्त्र:–इस वर्ष 138 संयन्त्र लगाये गये जबकि गत वर्ष केवल 34 संयन्त्र ही लगे थे। 300 संयन्त्र सवाई माधोपुर जिले में लगाने का कार्य चालू है।

(7) विशेष लघु ऋण सहायता :–इस वर्ष खरीफ में 5 करोड़ रुपये व रबी में 3.25 करोड़ रुपयों का ऋण बीज, खाद, कीटनाशक दवाइयों के क्रय-विक्रय हेतु भारत सरकार से प्राप्त कर पंचायत समितियों व सहकारी समितियों के मार्फत आवश्यक व्यवस्था के लिये प्रयोग लिया गया।

(8) अभियान:–निम्नलिखित अभियान इस वर्ष चलाये गये :

(कृषि मंत्री)

1. नाम अभियान	उपलब्धि
1. गन्ना एवं कपास की बीमारियों की रोकथाम हेतु हवाई जहाज द्वारा रोकथाम।	12905 हैक्टर क्षेत्र
2. ज्वार के बीजों का उपचार	1.50 लाख हैक्टर
3. बाजरा में कातरा की रोकथाम	3404 हैक्टर क्षेत्र
4. बाजरा में टाऊनी मिल्ड्यू की रोकथाम	12004 हैक्टर
5. जौ के बीज का उपचार	42285 हैक्टर
6. खरपतवार का नियन्त्रण	63668 हैक्टर

7. उत्पादन:– इस वर्ष धान का उत्पादन 2.22 लाख टन हुआ है जबकि गत वर्ष एक लाख टन था अतः इसमें 22% की वृद्धि है। इस वर्ष का उत्पादन अब तक के धान के उत्पादन में सबसे अधिक हुआ है। मक्का का उत्पादन इस वर्ष 7.82 लाख टन हुआ है जबकि गत वर्ष यह 4.72 लाख टन था अतः इसमें करीब 70% वृद्धि हुई है। खरीफ की दालों का उत्पादन 5.44 लाख टन हुआ है जो गत वर्ष में केवल 1.83 लाख टन था। अतः इस वर्ष में 300% की वृद्धि हुई है।

8. कृषि विस्तार कार्यक्रम:–चम्बल एवं राजस्थान नहर क्षेत्र में कृषि प्रसार कार्य के द्वारा पैदावार में बढ़ोतरी के आधार पर भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, जयपुर, भरतपुर गंग एवं भाखरा नहर क्षेत्र में यह कार्यक्रम चालू किया गया इसके बाद इस कार्यक्रम को 12 और जिलों में कोटा, बूंदी, झालावाड़, टौंक, सवाई माधोपुर, अलवर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, पाली एवं सिरोही जिलों में भी बढ़ा दिया गया है।

महुवा–करौली मार्ग पर चलने वाली बसें

447. श्री चेतराम (टोडाभीम): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सच है कि दिनांक 15–2–76 से महुवा हिण्डौन करौली मार्ग का राष्ट्रीयकरण किया गया है?

(2) क्या यह सच है कि गंगापुर से हिण्डौन, नादौती से हिण्डौन बसों को ग्राम खेड़ा तक ही आने की आज्ञा हो गई है और खेड़ा पर राष्ट्रीयकरण के कारण वहीं खड़ी कर दी जाती हैं? इससे यात्रियों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है?

(3) क्या सरकार इन बसों को हिण्डौन तक आने की छूट देगी जिससे यात्रियों को परेशानी न हो जैसे कि भरतपुर जयपुर मार्ग पर सिकन्दरा से बालाजी तक निजी बसें चालू हैं?

(4) क्या सरकार यात्रियों की सुविधा हेतु बस के स्टाप वही रखेगी जो कि प्राइवेट बस आपरेटर्स रखते हैं?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस मार्ग के राष्ट्रीयकरण से पूर्व 11 विभिन्न मार्गों की बसें खेड़ा होकर हिण्डौन पहुंचती थीं। मार्ग का राष्ट्रीयकरण होने पर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा 7 मार्गों की सेवाओं को खेड़ा से

(यातायात मंत्री)

हिन्डौन जिसकी कि दूरी लगभग 4 किलो मीटर है, चलने की अनुमति दे दी गई, किन्तु 4 मार्गों (1) महावीरजी–महुवा (2) नादौती–महावीरजी–महुवा (3) अलवर–महावीरजी (4) हिन्डौन–मासलपुर के निजी वाहन चालकों के अनुज्ञा पत्र खेड़ा से हिन्डौन तक काट दिये गये थे। अब इन 4 मार्गों के निजी वाहन चालकों के अनुज्ञा-पत्र भी खेड़ा से हिन्डौन तक बढ़ाने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी हां।

(4) जी हां। यथा सम्भव निजी वाहन चालकों के बस स्टापों को ही बस स्टाप रखा जावेगा।

मछली पालन उद्योग

448. श्री गिरधारी लाल भार्गव (हवामहल बाजार) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या राज्य सरकार मछली पालन उद्योग के विकास के लिये सार्वजनिक जलाशयों को अपने अधिकार में ले रही है? यदि हां, तो उन जलाशयों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) राज्य में जलाशयों से प्राप्त मछलियों से कितनी वार्षिक आय होती है और नई योजना से उसमें कितनी वृद्धि होने का अनुमान है?

(3) राज्य सरकार मछली पालन उद्योग को प्रोत्साहन देने के बारे में क्या योजना रखती है?

उत्तर

(1) सार्वजनिक जलाशय राज्य सरकार के अधीन ही है। उनकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) राज्य को करीब 30 लाख की आय होती है। नई योजना से अनुमानतया आय 50 लाख प्रति वर्ष होने का अनुमान है।

(3) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य में मछली पालने उद्योग को प्रोत्साहन देने हेतु अनेक योजनायें हैं, जिसमें से प्रमुख निम्न प्रकार से हैं:–

(अ) राज्य में मत्स्य बीज व मत्स्य की उत्पादन के विभिन्न साधनों को विकसित करना।

(ब) राज्य के मछुओं एवं मछली पालकों, विशेष कर आदिवासियों की समाजिक एवं आर्थिक दशा में सुधार करना और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना।

(स) लघु एवं मध्यम श्रेणी के जलाशयों में सघन रूप से मत्स्य विकास कार्यक्रम।

(द) बहते हुए पानी (नहरों आदि में) मत्स्य विकास कार्यक्रम।

(क) बड़े जलाशयों में वैज्ञानिक प्रबन्ध से मत्स्य विकास।

(ख) मत्स्य फार्मों का निर्माण।

(ग) उत्तम प्रकार की मछलियों के आवश्यक बीज का उत्पादन भारतीय मेजर कार्य मछलियां व विदेशी मछलियां सम्मिलित हैं।

(श्री पशुपालन मंत्री)

चालू वर्ष में भीलवाड़ा जिले में एक मत्स्य पालन विकास एजेन्सी की स्थापना की गई है, जिसके अन्तर्गत मत्स्य पालकों को दीर्घ अवधि तक जलाशय लीज पर दिये जावेंगे एवं उन्हें मत्स्य पालन हेतु कर्ज एवं अनुदान के रूप में सहायता दी जावेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

एसबेस्टो सीमेंट पाइप उद्योग के श्रमिक

449. श्री केशरीमल (ब्यावर): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर में एसबेस्टो सीमेंट पाइप उद्योग के करीब 100 कारखानें हैं? यदि हां, तो इनमें कितने आदमी काम करते हैं? क्या यह भी सही है कि इसी प्रकार के उद्योग अजमेर जयपुर, उदयपुर व अन्य जगहों पर भी लगे हुए हैं यदि हां, तो किस किस शहर में कितने कारखानें हैं? इन सभी उद्योगों में कुल कितने आदमी काम करते हैं? पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों को न्यूनतम वेतन दिलाने की राज्य सरकार ने कानूनी व्यवस्था की? यदि हां, तो किस प्रकार की? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार शीघ्र ही इस उद्योग या श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन लागू करने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब से?

उत्तर

(1) कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत ब्यावर में एस बेस्टोज सीमेंट पाइप उद्योग के 7 कारखाने पंजीकृत हैं जिनमें लगभग 110 कामगार कार्यरत हैं ब्यावर के अलावा राजस्थान के अन्य जिला अजमेर, भरतपुर भीलवाड़ा, डूंगरपुर पाली कोटा व उदयपुर में 55 कारखानें पंजीकृत हैं और इन में कार्यरत कामगारों की संख्या करीब 315 है सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) एसबेस्टोज सीमेंट पाइप उद्योग स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज के अन्तर्गत आता है। स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज में कार्यरत श्रमिकों के लिये राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन भी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत न्यूनतम वेतन की दरें निर्धारित कर दी गई हैं।

एसबस्टोज सीमेंट पाईप उद्योग की सूची

क्र.सं.	आर.जे.नं.	जिला	फैक्ट्री का नाम	नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या	सेक्शन	सार्वजनिक/निजी
1	2	3	4	5	6	7
			जिला अजमेर			
1.	2300	अजमेर	कमला एसबस्टोज सीमेन्ट आरटीकल्स इन्डस्ट्रीज ब्यावर, अजमेर।	140	2एम.आई	निजी
2.	2499	,,	ब्यावर एसबस्टोज सीमेन्ट पाईप इन्डस्ट्रीज परमहंस आश्रम ब्यावर अजमेर रोड	8	,,	,,
3.	2958	,,	कैवस कन्ड्क्टर्स प्रा. लि. काला पोल ब्यावर अजमेर	3	,,	,,
4.	4075	,,	मान एसबस्टोज पाईप इन्डस्ट्रीज अजमेर	18	,,	,,
5	3194	,,	एवरनास्ट एसबस्टोज कम्पनी इन्डस्ट्रीयल एस्टेट माकुपुरा अजमेर	11	,,	,,
6.	2370	,,	शिवनाथ देवाराम कुमावत ब्यावर अजमेर।	8	,,	,,
7.	404	,,	श्री नथमल देवाराम कुमावत रघुनाथ बाबूजी की बगीची अजमेर ब्यावर हि. अजमेर	19	,,	,,
8.	2254	,,	अम्बे एसबस्टोज पाईप इन्डस्ट्रीज लालगढ रोड ब्यावर अ.	10	,,	,,
9.	2719	,,	सेन्द्रा मरन ट्रेडिंग कम्पनी श्री सोमराज की बगीची सेन्द्रा रोड, ब्यावर अजमेर	17	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7
			जिला भरतपुर			
10.	2688	भरतपुर	दी हिन्दुस्तान एसबस्टोज प्रोडक्स एस.बी. 11 एवं 12 इन्ड.एस्टेट भरतपुर ।	14	2एम.आई.	निजी
11.	2105	,,	राजस्थान सीमेन्ट पाईप फैक्ट्री इन्ड. एरिया भरतपुर	24	,,	,,
			जिला भीलवाड़ा			
12.	2379	भीलवाड़ा	राजस्थान सीमेन्ट एण्ड एग्रीकल्चर उद्योग धारीवाल भवन-भीलवाड़ा	7	,,	,,
13.	1875	,,	मानसिंह का एक्सपोर्ट कम्पनी एसबस्टोज कम्पनी फैक्ट्री पुष्पा निवास-भीलवाड़ा	25	,,	,,
			जिला डूंगरपुर			
14.	3649	डूंगरपुर	मेहता मिनरल एसबस्टोज प्रोसिंग इन्ड.नवाडा डूंगरपुर	—	,,	,,
			जिला जयपुर			
15.	1827	जयपुर	राजस्थान एसबस्टोज सीमेन्ट कम्पनी प्लाट नं. 35 इन्ड. एस्टेट जयपुर वेस्ट	43	,,	,,
16.	2734	,,	शिव शक्ति सीमेन्ट पाईप उद्योग सम्राट् भवन बढ़ा मोहरा मंगल मार्ग ब्रह्मपुरी, जयपुर	6	,,	,,
17.	4032	,,	मेहता एसबस्टोज 61/5 इन्डस्ट्रीयल झोटवाड़ा जयपुर-6	12	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7
			जिला पाली			
18.	2439	पाली	एसबस्टोज सीमेन्ट प्रोडक्ट्स बेगारी रोड सोजत रोड पाली	15	2 एम.आई.	निजी
19.	1621	"	स्वास्तिक सीमेन्ट पाइप फैक्ट्री कामना जिला पाली	65	"	"
20.	3162	"	सिमको पाइप्स पी.ओ. गुढा वाया रायपुर मारवाड़ जिला पाली	17	"	"
			जिला कोटा			
21.	4311	कोटा	इन्डस्ट्रीयल कारपोरेशन 15-ए, इन्द्रपुरा इन्डस्ट्रीयल एरिया कोटा-5	14	"	"
			जिला उदयपुर			
22.	4600	उदयपुर	सिंगवी उद्योग प्रा. लि. 84(1) मण्डारी इन्ड. एरिया उदयपुर	50	"	"

परिशिष्ट 3

(अतारांकित प्रश्न 230 की सूची)

जिला जालौर में वर्ष 1972–73 से 1974–75 में किये गये कार्यों आदि का ब्यौरा

नाम योजना	कार्य	व्यय			विशेष विवरण
		1972–73	1973–74	1974–75	
1	2	3	4	5	6
छात्रावासों का सवारण					
1. राजकीय छात्रावास (अनुसूचित जन जाति) जालौर	50 छात्रों के लिए एक छात्रावास	33,000	36,560	48,000	—
2. अनुदानित छात्रावास (अनुसूचित जाति) शास्त्री सदन, सांचौर	40 छात्रों के लिए एक छात्रावास	16,794	13,077	19,489	—
3. सिलाई केन्द्र, जालौर (अनुसूचित जाति)	सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र	15,251	12,740	—	वर्ष 1974-75 में केन्द्र जालौर से जोधपुर स्थानान्तरण किया गया।

4.	बेरोजगार भत्ता	अनुसूचित जाति व जन जाति के स्नातक व स्नातकोत्तर व्यक्तियों को बेरोजगार वृत्तिका	2,000	3,250	1,560
5.	छात्रवृत्तियां (अनुसूचित जन जाति)		5,453	3,003	1,683
6.	छात्रवृत्तियां (अनुसूचित जाति)		39,615	29,362	32,871
7.	कृषि कूप हेतु ऋण पर ब्याज का पुनर्भुगतान				
	(1) अनुसूचित जाति योजना		—	—	1004 दो व्यक्तियों के ब्याज का भुगतान किया गया।
	(2) अनुसूचित जन जाति योजना		—	—	360 एक व्यक्ति के ब्याज का भुगतान किया।
8.	रजत जयन्ती ग्रामों में गृह निर्माण हेतु अनुदान	28 व्यक्तियों को अनुदान 2,000 प्रति परिवार	56,000	—	—
9.	गृह निर्माण सहकारी समितियों के सदस्यों को गृह निर्माण हेतु ऋण	तीन वर्षों में 12 सहकारी समितियों के 204 सदस्यों को 1,68,360 को ऋण राशि दी राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि. जयपुर द्वारा स्वीकृत की गई।			